# DJNM 103
(Diploma in Journalism and New Media)

# मीडिया कानून और नैतिकता
# Media Laws and Ethics

## पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा
## उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

# DJNM 103

**(Diploma in Journalism and New Media)**

**पत्रकारिता एवं न्यू मीडिया में डिप्लोमा कार्यक्रम**

# मीडिया कानून और नैतिकता
# Media Laws and Ethics

**उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय**

**स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मीडिया स्टडीज**

**उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी 263139**

**जिला (उत्तराखंड ) नैनीताल**

**अध्ययन समिति :**

अध्यक्ष (कुलपति)
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

प्रो0 रेनू प्रकाश
निदेशक,
पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रो0 ओ. पी. सिंह
पूर्व निदेशक, पण्डित मदनमोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रो. गिरीश रंजन तिवारी
विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

डॉ. राकेश चन्द्र रयाल
विभागाध्यक्ष / सह–प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ. भूपेन सिंह
सहायक प्राध्यापक
पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

डॉ. राजेन्द्र सिंह क्वीरा
सहायक प्राध्यापक (एसी)
पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

**पाठ्यक्रम संयोजन :**

डॉ. राजेन्द्र सिंह क्वीरा
सहायक प्राध्यापक (एसी)
पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

**इकाई लेखन :**

डॉ. गिरीश रंजन तिवारी
विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

डॉ0 राकेश चन्द्र रयाल
वरिष्ठ अकादमिक ऐसोसिएट,
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

**पाठ सम्पादन**

डॉ0 गोविन्द पंत राजू
परिष्ठ पत्रकार
गोमती नगर लखनऊ, उ. प्र.

डॉ0 राकेश चन्द्र रयाल
वरिष्ठ अकादमिक ऐसोसिएट,
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

**प्रकाशन वर्ष : 2024**

**पाठ्यक्रम स्रोत : एमएमसी 103**
**कापीराइट :** उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
**संस्करण :** सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति
ISBN :-
**प्रकाशक :** कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी– 263139 (नैनीताल)
इस सामग्री के किसी भी अंश को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अथवा मिमियोग्राफी चक्रमुद्रण द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
**मुद्रक :**

# मीडिया कानून और नैतिकता

# MEDIA LAWS AND ETHICS

## अनुक्रम


| इकाई नं0 | इकाई का नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| इकाई—1 | भारतीय संविधान की अवधारणा | 5-16 |
| इकाई-2 | प्रेस की स्वतंत्रता और कानून | 17-33 |
| इकाई- 3 | प्रेस विषयक अधिनियम | 34-51 |
| इकाई- 4 | सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कानून | 52-76 |
| इकाई- 5 | अन्य मीडिया कानून | 77-104 |
| इकाई- 6 | नैतिकता के नियमों की आवश्यकता, पत्रकारिता में आचार संहिता की आवश्यकता और उसका प्रभाव | 105-119 |
| इकाई7- | सूचना का अधिकार अधिनियम और मीडिया | 120-137 |

# इकाई –01

## भारतीय संविधान की अवधारणा

**इकाई की रूपरेखा**


1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 भारत का संविधान

1.4 भारत के संविधान की विशेषताएँ

1.5 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार

1.6 राज्य के नीति निर्देशक तत्व

1.7 सारांश

1.8 शब्दावली

1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.10 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

1.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

1.12 निबंधात्मक प्रश्न


### 1.1 प्रस्तावना :

मीडिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के मूल सिद्धान्तों की जानकारी अनिवार्यतः होनी चाहिए। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि संविधान के अनुसार प्रेस को सशक्त करने लेकिन साथ ही समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने की भी व्यवस्था की गई है।

इस इकाई में विद्यार्थियों को भारत के संविधान की अवधारणा, विशेषताएँ, नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वो की जानकारी दी जायेगी।

पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है जो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में से एक है। इनमें से सर्वोपरि न्यायपालिका है। इसलिए पत्रकारिता जगत में इच्छा रखने वाले सभी विद्यार्थियों को संविधान की अवधारणा से परिचित होना आवश्यक है।

## 1.2 उद्देश्य :

पत्रकारिता के छात्र के लिए भारतीय संविधान का प्रारम्भिक ज्ञान अपरिहार्य है। इसके बिना कोई भी पत्रकार अपना दायित्व सुचारू ढंग से निभा नहीं सकता। इस इकाई का उद्देश्य भारतीय संविधान का एक सरल परिचय करवाना है ताकि पत्रकारिता के छात्र को संविधान का अर्थ समझने में आसानी हो।

इस इकाई के अध्ययन से आप –

- भारतीय संविधान की भूमिका में लिखित संविधान की अवधारणा के विषय में जान पाएँगे।
- भारत की संघीय व्यवस्था के विषय में जान सकेंगे।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विषय में जान सकेंगे।
- संविधान में किये जाने वाले संशोधन की प्रक्रिया के विषय में जान पायेंगे।
- भारतीय संविधान की विशेषतायें जान सकेंगे।
- अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को समझ सकेंगे।
- अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा प्रेस की स्वतन्त्रता के बीच समानता तथा अन्तर को समझ सकेंगे।

## 1.3 भारत का संविधान :

प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित अपने नियम व कायदे होते हैं जो उस देश की परम्पराओं तथा नीतियों के अनुरूप देश को व्यवस्थित रूप से उन्नति करने तथा समाज में शांति, सौहार्द, सुरक्षा तथा विकासपरक माहौल का निर्माण करने में सहायक होते हैं। ऐसे नियमों के संकलन को ही हम देश का संविधान कहते हैं। ये वे नीति निर्धारक कानून हैं जो देश की दिशा तय करते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों के लिये सर्वमान्य व न्यायपरक समाधान प्रस्तुत करते हैं।

देश की सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप हर देश के संविधान अपनी कुछ विशेषताऐं होती हैं। जैसे इंग्लैण्ड का संविधान अलिखित होते हुए भी विकसित तथा लचीला है जबकि यूएसए का संविधान लिखित किन्तु संक्षिप्त व साथ ही कठोर है। हमारे देश का संविधान लिखित, विस्तृत तथा कठोर किन्तु लचीलापन लिये हुए है।

भारत का संविधान मुख्यतः अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसमें इन तीनों देशों के संविधान से चुनिंदा तत्व लिये गये हैं। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान में संसद की संप्रभुत्ता है जबकि अमेरिका के संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धान्त अपनाया गया है। भारतीय संविधान में इन दोनों प्रकार की सर्वोच्चता के मध्य संतुलन कायम रखते हुए विभिन्न परिस्थितियों में दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जहाँ एक ओर संसदीय व्यवस्था के तहत संसद की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है वहीं सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या (interpretation) करने व संविधान के विरूद्ध नियम को

अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जबकि न्यायालय की शक्तियों के निर्धारण का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) लिये गये हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसदीय प्रमुखता को कुछ अधिक बल प्रदान किया गया था किन्तु शीघ्र ही 43वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व की स्थिति पुर्नस्थापित कर दी गई थी।

ग्रेट ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है व इसमें परिवर्तन आसान है जबकि अमेरिकी संविधान कठोर यानि इसमें परिवर्तन आसान नहीं है। किन्तु भारतीय संविधान कठोर होते हुए भी लचीला है यानि इसमें परिवर्तन आसान नहीं है लेकिन अत्यन्त दुष्कर भी नहीं। संविधान के कुछ प्रावधान यथा नागरिकता, नए राज्यों का गठन आदि मामलों में संसद में सामान्य बहुमत से निर्णय लिया जा सकता है जबकि नागरिकों के मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्वों के मामले में संसद में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के चुनाव आदि मामलों में कोई परिवर्तन संसद के दो–तिहाई बहुमत के अलावा देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है।

हमारे संविधान में पिछड़े वर्गों के कल्याण व उत्थान तथा उनके धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के नागरिकों को लोक सेवा, संसद तथा विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है। संविधान द्वारा आरक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ में केवल 1960 तक के लिये की गई थी बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा इसे विस्तारित किया जाता रहा है।

- ***भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।***
- ***यह कठोर किन्तु लचीला है।***
- ***इसकी एक बड़ी विशेषता इसके दिशा निर्देशक (Directive Principles) सिद्धान्त हैं, जो आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरित हैं।***

संविधान की उद्देशिका में परिगणित आदर्श संविधान की प्रस्तावना उन उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य संविधान के मूल में निहित होता है। यह एक ऐसा धागा है जिसके चारों ओर विभिन्न नियम–अधिनियम पिरोए जाते हैं। इस प्रकार इन सभी का मूल भाव व प्रेरक तत्व एक समान रहता है जो इनकी दिशा तय करता है। हमारे संविधान में वह मूल धागा जिसके चारों ओर अधिनियमों का ताना–बाना बुना गया है वह है सर्वप्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य जो कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। (Sovereign Democratic Republic- Socialist and Secular State)।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** भारत का संविधान किन राष्ट्रों के संविधानों से प्रेरित है?

**प्रश्न 2–** भारत के संविधान में संशोधन की क्या व्यवस्था है?

## 1.4 भारत के संविधान की विशेषताएँ :

भारत का संविधान विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों में सबसे अनूठा और सबसे श्रेष्ठ है। यह संविधान विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में कामयाब भी रहा है। इसलिए भी इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है।

**भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble)**

**हम,भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, सम्वत् दो हज़ार छः विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

भारत के संविधान में नागरिकों की स्वतन्त्रता पर पूरा ध्यान दिया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताऐं निम्नवत् हैंः–

(1) संविधान निर्माताओं ने भारत को सर्वप्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया। तात्पर्य यह है कि भारत अपने राज्य के भीतर लागू होने वाले नियम कानूनों का निर्धारण स्वयं अपनी इच्छा से करे तथा इसमें कोई विदेशी हस्तक्षेप न हो। इसी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय मंच पर उसकी निजी पहचान होती है और वह अन्तरराष्ट्रीय समझौतों को अपने विवेक व इच्छा से ही स्वीकार करेगा। लोकतन्त्रात्मक से अभिप्राय है जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिये अर्थात देश का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही चलाते हैं। गणराज्य शब्द से तात्पर्य है जनता के शासन से अर्थात् ऐसी राज व्यवस्था जिसकी सर्वोच्च शक्ति आम जनता तथा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में सन्निहित है। इस प्रकार देश के सर्वोच्च पद तक देश का कोई भी आम नागरिक भी पहुँच सकता है।

समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में 1976 में जोड़ा गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ है एक ऐसा देश जिसके सभी नागरिकों को आम तथा मूलभूत सुविधाऐं समान रूप से उपलब्ध हों यह इस रूप में Capitalistस्वरूप से भिन्न है। इसी प्रकार यद्यपि संविधान निर्माताओं ने देश को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया था लेकिन इस शब्द को भी संविधान की उद्देशिका में 1976 में ही शामिल किया गया।

धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी धर्मों को समान स्वतन्त्रता प्राप्त है तथा सरकार की नजर में कोई भी धर्म किसी दूसरे से अधिक या कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर का भाव रखती है।

(2) भारत का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि देश के नागरिकों में अमीर–गरीब, लिंग के आधार पर तथा जाति अथवा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए तथा प्रत्येक नागरिक को समान सामाजिक अधिकार तथा विकास के मौके उपलब्ध रहें। हमारा संविधान देश के नागरिकों को एक समान सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है।

(3) इस संविधान की एक प्रमुख विशेषता इसका वृहद् स्वरूप तथा लिखित रूप में होना है। अमेरिका जैसे विकसित तथा पुराने लोकतंत्र के मुकाबले भी यह बहुत ज्यादा विस्तृत तथा व्यापक है। हमारे संविधान के 395 अनुच्छेद और 9 परिशिष्ट हैं। इस प्रकार यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा अमेरिका का संविधान अत्यन्त संक्षिप्त (7 अनुच्छेद) हैं।

(4) हमारे संविधान की अन्य विशेषताएँ निम्न हैं:

1. भारतीय गणतन्त्र विभिन्न राज्यों का एक संघ है। वर्तमान में देश में दिल्ली सहित कुल 29 राज्य हैं। विभिन्न शक्तियों व अधिकार केन्द्र व राज्यों को सौंपे गए हैं। कुछ अधिकार समान रूप से दोनों के मध्य विभाजित हैं।
2. हमारी न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के राजनैतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त तथा स्वतन्त्र रखा गया है।
3. देश के नागरिकों को सात मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिनमें समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है।
4. इन अधिकारों के साथ ही 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में नागरिकों के दस मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है जिनमें संविधान, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगीत का सम्मान, स्वतन्त्रता संग्राम के आदर्शों का अनुसरण, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा, आवश्यकतानुसार देश की रक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव और महिलाओं का सम्मान, पर्यापरण और वन्यजीव संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक रुझान, मानवता और सुधार की भावना का विकास, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा व हिंसा की रोकथाम तथा उत्कृष्टता की ओर प्रयास शामिल हैं।

उन विशेषताओं के अतिरिक्त भारतीय संविधान की कुछ अन्य विशेषताएँ भी हैं जिनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। ये विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:–

इसके अनुसार देश के नागरिकों को इकहरी नागरिकता (Single Citizenship) दी गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका आदि अनेक देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है एक राज्य की दूसरी राष्ट्र की लेकिन हमारे देश में राष्ट्र को सर्वोपरि रखा गया है तथा प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है जिससे विभिन्न राज्यों के नागरिकों में एकता परिलक्षित हो न कि वैमनस्य। देश की न्यायपालिका का स्वतन्त्र होना इसकी एक बड़ी विशेषता है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के चार स्तम्भ माने जाते हैं जो उसे हर स्थिति में सम्भाले रहते हैं तथा मजबूती प्रदान करते हैं। ये हैं विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive), न्यायपालिका (Judiciary) तथा प्रेस (Press)।

- **समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में 1976 में जोड़ा गया।**
- **हमारा संविधान देश के नागरिकों को एक समान सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है।**

भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ है किन्तु राज्यों व केन्द्र में शक्ति का बंटवारा इस प्रकार है कि यह व्यवस्था न तो एकात्मक है न ही संघात्मक अर्थात् न तो सारी शक्ति केन्द्र में निहित है और न ही राज्यों में। यह इन दोनों पद्धतियों के एक सुन्दर तालमेल का अद्भुत नमूना है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए क्या विशेष व्यवस्था हैं?

**प्रश्न 2–** भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन–कौन से हैं?

**प्रश्न 3–** भारतीय लोकतंत्र के चार स्तम्भ कौन से माने जाते हैं ?

## 1.5 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार :

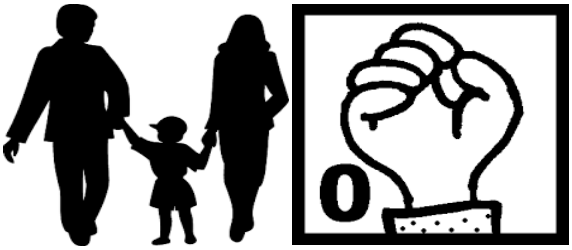

भारत के संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता है देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये ऐसे अधिकार हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हैं भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या आय वर्ग का हो। वह उच्च शिक्षित हो या निरक्षर महिलाओं एवं पुरुषों को समान रूप से ये अधिकार हासिल हैं। इनके लिये किसी भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है बल्कि भारत का नागरिक होने मात्र से ही ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इन अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी भी सरकार तक को नहीं है न ही किसी व्यक्ति विशेष को भले ही वह कितना ही उच्च पदस्थ या प्रभावशाली क्यों न हो। इन अधिकारों का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि ऐसे अधिकार विश्व में कुछ ही देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में यह माडल अमेरिका व आयरलैंड से लिया गया है। संविधान की विशेषताओं के अन्तर्गत हमने मौलिक अधिकारों के सन्दर्भ में संक्षेप में जाना था। अब हम भारतीय नागरिकों को प्राप्त सात मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से जानेंगे। ये सात अधिकार निम्नवत हैं:–

(1) **समानता का अधिकार** (Right to equality) :– संविधान के अनुच्छेद 14–18 में वर्णित इस अधिकार के तहत नागरिकों को कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) तथा कानून का समान संरक्षण (Equal Protection of Law) प्राप्त है। इस अधिकार के अनुसार भारतीय नागरिकों में धर्म,

जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थान का उपयोग सभी लोग समान अधिकार से कर सकते हैं। इसके अनुसार बच्चों व स्त्रियों को विशेष संरक्षण देने तथा समाज के पिछड़े वर्गों के सामाजिक व शैक्षिक उत्थान के विशेष प्रबन्ध किये जाने की व्यवस्था है। इसमें राज्य सेवा में सभी नागरिकों के लिये समान व्यवहार के साथ ही अस्पृश्यता उन्मूलन का भी प्राविधान है।

(2) **स्वतन्त्रता का अधिकार** (Right to Freedom) :— अनुच्छेद 19—22 के अनुसार देश के नागरिकों को निम्न छह स्वतन्त्रताएं प्राप्त हैं:—

1. भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता
2. शस्त्ररहित शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतन्त्रता
3. संस्था एवं संघ बनाने की स्वतन्त्रता
4. भारतीय राज्य क्षेत्र में स्वतन्त्र विचरण एवं निवास की स्वतन्त्रता
5. सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्यय की व्यवस्था
6. कोई वृत्ति, व्यापार, उपजीविका या करोबार करने की स्वतन्त्रता।

इनमें से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (Right to Expression) निर्बाध नहीं है तथा इसमें कुछ प्रतिबन्ध भी शामिल हैं। माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता वहां समाप्त हो जाती है जहाँ वह दूसरों की मानहानि, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, हिंसा को प्रोत्साहन, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध या सार्वजनिक व्यवसाय सम्बन्ध में मानदंडों का उल्लघंन करने लगे।

(3) **शोषण के विरूद्ध अधिकार** (Right Against Exploitation) :— इस अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति से जबरन कार्य लिये जाने पर रोक का प्राविधान है। इस अधिकार से उस बेगार प्रयास पर भी रोक लगाई गई जो पराधीन भारत में प्रचलित थी। इसी अधिकार द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरे वाले कार्यों में लगाए जाने को भी निषिद्ध किया गया है।

(4) **धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार** (Right to Freedom of Religion) :— इस अधिकार के तहत भारत के नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी धर्म को अपनाने व मानने की स्वतन्त्रता दी गई है। इसमें राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिये जाने को भी निषिद्ध किया गया है।

(5) **सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार** (Cultural and Educational Rights):—इसके द्वारा भारतीय नागरिकों को अपनी पृथक भाषा, लिपि व संस्कृति को अपनाने व संरक्षित करने के साथ ही राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जाति, धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश दिये जाने में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। इसके तहत भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने व धर्म व भाषा के आधार पर भेद किये बगैर राजकीय सहायता प्राप्त करने की छूट दी गई है।

(6) **सम्पत्ति का अधिकार** (Right to Property) :– इस अधिकार में पहले, चौथे, सत्रहवें, 25वें तथा 42वें संशोधन के आधार पर अनेक परिवर्तन किये गए हैं। इनसे पूर्व यह मौलिक अधिकार था जिसके तहत किसी व्यक्ति को बगैर विधि के प्राधिकार के उसकी सम्पत्ति से वंचित किये जाने पर रोक थी तथा राज्य द्वारा निजी सम्पत्ति अर्जित किये जाने पर क्षतिपूर्ति का प्राविधान था। इन संशोधनों के बाद यह अधिकार मौलिक अधिकार न रहकर मात्र कानूनी अधिकार रह गया है। हालांकि यह अब मौलिक अधिकार से भी अधिक शक्ति संपन्न हो गया है।

(7) **संवैधानिक उपचारों का अधिकार** (Right to Constitutional Remedies) :– इस अधिकार के द्वारा भारत के नागरिकों को अन्य मौलिक अधिकारों का लागू होना सुनिश्चित करने की शक्ति प्राप्त है। इन अधिकारों का हनन या उल्लंघन होने पर इस अधिकार के माध्यम से संवैधानिक उपचार की व्यवस्था है। इसके लिये न्यायालय द्वारा विभिन्न उपाय किये जाने की व्यवस्था है जो निम्नवत हैः

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- अधिकार पृच्छा (Quo-warranto)

ये सभी अधिकार भी कहीं न कहीं अभिव्यक्ति के अधिकार को मजबूत करते है और अभिव्यक्ति की आजादी के पोषक हैं।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1**–अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ?

**प्रश्न 2**–समानता के अधिकार से क्या आशय है ?

## 1.6 राज्य के नीति निर्देशक तत्व :

भारतीय संविधान की एक और विशेषता इसमें दिये गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये वे सिद्धान्त हैं जिनका पालन करने की अपेक्षा राजनैतिक दलों तथा शासन से की गई है। यद्यपि ये केवल प्रेरक तत्व हैं जिनसे प्रेरित होने की अपेक्षा की गई है तथा मौलिक अधिकारों की तरह इनके पालन की बाध्यता नहीं है अपितु शासन व राजनैतिक दल इन्हें मानने व लागू करने का हरसम्भव प्रयास करते हैं। यदि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक एकता को निर्मित करना, प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के बलप्रयोग से मुक्त रखना और सभी को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक स्वातन्त्र्य प्रदान करना है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य हमारे समाज के सामान्य व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यत्न करना है। इन तत्वों का उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का है। इनका वर्णन संविधान में 36 से 51 वें अनुच्छेद तक किया गया है। संक्षेप में ये सिद्धान्त निम्नवत हैं–

(1) अनुच्छेद 38ः लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना व सुरक्षा।

(2) अनुच्छेद 39ः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य नीति का निर्देशन

- सभी नागरिकों के लिये जीवन निर्वाह के आवश्यक साधन जुटाना।
- सार्वजनिक हित के लिये भौतिक साधनों का समुचित वितरण।
- धन का विकेन्द्रीकरण रोकना।
- समान कार्य के लिये समान वेतन (महिलाओं व पुरुषों को)।
- श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा।
- शिशुओं व किशारों का शोषण से बचाव।

(3) अनुच्छेद 40ः ग्राम पंचायतों को स्वायत्तशासी इकाई बनाना।

(4) अनुच्छेद 41ः रोजगार व शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारों, बीमारों, वृद्धों व विकलांग नागरिकों की सहायता किया जाना।

(5) अनुच्छेद 42ः कार्य व रोजगार में मानवोचित दिशा निर्धारण तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता दिया जाना।

(6) अनुच्छेद 43ः कुटीर उद्योगों का विकास, सभी नागरिकों को राजगार, समुचित जीवन स्तर, अवकाश आदि की व्यवस्था।

(7) अनुच्छेद 44ः देश के समस्त नागरिकों के लिये समान व्यवहार संहिता।

(8) अनुच्छेद 45ः 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था।

(9) अनुच्छेद 46ः समाज के कमजोर तबकों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये शिक्षा व आय सम्बन्धी हितों का संरक्षण।

(10) अनुच्छेद 47ः सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया जाना तथा मादक द्रव्यों व औषधियों पर रोक लगाना।

(11) अनुच्छेद 48ः गोवंश की रक्षा, दुधारू तथा बोझा ढोने वाले पशुओं के वध का निषेध तथा उनकी नस्ल का सुधार, कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग।

(12) अनुच्छेद 49ः ऐतिहासिक व राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा किया जाना।

(13) अनुच्छेद 50ः न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाना।

(14) अनुच्छेद 51ः अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सद्भाव का प्रयास तथा अंतरराष्ट्रीय विवाद को सहमति से सुलझाने का प्रयास करना।

मौलिक अधिकारों तथा दिशा निर्देश के तत्वों के माध्यम से देश के नागरिकों के अधिकार, उनकी गरिमा तथा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व सामाजिक न्याय सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं?

**प्रश्न 2–** राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाने का क्या उद्देश्य है ?

## 1.7 सारांश :

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान मूल रूप से देश के आम नागरिक की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है तथा उसके हित तथा उन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके लिये अन्य मौलिक अधिकारों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है किन्तु यहाँ यह भी ध्यान रखा गया है कि इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग न हो तथा आम व्यक्ति के सम्मान को इससे ठेस न पहुँचाई जा सके। इसी प्रकार युवकों को गलत जानकारियां देने व भटकाने वाली, स्त्रियों की मर्यादा भंग करने वाली सामग्री, किसी की मानहानि करने वाली सामग्री तथा अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण न हो सके इस बात का ध्यान रखते हुए किसी व्यक्ति द्वारा रचित कृति को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रेस की स्वतन्त्रता प्रभावित न हो इसके लिये विभिन्न उपायों का समावेश भी इसमें है।

## 1.8 शब्दावली :

**संविधान :** लोकतांत्रिक पद्धति को नियंत्रित एवं व्याख्यायित करने के लिए निर्मित विधानों का दस्तावेज संविधान है।

**विधायिका :** नीति निर्माण करने वाली इकाई विधायिका है।

**कार्यपालिका :** संविधान सम्मत निर्मित नीति–नियमों के अनुपालन व व्यवहार में लाने वाली प्रशासनिक इकाई कार्यपालिका कहलाती है।

**न्यायपालिका :** यह संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों का न्यायिक विवेचन एवं निस्तारण करने वाली इकाई है।

**संसद** : लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों का सर्वोच्च सदन संसद कहलाता है।

**अधिकार** : संविधान द्वारा प्रत्येक भारतवासी को उनके जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किये गये हैं।

**नीति–निर्देशक तत्व** : ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें सामाजिक एकता बनाये रखने तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से स्वतन्त्रता प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है।

## 1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर :

**उत्तर 1.3**

**उत्तर** 1— भारत का संविधान मुख्यतः अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसमें इन तीनों देशों के संविधानों से चुनिंदा तत्व लिये गये हैं।

**उ**त्तर 2— कुछ मामलों में सामान्य बहुमत के आधार पर और मूल अधिकार आदि कुछ मामलों मे दो तिहाई बहुमत के आधार पर ही संशोधन किये जा सकते हैं।

**उत्तर 1.4**

**उत्तर** 1— हमारे संविधान में पिछड़े वर्गों के कल्याण व उत्थान तथा उनके धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक हितों की रक्षा का प्राविधान किया गया है।

**उत्तर** 2— देश के नागरिकों को सात मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिनमें समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है।

**उत्तर** 3— कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका व मीडिया।

**उत्तर 1.5**

**उत्तर** 1— अनुच्छेद 19—22

**उत्तर** 2— इसके अनुसार भारतीय नागरिकों में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। इस अधिकार के अनुसार समाज में बच्चों, स्त्रियों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के सामाजिक व शैक्षिक उत्थान के विशेष प्रबंध किये जाने की व्यवस्था है। साथ ही अस्पृश्यता के भी उन्मूलन का प्रावधान है।

**उत्तर 1.6**

**उत्तर** 1— भारत के संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता है देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये ऐसे अधिकार हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हैं भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या आय वर्ग का हो। वह उच्च शिक्षित हो या निरक्षर, महिलाओं एवं पुरुषों को समान रूप से ये अधिकार हासिल हैं। इनके लिये किसी भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है बल्कि भारत का नागरिक होने मात्र से ही ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।

**उत्तर** 2— राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य हमारे समाज के सामान्य व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करना तथा भारत को एक लोककल्याणकारी राज्य बनाने का है।

## 1.10 सन्दर्भ ग्रन्थसूची :


| | | |
|---|---|---|
| 1. बाबेल, डॉ0 बसंतीलाल | : | पत्रकारिता एवं प्रेस विधि (सिद्धान्त और व्यवहार) सुविधा लॉ हाउस, भोपाल। |
| 2. मिश्र, अखिलेश | : | पत्रकारिताः मिशन से मीडिया तक, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। |
| 3. मेहता, आलोक | : | पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, (2005)। |
| 4. रयाल, राकेश चन्द्र | : | पत्रकारिता एवं जनसंचार, विनशर पब्लिकेशन, देहरादून, उत्तराखण्ड। |
| 5. Basu, DD | : | Introduction to the Constitution of India, Prentice Hall of India New Delhi 1985. |


## 1.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री :

1. भारतीय संविधान से सम्बन्धित पुस्तकें।
2. पत्रकारिता एवं प्रेस विधि (सिद्धान्त और व्यवहार) डॉ0 बसंतीलाल बाबेल, सुविधा लॉ हाउस, भोपाल।

## 1.12 निबन्धात्मक प्रश्न :

**प्रश्न 1**– मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देश तत्वों के लक्ष्य क्या हैं? कुछ बिन्दु बताकर वर्णन कीजिए?

**प्रश्न 2**– मौलिक अधिकारों के विषय में एक निबन्धात्मक लेख लिखिए?

**प्रश्न 3**– राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? विस्तार से बताइए?

**प्रश्न 4**– मौलिक अधिकारों तथा दिशा निर्देशक तत्वों में क्या अन्तर है?

**प्रश्न 5–** अपने क्षेत्र की किसी बड़ी जनसमस्या से स्थानीय जनता को राहत एवं न्याय दिलवाने में स्थानीय मीडिया की भूमिका का अध्ययन कर एक लेख लिखिए ?

# इकाई–02

## प्रेस की स्वतन्त्रता और कानून

### इकाई की रूपरेखा


2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 प्रेस की स्वतन्त्रता

2.4 प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रताः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

2.5 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

2.6 संसद का विशेषाधिकार

2.7 प्रेस की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण विषय

2.7.1 सेंसरशिप

2.7.2 अपकीर्ति

2.7.3 कॉपीराइट

2.8 सारांश

2.9 शब्दावली

2.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.11 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

2.12 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

2.13 निबंधात्मक प्रश्न


### 2.1 प्रस्तावना :

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति आस्था और निष्ठा के भाव से बनाए गए भारतीय संविधान में विचार स्वातन्त्र्य की भावना स्पष्टतः परिलक्षित होती है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अब हमारी व्यवस्था का आधारभूत अंग है।

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में ही प्रेस की स्वतन्त्रता भी निहित है। लेकिन इस स्वतत्रता की मर्यादा बनाये रखने के लिए कुछ दिशा निर्देशों एवं कुछ संस्थाओं की भी आवश्यकता थी। इन सबके सामूहिक प्रभाव के कारण ही भारतीय प्रेस आज दुनिया का सबसे स्वतंत्र और विश्वसनीय मीडिया बना हुआ

है। इस इकाई में विद्यार्थियों को प्रेस की स्वतन्त्रता और कानून के तहत वाक और अभिव्यक्ति, संसद का विशेषाधिकार, प्रेस की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण विषय आदि की जानकारी दी जायेगी।

## 2.2 उद्‌देश्य :

इस खण्ड की पहली इकाई में हमने भारत के संविधान के विषय में जाना। प्रस्तुत इकाई में हम प्रेस की स्वतन्त्रता के विषय में तथा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विषय में जानेंगे। हम अभिव्यक्ति के सन्दर्भ में लागू कतिपय प्रतिबन्धों की आवश्यकता के विषय में चर्चा करेंगे। भारत के प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों को समाज में प्रसारित करने की आवश्यकता के अनुरूप हम उन सिद्धान्तों पर चर्चा करेंगे।

इस इकाई द्वारा विद्यार्थी निम्न विषयों पर जानकारी पा सकेंगे –

- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता
- प्रेस की स्वतन्त्रता,
- प्रेस की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण तथा विचारणीय विषय
- प्रेस विषयक प्रमुख कानून– परिचय तथा
- संसद के विशेषाधिकार इत्यादि

## 2.3 प्रेस की स्वतन्त्रता :

संविधान में प्रेस की आज़ादी के विषय में अलग से कोई चर्चा नहीं की गई है, वहाँ केवल वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विषय में उल्लेख किया गया है। किसी भी पत्रकार के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए स्वतन्त्रता के साथ कार्य करे, और इसके लिए उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ भी हैं। इन नैतिक जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेस कानूनों की जानकारी जरूरी है। प्रेस अधिनियम तथा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विषय में जानने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हमारे समाज मे वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए ? और क्या हमारे समाचार पत्र पत्रिकाएं या मीडिया के अन्य अंगों को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए ?

इन प्रश्नों पर विचार करने पर हम सामान्यतः इस रूप में उत्तर पाते है कि हमारे समाज में वाक् और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी ही चाहिए और हमारे मीडिया को भी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी होनी चाहिए। मनुष्य ने अपने विचारों, कल्पनाओं और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रारम्भ से ही विभिन्न संसाधनों का प्रयोग किया। उसने प्रतीक, संकेत, वाक्, लेखन, प्रिंट और अब इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अपनी भावानुभूतियों को अभिव्यक्त किया। लिपि के विकास के साथ विचारादि को संरक्षित करने के संसाधन सुलभ हो गए और अब यह सुनिश्चित हो गया है कि सूचनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति किसी भी प्रजातान्त्रिक समाज के विकास के लिए अत्यावश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने विचारों, अपने मत और अपने भावों की अभिव्यक्ति करे। इसे हम वाक् और अभिव्यक्ति की

स्वतन्त्रता के रूप में जानते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता  के साथ प्रेस की स्वतन्त्रता भी शामिल है। हालाँकि भारतीय संविधान में प्रेस की आज़ादी का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु आम आदमी की आज़ादी में ही प्रेस की आज़ादी भी निहित है ओर इस बात की चर्चा हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी की गई है। प्रेस की स्वतन्त्रता एक नारा नहीं है अपितु जनतान्त्रिक व्यवस्था की एक विशेषता है।

जब हम कहते हैं कि हमारे देश में प्रेस स्वतन्त्र है तो यह सवाल उठता है कि प्रेस की स्वतन्त्रता का हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में क्या अभिप्राय है। प्रेस की स्वतन्त्रता  के लिये संविधान में सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह प्रेस के स्वतन्त्र संचालन में बाधा न डाले। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि निम्न प्रकार से प्रेस की स्वतन्त्रता को बाधित किया जाना असंवैधानिक है–

1. समाचार पत्रों का सेंसर किया जाना ।
2. समाचार पत्रों (प्रेस) के परिचालन पर प्रतिबन्ध।
3. समाचार पत्र प्रारम्भ किये जाने पर रोक और
4. समाचार पत्र के लिये सरकारी सहायता की अनिवार्यता।

प्रेस की आजादी बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिले है। जिनके तहत–

1. देश का कोई भी नागरिक (मानसिक रोगी या दीवालिया के अतिरिक्त) किसी भी स्थान से कोई समाचार पत्र निकाल सकता है।
2. समाचार पत्र की अवधि (दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक आदि) वह स्वयं तय कर सकता है।
3. समाचार पत्र की कीमत व उसके वितरण का क्षेत्र वह स्वयं निर्धारित कर सकता है।
4. सामान्य स्थितियों में समाचार पत्र के वितरण पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
5. समाचार पत्र की प्रसार संख्या बढ़ाने पर कोई रोक नही हो सकती और।
6. संपादक सरकार द्वारा दिये गए किसी समाचार को प्रकाशित करने के लिए बाध्य नही है तथा किसी जनहित के समाचार को छापने से उसे रोका नहीं जा सकता ।

यही समस्त अधिकारी इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए भी लागू माने जाते हैं।

जब समाचार पत्र में किसी समाचार के प्रकाशन को रोका नहीं जा सकता तथा न ही समाचार पत्र का प्रकाशन पूर्व सेंसर किया जा सकता है तो ऐसे में समाचार में अज्ञानतावश, भूलवश, लापरवाही के चलते अथवा जानबूझकर भी ऐसे समाचारों के प्रकाशन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता जो किसी नागरिक अथवा समाज के लिये हानिकारक अथवा दुष्प्रभाव वाले हों। स्पष्ट है कि यदि कोई समाचार समाज के लिये हानिकारक है तो उस पर प्रतिबंध लगन चाहिये। चूंकि समाचार के प्रकाशन से पूर्व प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं है इसलिये ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि यदि किसी मीडिया संस्थान द्वारा विभिन्न दिशा

निर्देशों का उल्लंघन हो तो सम्बन्धित संस्थान को इसके लिये दण्डित किया जा सके। किसी समाचार से समाज को निम्न प्रकार से हानि पहुंच सकती हैः

1. किसी व्यक्ति पर लांछन अथवा झूठा आरोप लगाना।
2. स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अथवा अश्लीलता फैलाना।
3. विभिन्न राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में बाधक बनना।
4. बालकों व किशोर वय के नागरिकों को अपराध, हिंसा, जुगुप्सा, यौन अपराध के लिये प्रेरित करना।
5. दूसरे व्यक्तियों द्वारा रचित लेख, कविता, गीत, चित्र, संगीत आदि को अपने नाम से प्रचारित करके श्रेय लेना इत्यादि।

हमारे देश में प्रचलित प्रेस कानून इन्हीं बिन्दुओं के अनुरूप बनाए गए हैं तथा ऐसे मामलों को हतोत्साहित करने के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है।

हमारे देश में मीडिया के लिए कानूनों की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। शुरुआती दौर में प्रेस के खिलाफ कानून के इस्तेमाल का उदाहरण देश के प्रथम समाचार पत्र के प्रकाशन के दौरान ही देखने में आ गया था जब अठारहवीं शताब्दी में तत्कालीन ब्रिटिश गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, उनकी पत्नी तथा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के प्रकाशन के विरोध में सम्पादक, प्रकाशक जेम्स आगस्टस हिकी को जेल भेज दिया गया था। यद्यपि उस दौर में प्रेस कानून अस्तित्व में नहीं थे और अदालती कार्यवाही के द्वारा ही प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। 1799 में पहली बार समाचार पत्र में संपादक, प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम प्रकाशित किया जाना अनिवार्य किया गया। इसी दौरान प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप भी लागू की गई। 1823 में प्रेस के लिये लाइसेंस प्रथा लागू की गई लेकिन 1835 में इसे संशोधित करके समाचार पत्रों के 'मेटफाक्स एक्ट' के तहत काफी राहत दी गई तथा लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई। इसके बाद समाचार पत्र कानून की परिधि में रहकर समाचार प्रकाशन के लिये स्वतन्त्र हो गए। हालांकि 1857 में लार्ड केनिंग ने लाइसेंस प्रथा पुनः प्रारम्भ कर दी।

जब भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) लागू हुई तो इसमें प्रेस सम्बन्धी नियम नहीं थे लेकिन सामान्य कानून के तहत आम नागरिकों की ही तरह समाचार पत्रों के संपादकों, प्रकाशकों व लेखकों के लिये भी मानहानि, अश्लीलता फैलाने जैसे मामलों में दोषारोपण की शुरुआत इसी के साथ हो गई थी। प्रेस से सम्बन्धित पहला कानून 1867 में प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के रूप में अमल में आया।

पराधीन भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने के लिये मुख्यतः दो कानून बनाए गए। 1878 में लार्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया किन्तु अपनी कठोरता के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ और इसे मात्र तीन वर्ष बाद 1881 में समाप्त करना पड़ा। इसके तहत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध विद्रोहपूर्ण लेखन से रोका जाना था। दूसरा कानून शासकीय गुप्त बात अधिनियम था जिसके तहत किसी भी प्रकार की सरकारी जानकारी प्राप्त करना, दस्तावेज साथ रखना आदि प्रतिबन्धित व दण्डनीय का कारक बनाया गया था।

ब्रिटिश काल में समय–समय पर विभिन्न अन्य कानूनों द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित रखने के प्रयास किए जाते रहे लेकिन व्यापक विरोध के बाद उन्हें संशोधित या समाप्त भी किया जाता रहा।

स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद कानून का उपयोग समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने नहीं बल्कि उनके विकास के लिए किया गया जिसमें अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन समाज व देश पर हानिकारक प्रभाव डाल सकने वाले समाचारों पर यथोचित रोक के लिये लागू कानून यथावत ही रखे गये । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिनियम भी लागू किये गए।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** किन समाचारों से समाज को हानि पहुँच सकती है?

**प्रश्न 2–** पराधीन भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए दो कानून कौन से हैं?

## 2.4 प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रताः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की लालसा ने प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को हमेशा ही कुचलना चाहा है। सत्ता और प्रेस की स्वतन्त्रता के बीच लम्बे समय तक संघर्ष की स्थिति बनी रही है। अनेक विचारकों तथा शासन व्यवस्थाओं ने प्रेस को स्वतन्त्रता न देना ही उचित समझा जबकि कुछ विचारक तथा व्यवस्थाएँ इस स्वतन्त्रता की पक्षधर भी रहीं।

सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो विचारो की अभिव्यक्ति का समर्थक नहीं था। प्लेटो के अनुसार केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही सत्ता का हकदार है तथा हर आम व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। अपनी पुस्तक 'द रिपब्लिक' में प्लेटो ने कहा है कि सत्ता को ही कला, संस्कृति, लेखन, संगीत आदि पर नियन्त्रण का अधिकार है। वे सत्ता को आम आदमी से बहुत ऊपर और उत्कृष्ट मानते हैं।

प्लेटो की ही तरह मैकियोवैली तथा जार्ज हीगेल ने भी सत्ता को सर्वोच्च और उत्कृष्ट दर्जा प्रदान किया है।

लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद से यह परिदृश्य बदलने लगा। जॉन मिल्टन ने अपनी पुस्तक 'ऐरोवैजिटिका' में यह विचार प्रतिपादित किया है कि अपने हित और अहित की चिन्ता करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है तथा सत्य को हमेशा के लिए दबा कर नहीं रखा जा सकता। अठारहवीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि–' सत्ता की भूमिका समाज के बड़े वर्ग के हित का संरक्षण करने वाली होनी चाहिए। मिल ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता की वकालत की।

उन्नीसवीं शताब्दी में प्रेस के बढ़ते प्रभाव तथा विभिन्न राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के बाद अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के पैरोकारों की तादाद में भारी वृद्धि हुई और इसे सार्वजनिक स्वीकृति मिलने लगी। लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना के बाद विशेषकर 1923 के बाद जेनेवा कान्फ्रेन्स और अन्य संगोष्ठियों के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में सूचना की स्वतन्त्रता का घोषणापत्र जारी किया।

हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान विभिन्न ऐसे कानून बनाए जाते रहे जो प्रेस की स्वतन्त्रता के खिलाफ थे किन्तु इनका व्यापक विरोध होने के कारण इन्हें कुछ ही समय बाद वापिस भी करना पड़ा या इनमें संशोधन करना पड़ा। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लागू भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किये जाने के बाद भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। यह हम जान चुके हैं कि भारत के सविधान के 19 से 22 अनुच्छेदों में स्वतन्त्रता के अधिकारों के विविध पक्षों का उल्लेख किया गया है। साथ ही संविधान के प्रथम (1951) तथा सोलहवें (1963) संशोधनों में इस स्वतन्त्रता पर सात प्रकार के प्रतिबन्ध लगााए गए हैं–राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अवमान, मानहानि तथा अपराध उद्दीपन। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में स्पष्टतः कहा है कि 'इस स्वतन्त्रता का प्रयोजन यह है कि सरकारी और सार्वजनिक अधिकारी जनता के दिमाग के अभिभावक नहीं बन सकते। वर्ष 2005 में लागू सूचना के अधिकार अधिनियम के बाद अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को और अधिक बल मिलता है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** विचारों की स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक पक्षधर कौन थे ?

**प्रश्न 2–** 1946 में सूचना की स्वतन्त्रता का घोषणापत्र किसने जारी किया ?

**प्रश्न 3–** भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का उल्लेख है?

## 2.5 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता :

हमारे संविधान के 19वें से 22वें अनुच्छेदों में स्वतन्त्रता के अधिकारों के विविध पक्षों का विवेचन किया गया है। 19वें अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हैं–

1. वाक् स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य की
2. शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की
3. संगम या संघ बनाने की
4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का और बस जाने की
6. कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार और।

यहां यह स्पष्ट है कि संविधान में प्रेस की स्वतन्त्रता का कोई प्राप्त अधिकार नहीं दिया गया है, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में ही वस्तुः प्रेस की स्वतन्त्रता का अधिकार भी समाहित है।

भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की है। किन्तु यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह स्वतन्त्रता निर्बाध नहीं है अपितु इसमें समाज व देश हित के अनुरूप कुछ प्रतिबंध भी हैं ।

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक है कि उस माध्यम को भी उतनी ही स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके जितनी संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत देश के नागरिकों को दी गई है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के ही अन्तर्गत प्रेस की स्वतन्त्रता को भी सम्मिलित माना गया है। यह स्पष्ट है कि प्रेस की स्वतन्त्रता के बगैर वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अर्थहीन है, क्योंकि प्रेस ही मुख्यतः विचारों की वाहक है। यहां यह भी जान लेना चाहिए कि इस स्वतन्त्रता के तहत चिह्न, अंक, संकेत (शारीरिक भाषा) को भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम माना गया है। यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अनेक उद्देश्य हैं वह इसके द्वारा सम्पादित होने वाले कार्यों की सूची बहुत लम्बी है लेकिन मुख्यतः इसके निम्न उद्देश्य माने जाते हैं:

1. व्यक्ति की आत्म उन्नति में सहायक होना।
2. सत्य की खोज में सहायक होना।
3. निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ करना और।
4. स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन में युक्ति युक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होना।

आमतौर पर यह समझा जाता है कि प्रेस की अभिव्यक्ति कोई अतिरिक्त या निर्बाध स्वतन्त्रता है तथा वह किसी के भी खिलाफ किसी प्रकार के आरोप या लांछन लगा सकती है किन्तु ऐसा नहीं है। आम नागरिक व प्रेस को यह स्वतन्त्रता एक ही अधिनियम द्वारा समान रूप से दी गई है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतन्त्रता के अधिकारों के विषय में बताया गया है ?

**प्रश्न 2–** वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विषय में संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है ?

## 2.6 संसदीय विशेषाधिकार एवं अवमानना :

हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही अंततः शासक होता है। जनता द्वारा अपने क्षेत्र से संसद के लिये चुने गए प्रतिनिधि संसद में अपने संसदीय क्षेत्र तथा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार संसद देश की सर्वोच्च संस्था है जो देश के अनुकूल नियम कानूनों का निर्माण, उनमें समयानुसार परिवर्तन, विभिन्न योजनाओं के निर्माण तथा नीति निर्धारण करने की अधिकारी है। यह संस्था जहाँ देश के समक्ष उपस्थित तात्कालिक समस्याओं का समाधान करती है वहीं भविष्य के अनुरूप दूरगामी योजनाएँ व नीतियाँ भी निर्धारित करती है। इस प्रकार अत्यन्त जिम्मेदारी का कार्य संसद द्वारा निष्पादित किया जाता है। अतः इसके सदस्यों को विभिन्न अधिकार भी प्राप्त हैं जिससे वे

बगैर भय तथा दबाव के संसद में अपनी बात और राय को रख सकें। ऐसे अधिकार संसद के विशेषाधिकार कहलाते हैं। इनके तहत विभिन्न प्रकरणों में समाचार की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों के लिये आवश्यक है कि वे ऐसी किसी टिप्पणी या समाचार से बचें जिससे कि जाने अनजाने में संसद की अवमानना हो तथा उसके कार्यों पर अनुचित संशय या अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो। इसके लिये सम्बन्धित पत्रकारों को उन विशेषाधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है जो कि संसद को प्राप्त हैं।

***भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की है। किन्तु यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह स्वतन्त्रता निर्बाध नहीं है अपितु इसमें समाज व देश हित के अनुरूप कुछ प्रतिबंध भी हैं।***

संसद के भीतर सांसदों का प्रमुख कार्य भाषण या अपनी बात को कहना ही होता है जिसमें विधेयक प्रस्तुत करना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना, प्रश्न करना, जानकारी मांगना नीति व कार्य की प्रगति सम्बन्धी सवाल करना आदि शामिल हैं। इस सबमें कभी कोई विवादास्पद प्रकरण भी शामिल हो सकता है। अतः सांसदों को वाक स्वतन्त्रता का अधिकार आवश्यक है। यद्यपि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तो देश के हर नागरिक को प्राप्त है किन्तु संसद के भीतर सांसदों को वाक् व अभिव्यक्ति की जो स्वतन्त्रता प्राप्त है वह संसद के बाहर एक आम नागरिक या फिर स्वयं सांसद को भी प्राप्त ऐसी स्वतन्त्रता से कहीं बढ़कर है। ज्ञात रहे कि संसद के बाहर एक सांसद व एक आम नागरिक को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता बराबर व समान है। जबकि अनुच्छेद 105 के तहत संसद के भीतर सांसद की यह स्वतन्त्रता अधिक व्यापक स्वरूप रखती है।

इसके अनुसार देश हित के लिये संसद के भीतर किसी सांसद द्वारा कही गई बात की आलोचना नहीं की जा सकती भले ही वह संसद के भीतर विवाद का विषय बनी हो अथवा उसके द्वारा किसी पर दोषारोपण किया गया हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आलोचना न किये जा सकने सम्बन्धी यह कवच या अधिकार सांसदों को केवल संसद के भीतर कही गई बातों के लिये ही उपलब्ध है। संसद के बाहर उनके द्वारा कही गई बातों की भी आलोचना की जा सकती है।

हालांकि संसद के भीतर अतिरिक्त स्वतन्त्रता के बावजूद स्वतन्त्रता निर्बाध व असीमित नहीं होती तथा कतिपय विषयों पर चर्चा की स्वतन्त्रता नहीं भी होती जिनमें न्यायालय या न्यायाधीशों के आचरण सम्बन्धी बातें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी सांसद द्वारा संसद के भीतर कही गई कोई बात अध्यक्ष को अनुचित या आपत्तिजनक लगती है । तो वह इसे संसद की कार्यवाही में शामिल न करने का निर्देश दे सकते हैं। यहाँ पत्रकारों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी सांसद द्वारा कही गई किसी ऐसी आपत्तिजनक बात को जिसे तथा अध्यक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही में शामिल करने से मना कर दिया गया हो तो उन्हें भी इस पर टिप्पणी, आलोचना तथा उल्लेख करने से बचना चाहिए। वे अपरोक्ष रूप से सिर्फ यह कह या लिख सकते हैं कि फलां सांसद की टिप्पणी को संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि संसद में की गई चर्चा व दिये गए भाषण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है।

जहाँ तक संसद की कार्यवाहियों के प्रकाशन अथवा इससे सम्बन्धित समाचारों के प्रकाशन का सवाल है पूर्व में यह प्रकाशन केवल संसद के प्राधिकार से अथवा उसके अधीन ही किये जाने की व्यवस्था

थी। लेकिन इस बात को ध्यान मे रखकर कि जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि संसद के भीतर उनके प्रतिनिधि क्या चर्चाएं करते हैं और विभिन्न विषयों पर उनकी क्या राय है ? धीरे–धीरे संसद की कार्यवाहियों के प्रकाशन सम्बन्धी प्रावधानों को शिथिल किया जाता रहा। 1956 में संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन–संरक्षण) निवारण अधिनियम, 1977 में संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन–संरक्षण) अधिनियम तथा 1978 में पारित संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम के बाद संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन एक संवैधानिक अधिकार बन चुका है। यद्यपि संसद की गोपनीय बैठक व कार्यवाही तथा अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही में शामिल न किये गए अंशों के प्रकाशन पर रोक पूर्ववत है। अब तो लोक सभा टीवी के जरिए संसदीय कार्यवाही का सजीव प्रसारण भी देखा जा सकता है।

सांसदों को प्राप्त अन्य विशेषाधिकारों में महत्वपूर्ण है गिरफ्तारी से छूट का विशेषाधिकार। आपराधिक आरोपों, न्यायालय की अवमानना जैसे मामलों के अतिरिक्त सिविल मामलों में संसद सदस्य को संसद का अधिवेशन शुरू होने से चालीस दिन पूर्व तथा समाप्ति के चालीस दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जिससे वह अधिवेशन की तैयारी व उसके निष्कर्षों का अध्ययन कर सके। हालांकि आपराधिक और कोर्ट की अवमानना के आरोप में संसद सदस्य को अधिवेशन के दौरान भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन किसी सांसद को गिरफ्तार किये जाने पर संसद सदस्यों को गिरफ्तारी, कारावास या उनकी रिहाई सम्बन्धी जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सदस्यों को संसद या संसद परिसर से लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की पूर्व स्वीकृति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी की दशा में सांसद लोक सभा अध्यक्ष सहित किसी भी संसदीय समिति के सभापति को पत्र लिख सकता है व इस पत्र को लिखने व सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुँचाये जाने से रोका नहीं जा सकता।

**देश हित के लिये संसद के भीतर किसी सांसद द्वारा कही गई बात की आलोचना नहीं की जा सकती भले ही वह संसद के भीतर विवाद का विषय बनी हो अथवा उसके द्वारा किसी पर दोषारोपण किया गया हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आलोचना न किये जा सकने सम्बन्धी यह कवच या अधिकार सांसदों को केवल संसद के भीतर कही गई बातों के लिये ही उपलब्ध है।**

संसद को गुप्त अधिवेशन बुलाये जाने, दर्शक दीर्घा खाली कराने, अवांछित या संदिग्ध व्यक्ति को प्रवेश न देने तथा संसद की अवमानना के लिये दण्डित किये जाने का विशेषाधिकार भी है। इसी प्रकार संसद को उन संसद सदस्यों को दंडित करने का अधिकार भी है जो संसद की गरिमा के विरूद्ध कार्य करें अथवा उनका आचरण संसद की गरिमा भंग करने वाला हो। यद्यपि संसद के कार्यकलापों में सर्वोच्च न्यायालय दखल नहीं कर सकता लेकिन यदि किसी विशेष परिस्थिति में संसद संविधान की व्यवस्थाओं से बाहर जाकर व्यवहार करती है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर भी सकता है।

संसद के सदनों की कार्यवाही के सही तथा सदाशयतापूर्ण प्रकाशन के विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमे की कार्यवाही नहीं की जा सकती लेकिन इस कार्यवाही को गलत, भ्रामक, दुर्भावनापूर्ण तरीके से अथवा तोड़ मरोड़कर प्रकाशित करने, उस पर निंदात्मक टिप्पणी करने या कार्यवाही से निकाले जा चुके अंश के प्रकाशन, किसी सांसद पर व्यक्तिगत द्वेष से लगाए गए आरोप, संसद की गुप्त कार्यवाही का

प्रकाशन अथवा संसदीय समिति की कार्यवाही या अन्य दस्तावेजों को सदन के पटल पर प्रस्तुत किये जाने से पहले ही उन्हें प्रकाशित कर देना विशेषाधिकार हनन तथा संसद की मानहानि माना जाता है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि संसद के विशेषाधिकार हमारे देश में पूरी तरह नियमबद्ध नहीं किये जा सके हैं। विवाद की स्थिति में भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकारों के अनुरूप निर्णय लिया जाता है। लेकिन पूर्णतः परिभाषित न होने के कारण संसद के विशेषाधिकार अस्पष्ट एवं असीमित हैं और विशेषकर पत्रकारों के लिये इनके हनन का दोषी ठहराए जाने का खतरा सदैव बना रहता है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री  जयललिता तथा हिन्दू समाचार पत्र के संपादक श्री एन.राम के विवाद में यह तथ्य उजागर हो चुका है।

ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि संसद की कार्यवाही के प्रकाशन में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में 'संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम 1956 प्रभावी है जिसे 'फिरोज गांधी एक्ट' भी कहा जाता है। इसके अनुसार समाचार पत्र, रेडियो, टीवी इत्यादि को नियमानुसार संसदीय कार्यवाही अथवा संसद के समाचारों का प्रकाशन या प्रसारण करना चाहिये : –

1. प्रकाशन सत्य एवं तथ्यपरक हो।
2. संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट ही प्रकाशित हो।
3. यह प्रकाशन अथवा प्रसारण जनहित के लिये हो।
4. ऐसा प्रकाशन या प्रसारण दुर्भावनापूर्ण न हो।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** संसदीय समाचार लिखते समय पत्रकार को क्या सावधानियां रखनी चाहिए ?

**प्रश्न 2–** संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद की स्वतन्त्रता क्या है?

**प्रश्न 3–** संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन एक संवैधानिक अधिकार कब बना ?

**प्रश्न 4–** क्या सांसदों को गिरफ्तारी से बचने के लिए विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं? इसके बारे में भी बताइये ?

**प्रश्न 5–** क्या सांसदों को संसद अधिवेशन के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है ?

## 2.7 प्रेस की स्वतन्त्रता से सम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण विषय :

प्रेस की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में भली भाँति जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम ओर कानूनों के बारे मे जानना  आवश्यक है। ये विषय हैं – सेंसरशिप, कॉपीराइट, अपकीर्ति (libel),सूचना की समीक्षा (Access to information)गोपनीयता का अतिक्रमण (Invasion of privacy)तथा संवाददाता के विशेषाधिकार(Reporter's priviledge).यहाँ हम सेंसरशिप, कॉपीराइट तथा अपकीर्ति के विषय में चर्चा करेंगे। यह भी बताना यहाँ आवश्यक है कि सूचना की समीक्षा का सम्बन्ध वाक् और अभिव्यक्ति की

स्वतन्त्रता से है। सूचना की सुरक्षा  का सम्बन्ध वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए सूचना की सुरक्षा अत्यावश्यक है।

गोपनीयता के अतिक्रमण के सन्दर्भ में भी हमारी जानकारी आवश्यक है। किसी देश की सुरक्षा, आत्माभिमान आदि के लिए गोपनीयता बनाए रखना अत्यावश्यक है और इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यावश्यक होता है। इन नियमों का उल्लंघन अपराध माना जाता है। इसी से जुड़ी बात पत्रकार के विशेषाधिकार से सम्बद्ध है। पत्रकार को यदि कई अधिकार हैं तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ बिन्दुओं को प्रकाशित न करना भी पत्रकार की एक जिम्मेदारी है।

### 2.7.1 सेंसरशिप :

भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की गारंटी देता है। संविधान के अनुच्छेद के 19(1) के तहत दी गई इसी गारंटी से प्रेस की स्वतन्त्रता भी सुनिश्चित होती है। प्रेस के लिए पृथक से ऐसी स्वतन्त्रता नहीं है, लेकिन विश्व के विभिन्न देशों में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हमारे देश जैसी नहीं है। अधिकतर देशों में यह भारत से कहीं कम है हालांकि ब्रिटेन तथा अमेरिका में यह हमारे देश से ज्यादा तथा व्यापक है। लेकिन अभिव्यक्ति की असीमित तथा निर्बाध स्वतन्त्रता समाज व देश के लिए घातक भी हो सकती है तथा इससे समाज में विद्वेष, वैमनस्य, अफवाहें और तनाव भी फैल सकता है और मित्र देशों और दूसरे राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों पर आँच भी आ सकती है, इसी प्रकार अश्लीलता और हिंसा बढ़ाने और फैलाने में भी यह मददगार हो सकती है। इन सबके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में सेंसरशिप या प्रेस पर नियन्त्रण के विविध पहलुओं को समझना और उनकी विवेचना आवश्यक है।

ब्रिटेन में प्रेस की स्वतन्त्रता अनियमित है। किन्तु युद्ध के समय देश की अखण्डता ख़तरे में न पड़े, इस आशय से वहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान Emergency Power Defence Actपारित किया गया, जिसका उद्‌देश्य समाचार पत्रों को ऐसे समाचारों के प्रकाशन से रोकना था जिससे सेना के सुचारु संचालन में बाधा पड़े। लेकिन इस कानून के प्रावधान युद्ध की समाप्ति के बाद वापिस ले लिए गए तथा ब्रिटेन में कभी भी सेंसरशिप किसी भी रूप में लागू नहीं की गई।

इसी प्रकार अमेरिका में किसी भी रूप में कोई भी सेंसरशिप लागू नहीं है तथा प्रेस को सेंसर नहीं किया जा सकता है। हालांकि वहाँ इस बात पर सैद्धान्तिक सहमति है कि युद्ध काल में देशहित में प्रेस पर सेंसरशिप लागू की जा सकती है।

हमारे देश में यद्यपि देश की रक्षा, अश्लीलता, घृणा, हिंसा, मानहानि, लेख व कृति की चोरी, कोर्ट की अवमानना आदि मामलों में एहतियात बरते जाने के उद्‌देश्य से विभिन्न कानून लागू हैं लेकिन इनका प्रयोग किसी ऐसे समाचार के प्रकाशन के बाद ही हो सकता है। इससे जो क्षति होती है वह एक बार हो ही जाती है, बाद मे तो सुधारात्मक कदम ही उठाए जा सकते हैं। इसलिए अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यहाँ समाचार के प्रकाशन या प्रसारण से पूर्व सेंसरशिप का भी प्रावधान है जो कि मुख्यतः देश की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने से सम्बन्धित है। हालांकि आपातकाल को छोड़कर इसका प्रयोग यहाँ लगभग न के बराबर ही हुआ है।

हमारे देश में फिल्मों में हिंसा, घृणा, अश्लीलता आदि को नियन्त्रित करने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड है जो फिल्मों को A,Uतथा UA प्रमाणपत्र देता है। यू प्रमाणपत्र प्राप्त फिल्में कोई भी देख सकता है और ए प्रमाणपत्र प्राप्त फिल्में केवल वयस्क देख सकते हैं, जबकि यूए प्रमाणपत्र प्राप्त फिल्में अवयस्क लोग किसी वयस्क के साथ ही देख सकते हैं। हालांकि टी वी या समाचार माध्यमों के लिए इस तरह संेसरशिप का प्रयोग नहीं किया जाता हालांकि इसका प्रावधान है।

भारत में सेंसरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल (Emergency) के दौरान देखने को मिला था जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित हुआ और अनुच्छेद 19(2) को निलम्बित कर दिया गया। हमारे देश में सांवैधानिक व्यवस्था के तहत युद्ध के अलावा शान्ति काल में भी सेंसर लागू किया जा सकता है, यह तथ्य इसी घटना के बाद जाहिर हो पाया था। यद्यपि इसका उद्देश्य शान्तिकाल में भी देश की सुरक्षा और समाज में शान्ति सौहार्द कायम रखना तथा हिंसा, घृणा, अश्लीलता और अफवाहों को फैलाने से रोका जाना ही है लेकिन तत्कालीन दौर में सत्ता व अधिकारियों द्वारा इसके दुष्प्रयोग की शिकायतें बहुतायत से आईं। इस दौरान सैंकड़ों की तादाद में समाचारपत्र बंद हुए व हजारों पत्रकारों को जेल में बन्द कर दिया गया। इसकी सर्वत्र व्यापक आलोचना भी हुई। इस दौरान भारतीय सुरक्षा नियम 48(1) के तहत विभिन्न प्रकार के समाचारों के प्रकाशन से पूर्व अनुमति लिए जाने की व्यवस्था की गई जिसके कार्यान्वयन में सम्बन्धित अधिकारियों पर प्रेस के प्रति अनावश्यक ज्यादती और सख्ती के आरोप लगे। सामान्य और स्वस्थ आलोचना को भी इस दौर में कितना बड़ा अपराध मान लिया जाने लगा था। प्रसिद्ध कवि दुष्यन्त कुमार ने इस पर व्यंग्य करते हुए लिखा था—

***मत कहो आकाश में कोहरा घना है,***

***यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।***

इन ज्यादतियों के मामले कोर्ट के समक्ष भी आए जिनपर कोर्ट ने गम्भीर टिप्पणियाँ भी कीं। गुजरात हाईकोर्ट ने इन्हें 'समाज का गला घोटने' के समकक्ष मानते हुए यह माना कि समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार के कार्यकलापों के विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन लोकतान्त्रिक व्यवस्था की मूलभूत आवश्यकता है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी अकारण सेंसरशिप को अनुचित ठहराया है।

वर्तमान दौर में मीडिया के बढ़ते प्रभाव तथा न्यायिक सक्रियता के दौर में हमारे देश में सेंसरशिप की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे लागू भी किया जा सकता है।

### 2.7.2 अपकीर्ति (Libel) :

मानहानि दो प्रकार की होती है— 1. मौखिक तथा 2. लिखित। मौखिक मानहानि को झूठी निंदा (Slander) या बदनामी कहा जाता है। लिखित मानहानि को अपकीर्ति (Libel) कहा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा यदि किसी की मानहानि इस प्रकार से की जाए जिसका स्वरूप स्थाई हो तो यह अपकीर्ति (Libel) कहलाती है। स्थाई से तात्पर्य है लिखित रूप या ऑडियो वीडियो माध्यम से यदि मानहानि प्रकाशित हो जाती है तो इसे बाद में भी पढ़ा—देखा—सुना जा सकता है। इस प्रकार मानहानि का प्रमाण स्थाई रूप में उपलब्ध होने के कारण इसे कोर्ट और अन्यत्र प्रस्तुत किया जा सकता है तथा यह एक

अधिक सशक्त एवं विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। झूठी निन्दा इससे भिन्न है। स्लेन्डर में केवल बोले गए शब्दों या इशारों में की गई मानहानि होती है जो स्थाई प्रमाण के रूप में उपलब्ध न हो।

### 2.7.3 कॉपीराइट एक्ट :

किसी साहित्यिक कृति, संगीत, कविता, पेंटिंग इत्यादि को बौद्धिक सम्पत्ति माना जाता है। यदि ऐसी किसी कृति का कोई अन्य व्यक्ति अनाधिकृत उपयोग करे तो उसे गैरकानूनी माना जाता है। इसी उद्देश्य से 1957 में कापीराईट एक्ट बनाया गया जो 21 जनवरी 1958 से लागू हुआ। यह कानून यह मानता है कि कोई भी साहित्यिक, सांगीतिक,पेंटिंग, चित्रादि रचनाकार की सम्पत्ति है ओर इसे इसके मूल रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके तहत किसी भी रचना में रचनाकार के बौद्धिक श्रम, समय, का अनधिकृत प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस कानून में किसी रचना के मूल रूप से छेड़छाड़ करना, किसी अन्य की रचना का प्रकाशन करना, इसकी नकल करना या उसे बेचना, किराए पर देने, वितरित करना या उस कृति को स्वयं के द्वारा रचित किया गया दर्शाया जाना  आदि को अपराध मानते हुए उस पर सजा का भी प्रावधान है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** सेंसरशिप क्या है?

**प्रश्न 2–** सेंसरशिप की आवश्यकता क्यों होती है ?

**प्रश्न 3–** ब्रिटेन में पारित इमरजेन्सी पावर डिफेन्स एक्ट (Emergency Power Defence Act)क्या है ?

**प्रश्न 4–** आपातकाल में समाचार पत्रों व पत्रकारों के साथ कैसा सलूक हुआ ?

**प्रश्न 5–** अपकीर्ति से क्या आशय है

**प्रश्न 6–** अपकीर्ति और झूठी निन्दा में क्या अन्तर है?

**प्रश्न 7–** क्या उपन्यास बौद्धिक सम्पदा है ?

**प्रश्न 8–** किसी रचना की नकल करना अपराध है ?

**प्रश्न 9–** कॉपीराइट एक्ट कब बना और कब लागू हुआ ?

## 2.8 सारांश :

कोई भी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लोकहित को ध्यान में रखकर की जाती है और यह व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्रता का पूरा अधिकार देती है। वह उसे वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता देती है । पूरे देश में कहीं भी रहने की , किसी भी धर्म को मानने की स्वतन्त्रता देती है, किन्तु साथ ही वह पूरे देश में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कतिपय कानूनों को भी लागू करती है ताकि नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का सम्यक्बोध हो सके।

यह तो निर्विवाद है कि मीडिया की भी इस प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उसके अधिकार और दायित्व दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उसे यदि अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है तो उसकी मनमानी अभिव्यक्ति पर अंकुश भी अत्यावश्यक है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी को भलीभाँति समझकर ही लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ के रूप में अपनी भूमिका निभा सकता है। किसी नये पत्रकार को इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।

## 2.9 शब्दावली :

**कॉपीराइट :** किसी साहित्यिक कृति, संगीत, कविता, पेंटिंग इत्यादि को बौद्धिक सम्पत्ति माना जाता है। यदि ऐसी किसी कृति का कोई अन्य व्यक्ति अनाधिकृत उपयोग करे तो उसे गैरकानूनी माना जाता है।

**अपकीर्ति :** मानहानि दो प्रकार की होती है– 1. मौखिक तथा 2. लिखित। मौखिक मानहानि को Slanderयानी झूठी निंदा या बदनामी कहा जाता है, लिखित मानहानि को Libel यानी अपकीर्ति कहा जाता है।

**विशेषाधिकार :** कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अपने राजकीय कार्यों का निष्पादन करने के लिए संविधान ने कुछ विशेष अधिकार दिए हैं जिन्हें विशेषाधिकार कहते हैं।

**सेंसर :** अभिव्यिक्ति की निर्बाध और स्वच्छंद प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की प्रकिया सेंसरशिप है।

**संविधान :** किसी भी लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए नियमों, कानूनों, नीति–निर्देशों की आवश्यकता होती है। संविधान में इन सभी का समायोजन किया जाता है।

**लोकतंत्र :** जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक व्यवस्था है।

## 2.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर :

**2.3 के उत्तर**

**उत्तर 1–** किसी व्यक्ति पर लांछन अथवा झूठा आरोप लगाना, स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अथवा अशिष्टता फैलाना, विभिन्न राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में बाधक बनना, बालकों, किशोरवय के नागरिकों को अपराध, हिंसा, जुगुप्सा, यौन अपराध के लिए प्रेरित करना, दूसरे व्यक्तियों द्वारा रचित लेख, कविता, गीत, चित्र, संगीत इत्यादि को अपने नाम से प्रचारित करके उनका श्रेय खुद ले लेना आदि समाज के लिए हानिकारक माना जाता है।

**उत्तर 2–** 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा शासकीय गुप्त बात अधिनियम।

**2.4 के उत्तर**

**उत्तर 1–** जॉन मिल्टन, जॉन स्टुअर्ट मिल विचारों की स्वतंत्रता के प्रारम्भिक पैराकार माने जाते हैं।

**उत्तर 2–** संयुक्त राष्ट्र संघ ने।

**उत्तर 3–** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का उल्लेख है।

**2.5 के उत्तर**

**उत्तर 1–** 19 वें अनुच्छेद में स्वतन्त्रता के अधिकारों के विषय में बताया गया है।

**उत्तर 2–** अनुच्छेद 362(ए) में स्वतन्त्रता के विषय में चर्चा की गई है।

**2.6 के उत्तर**

**उत्तर 1–** संसद से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के समाचार की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों के लिए आवश्यक है कि वे ऐसी किसी टिप्पणी या समाचारों से बचें जिससे संसद की अवमानना हो या सदन के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना बने और उसके कार्यों पर अनुचित प्रभाव पड़े।

**उत्तर 2–** अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के भीतर किसी सांसद द्वारा कही गयी बात की आलोचना नहीं की जा सकती।

**उत्तर 3–** 1956 में संसदीय कार्यवाही निवारण अधिनियम, 1977 में संसदीय कार्यवाही प्रकाशन–संरक्षण अधिनियम तथा 1978 में पारित संविधान चालीसवां संशोधन अधिनियम के बाद संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन एक संवैधानिक अधिकार बन चुका है।

**उत्तर 4–** हां, सांसद को अधिवेशन शुरू होने से चालीस दिन पहले व चालीस दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अधिवेशन से पूर्व के चालीस दिनों में वह अधिवेशन की तैयारी करता है और बाद के चालीस दिनों में निष्कर्षों का अध्ययन करता है।

**उत्तर 5–** आपराधिक और कोर्ट की अवमानना के आरोप में सांसद को अधिवेशन के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है।

**2.7 के उत्तर**

**उत्तर 1–** अभिव्यिक्ति की निर्बाध और स्वच्छंद प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की प्रकिया सेंसरशिप है।

**उत्तर 2–** किसी भी चलचित्र, फिल्म या अन्य किसी माध्यम से समाज के किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय या व्यक्ति की भावनाएं आहत न हों, इसके लिए सेंसरशिप की आवश्यकता होती है। साथ ही समाज में गलत संदेश भी न जाये और दुष्प्रभाव भी ना पड़े इसके लिए भी सेंसरशिप की आवश्यकता होती है।

**उत्तर 3–** द्वितीय विश्व युद्ध के समय देश की अखण्डता खतरे में ना पड़े इस उद्देश्य से इमरजेन्सी पावर डिफेन्स एक्टपारित किया गया। जिसका उद्देश्य यह भी था कि समाचार पत्र कोई इस तरह की खबर न छापें जिससे सेना के सुचारू प्रबंधन में बाधा पड़े।

**उत्तर 4–** आपातकाल भारतीय पत्रकारिता के एक काला अध्याय था। इस दौरान अनेक समाचारपत्र बंद हुये और हजारों पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया।

**उत्तर 5–** लिखित मानहानि को अपकीर्ति कहा जाता है।

**उत्तर 6–** अपकीर्ति लिखित मानहानि है और मौखिक मानहानि को झूठी निन्दा या स्लेंडर (Slander)कहा जाता है।

**उत्तर 7–** हां उपन्यास एक बौद्धिक सम्पदा है।

**उत्तर 8–** हां, किसी रचना की नकल करना अपराध है।

**उत्तर 9–** कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना और 21 जनवरी 1958 से लागू हुआ।

## 2.11 सन्दर्भ ग्रन्थसूची :


1. गुप्ता, योगेश कुमार, : मीडिया के विविध आयाम, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।

2. भानावत, संजीव, : पत्रकारिता का इतिहास एवं जनसंचार माध्यम, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, जयपुर।

3. हरदान, हर्ष : हिन्दी पत्रकारिता के प्रतिमान, रचना प्रकाशन, जयपुर।

4. Padhy, K.S and Sahu R.N : The Press in India, Prespective in Development and Relevance, Kanishka Publishers Distributors, New Delhi,2005.


## 2.12 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री :


1. मीडिया के विविध आयाम, योगेश कुमार गुप्ता, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।

2. प्रेस विधि, संजीव भानावत, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, जयपुर।


## 2.13 निबंधात्मक प्रश्न :

प्रश्न 1– आपातकाल में प्रेस की भूमिका और सत्ता के हस्तक्षेप तथादमन पर प्रकाश डालते हुये भारतीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में बताइए ?

प्रश्न 2– ब्रिटिशकाल में व वर्तमान में समय में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध एक–दूसरे से किस तरह भिन्न हैं ?

प्रश्न 3– सेंसरशिप का क्या महत्व है ? वर्तमान समय में हमारे जनसंचार माध्यमों पर सेंसरशिप का क्या प्रभाव दिखाई देता है ?

प्रश्न 4–I Fear the Newspapers more then a hundred thousand bayonets. नेपोलियन बोनापार्ट के इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं व्याख्या कीजिए?

प्रश्न 5– संविधान के प्रथम व सोलहवें संशोधन में प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन–कौन से प्रतिबंध लगाए गए है?

# इकाई – 03

## प्रेस विषयक अधिनियम

**इकाई की रूपरेखा**


3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 प्रेस परिषद् और इसके उद्देश्य

3.4 प्रेस विषयक प्रमुख कानून

3.4.1 प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867

3.4.2 शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

3.4.3 औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954

3.4.4 युवक व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम 1956

3.4.5 प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957

3.4.6 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम–1986

3.5 मानहानि अधिनियम

3.6 सारांश

2.7 शब्दावली

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

2.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

2.11 निबंधात्मक प्रश्न


### 3.1 प्रस्तावना :

प्रेस विषयक अधिनियम कानूनों के आधार पर प्रेस जनहित के लिए तत्पर रहता है। जबकि प्रेस परिषद या प्रेस काउन्सिल प्रेस की आजादी और प्रेस तथा अन्य पक्षों के बीच सामंजस्य बनाने का कार्य करती है।

इस इकाई में प्रेस परिषद् और इसके उद्देश्य, प्रेस विषयक प्रमुख कानून, प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954, युवक व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम 1956, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम–1986, मानहानि आदि अधिनियमों की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई है।

इस इकाई का अध्ययन करने पर विद्यार्थी प्रेस सम्बन्धित सभी कानूनों व अधिनियमों से परिचित होगा, जिससे भविष्य में वह पत्रकारिता जगत में कदम रखते ही पत्रकारिता के सभी नियमों को बखूबी निभा पायेगा।

## 3.2 उद्देश्य :

पत्रकारिता की दिशा और दशा के अध्ययन के लिए आजादी के बाद दो प्रेस आयोगों की स्थापना हो चुकी है। पत्रकारिता के विकास और सुचारू निर्वहन के लिए समय–समय पर और भी अनेक आयोग समितियां तथा विशेषज्ञ दल गठित होते रहें है।

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से विद्यार्थी जान सकेंगे –

- प्रेस विषयक अधिनियमों के विषय में में।
- प्रेस से सम्बन्धित विविध कानूनों के विषय में ।
- मीडिया के सामाजिक दायित्वों के विषय में ।
- मीडिया पर नजर रखने वाले या प्रेस लॉ अथवा प्रेस की आचार संहिता से सम्बन्धित संस्थानों के विषय में ।

## 3.3 प्रेस परिषद् और इसके उद्देश्य :

विश्व की पहली प्रेस परिषद् या प्रेस काउन्सिल 1916 में स्वीडन में बनी। आज पूरे विश्व में पचास से अधिक देशों में प्रेस परिषद् हैं, जिनका कार्य प्रेस से जुड़े प्रत्येक वर्ग के लोगों में एक सम्यक् रिश्ता बनाना है। भारत में 12 नवम्बर, 1965 को संसद में पारित एक्ट के अनुसार 4 जुलाई, 1966 को पहली प्रेस परिषद् बनी। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.आर.मुथोलकर इसके अध्यक्ष बने और पत्रकारिता, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, न्याय तथा संस्कृति से जुड़े 25 लोग इसके सदस्य बने। सन् 1970 में न्यूज एजेन्सियाँ भी प्रेस काउन्सिल के अधीन हो गईं। आपातकाल के दौरान प्रेस काउन्सिल भंग कर दी गई थी मगर इमरजैन्सी के उपरान्त 1978 में यह पुनः अस्तित्व में आई। प्रेस काउन्सिल का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। प्रेस परिषद् में कुल 28 सदस्य होते हैं और उच्च न्यायालय में संयुक्त या अतिरिक्त रजिस्ट्रार की पात्रता रखने वाला न्यायिक अधिकारी परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करता है। प्रेस परिषद् के 28 सदस्यों का चयन एक निर्धारित प्रक्रिया द्वारा होता है। अध्यक्ष का चयन तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है।

भारतीय प्रेस काउन्सिल का प्रमुख उद्देश्य है—प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना। प्रेस परिषद् के अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति पी.वी. सावन्त के अनुसार—**'संविधान में निहित प्रेस की स्वतन्त्रता प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक या रिपोर्टर की स्वतन्त्रता नहीं है। यह स्वतन्त्रता तो नागरिकों को यथोचित मात्रा में सही सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता है।** वस्तुतः प्रेस एक ऐसी शक्तिशाली संस्था है जो सरकार बनवा और गिरवा भी सकती है। मगर यह भी सही है कि प्रेस की स्वतन्त्रता और लाभार्जन की वृत्ति विरोधाभासी है, क्योंकि यदि लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेस है तो फिर प्रेस की स्वतन्त्रता की बात निरर्थक है। इन्ही स्थितियों पर नजर रखने की भूमिका प्रेस परिषद की है। प्रेस परिषद् न केवल पत्रकारिता के मानदण्डों के सृजन और अनुपालन से जुड़ी है अपितु अखबार और पाठक के बीच सेतु का कार्य करती है और राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्वीकार करती है।

**प्रेस परिषद अधिनियम 1948 :—**

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार है तथा यहाँ पर प्रेस भी स्वतन्त्र है। ऐसे में विचारों की अभिव्यक्ति के लिये प्रेस एक महत्वपूर्ण व सशक्त माध्यम है। अभिव्यक्ति की स्वतन्ता के कारण अनेक अवसरों पर ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब इसका दुरुपयोग किसी व्यक्ति की मानहानि, झूठे दोषारोपण आदि के लिये भी हो जाता है। कभी—कभार अनजाने में भी ऐसा कृत्य हो जाता है। इसी प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति पर सही व समुचित आरोप लगाने पर जो बाहुबली हो ऐसी स्थिति भी बनती है जब वह प्रेस को दबाने व उत्पीड़ित करने का प्रयास करता है। इन स्थितियों में यह आवश्यक है कि प्रेस की स्वतन्त्रता के साथ ही उसकी निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता को कायम रखा जाए तथा न तो प्रेस किसी का उत्पीड़न करे और न ही कोई व्यक्ति या संस्था प्रेस का उत्पीड़न कर सके।

यद्यपि आई.पी.सी. तथा विभिन्न प्रेस कानूनों में ऐसे हालात से निपटने के व्यापक उपचार मौजूद हैं फिर भी केवल इसी उद्देश्य से भी एक अधिनियम बनाया गया है जिसे प्रेस परिषद अधिनियम 1978 कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रेस परिषद या प्रेस काउन्सिल का गठन किया गया है। जिसके उद्देश्य निम्नवत है :—

1. प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाए रखना।
2. समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों का स्तर बनाए रखना व उनमें सुधार के उपाय करना तथा उनकी स्वतन्त्रता बनाए रखने के उपाय करना।
3. पत्रकारों व पत्रकारिता के लिये आचार संहिता बनाना।
4. पत्रकारों में जिम्मेदारी, कल्याण, जनहित व उत्तरदायित्व आदि को प्रोत्साहन देना।
5. समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों से अपने स्तर, तकनीक आदि में सुधार के लिये सहायता सम्बन्धी उपाय करना व सुझाना।

इसके 28 सदस्यों में समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है जो कि निम्नवत् हैः

- 13 सदस्य श्रमजीवी पत्रकार होते हैं।

- 1 सदस्य समाचार एजेंसियों का प्रबन्धक।
- 6 सदस्य विभिन्न समाचार पत्रों के स्वामी।
- 5 संसद सदस्य तथा
- 3 सदस्य शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, विधि अथवा संस्कृति के क्षेत्र के विशेष जानकार होते हैं।

किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रेस का उत्पीड़न अथवा प्रेस द्वारा किसी व्यक्ति की मानहानि या उत्पीड़न किये जाने की शिकायत पर अथवा स्वयं के संज्ञान के आधार पर प्रेस परिषद निम्न अधिकार प्राप्त हैं :

1. सम्बन्धित व्यक्तियों को सम्मन (बुलावा) करना व उनका परीक्षण करना।
2. साक्ष्य आधारित शपथ व सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन, अध्ययन करना।
3. न्यायालय अथवा कार्यालय से लोक अभिलेखों की मांग करना।

प्रेस परिषद के समक्ष किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत किये जाने के लिये कोई शुल्क देय नहीं है। न्यायालय में कोई वाद दायर करने के लिये विभिन्न शुल्क अदा करने पड़ते हैं तथा वकील नियुक्त करना पड़ता है किन्तु प्रेस परिषद के समक्ष बगैर वकील के कोई व्यक्ति स्वयं अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है तथा पैरवी भी कर सकता है। यद्यपि प्रेस परिषद को किसी दोषी व्यक्ति को सजा दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है तथा इसकी प्रमुख शक्ति केवल दोषी की निन्दा करने, उसके कृत्य को गलत ठहराने व इसमें सुधार किये जाने के सुझाव तक ही सीमित हैं तो भी आपसी विवाद के अनेक मामलों में सम्बन्धित पीड़ित पक्ष को इतने से भी बड़ी राहत मिल जाती है कि एक अधिकृत संस्था द्वारा उसे निर्दोष तथा दूसरे पक्ष को दोषी करार दिया जाय। इस प्रकार परिषद् की विभिन्न मामलों के निस्तारण में प्रभावी व महत्वपूर्ण भूमिका है।

**भारतीय प्रेस परिषद की शक्तियाँ :**

प्रेस परिषद को अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां भी प्राप्त हैं। जिनमें से प्रमुख हैं :–

- यदि कोई समाचार पत्र या समाचार एजेंसी पत्रकारिता के विभिन्न मानदण्डों के उल्लंघन की दोषी पाई जाय तो उसकी परिनिन्दा।
- यदि कोई पत्रकार समाचार पत्र के माध्यम से किसी पर अनर्गल दोषारोपण करे तो उसकी परिनिन्दा व सम्बन्धित समाचार पत्र को पीड़ित व्यक्ति का पक्ष संतुलित व निषपक्ष रूप से प्रकाशित करने की सलाहय या सुझाव देना।

यद्यपि इस परिषद को न्यायालय की भांति दोषियों को दण्डित करने का अधिकार नहीं है किन्तु देश के विभिन्न प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ व जिम्मेदार नागरिकों की समिति द्वारा निंदा किया जाना तथा गलत आचरण का दोषी ठहराया जाना भी समाज के जिम्मेदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये

किसी सजा से कम नहीं है। इस प्रकार प्रेस परिषद सस्ता, सुलभ तथा त्वरित न्याय दिलाने वाली एक प्रमुख संस्था कही जा सकती है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** प्रेस काउंसिल का अध्यक्ष कौन हो सकता है ? वह किसके द्वारा चुना जाता है और कितने समय के लिए चुना जाता है ?

**प्रश्न 2–** भारत में पहली प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई ?

**प्रश्न 3–** प्रेस काउंसिल की अवधि कितनी होती है ?

**प्रश्न 4 –** भारत की प्रेस काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं ?

## 3.4 प्रेस विषयक प्रमुख कानून :

देश में पत्रकारिता के सुचार संचालन के लिए समय–समय पर अनेक कानून बनते रहें है। वर्तमान में भारत के प्रमुख प्रेस कानून निम्नवत हैं:

1. प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867
2. शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923
3. औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954
4. युवक व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम 1956
5. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957
6. प्रेस परिषद अधिनियम 1978

### 3.4.1 प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 :

समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तक आदि के प्रकाशन में प्रेस यानि प्रिटिंग मशीन की प्रमुख भूमिका है। इसके साथ ही समाचार पत्र आदि के प्रकाशन में संपादक, प्रकाशक व मुद्रक की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि किसी पत्र पत्रिका में कोई अवांछित सामग्री प्रकाशित हो जाती है तो ऐसे में प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के तहत सम्बन्धित पत्र–पत्रिका के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है प्रकाशित सामग्री के प्रकाशन की जिम्मेदारी किसकी है और वह जिम्मेदार व्यक्ति कौन हो यह तय करने के लिए किसी भी पुस्तक, पत्र–पत्रिका आदि में उसमें प्रकाशित सामग्री के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया जाता है। प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 ऐसे मामलों में कानून की सहायता करता है। प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि हर पत्र पत्रिका में मुद्रक, प्रकाशक, संपादक का नाम व प्रकाशन स्थल की जानकारी दी जाय।

> ***'संविधान में निहित प्रेस की स्वतन्त्रता प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक या रिपोर्टर की स्वतन्त्रता नहीं है। यह स्वतन्त्रता तो नागरिकों को यथोचित मात्रा में सही सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता है***
>
> **: पी.वी. सावंत, अध्यक्ष प्रेस काउन्सिल**

इसी अधिनियम में भारत में समाचार पत्रों के पंजीयक (Registrar of Newspapers in India) के अधिकार व भूमिका व समाचार पत्र, पुस्तक, संपादक, मुद्रक, प्रकाशक आदि को परिभाषित भी किया गया है। इनमें कानून का उल्लंघन किये जाने पर दी जाने वाली सजा का भी वर्णन किया गया है।

अधिनियम के तहत प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र में मुद्रक का नाम व मुद्रण स्थल, प्रकाशक का नाम व प्रकाशन स्थल का नाम छापा जाना अनिवार्य है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पत्र–पत्रिका या पुस्तक के मुद्रण व प्रकाशन का जिम्मेदार कौन व्यक्ति है।

इसी प्रकार संपादक का नाम छापा जाना भी अनिवार्य है। समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री के आपत्तिजनक पाए जाने पर फौजदारी कानून की धारा 124 (अ) के अन्तर्गत राजद्रोह (sedition), धारा 292 के अन्तर्गत अश्लील सामग्री प्रकाशित करने तथा धारा 499 व 500 के अन्तर्गत संपादक पर मानहानि की कार्रवाई की जा सकती है।

इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई है कि देश भर में किसी भी भाषा में एक ही नाम के दो समाचार पत्र नहीं हो सकते तथा किसी राज्य में एक नाम के दो समाचार पत्र नहीं हो सकते भले ही वे अलग–अलग भाषाओं में ही क्यों न हो लेकिन अलग–अलग राज्यों में व अलग भाषाओं में एक ही नाम का समाचार पत्र हो सकता है।

इस अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान निम्न हैंः

1. प्रत्येक समाचार पत्र में मुद्रक, प्रकाशक व संपादक का नाम, मुद्रण व प्रकाशन स्थल के नाम का उल्लेख होना चाहिए।
2. मुद्रण के लिये जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है।
3. समाचार पत्र के मालिक व संपादक का नाम प्रत्येक अंक में प्रकाशित होना चाहिए।
4. समाचार पत्र के नाम, प्रकाशन की भाषा, अवधि, संपादक, प्रकाशक आदि के नाम में परिवर्तन होने पर उसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को दी जानी आवश्यक है।
5. एक वर्ष तक समाचार पत्र का प्रकाशन न हो पाने की दशा में जानकारी सम्बन्धी घोषणा पत्र रद्द हो जाएगा।
6. प्रत्येक प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स इन इंडिया को तथा दो प्रतियाँ सम्बन्धित राज्य सरकार को निशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
7. रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया को वर्ष में एक बार समाचार पत्र का पूरा विवरण प्रेषित किया जाय व इसे पत्र में भी प्रकाशित किया जाय।

इसके अतिरिक्त अनेक अन्य प्रावधान भी इस अधिनियम में किये गए हैं जिनसे समाचार पत्रों व पुस्तकों सम्बन्धी जानकारी का रिकार्ड रखा जा सके।

### 3.4.2 शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 :

यह निर्विवाद है कि देश की एकता और अखण्डता अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज होती है और इनकी रक्षा के लिये कोई भी बलिदान दिया जा सकता है। आखिर हमारे देश के वीर सपूत इन्हीं की रक्षा के लिये तो अपना जीवन तक न्योछावर कर सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं। ऐसे में यदि कोई सूचना ऐसी हो जिसका गुप्त रखा जाना देश की एकता व अखण्डता की रक्षा के लिये आवश्यक हो तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिये और यदि कोई ऐसी संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक कर दे तो उसे निश्चित ही कठोर दण्ड दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये। शासकीय गुप्त बात अधिनियम इसी आधार पर बनाया गया था। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश की अखण्डता व एकता को अक्षुण्ण रखने के लिये जिन बातों का गुप्त रहना आवश्यक है उन्हें गुप्त ही रखा जाना चाहिए।

इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में महत्वपूर्ण परिभाषाओं तथा अन्य प्रावधानों का उल्लेख है। इसकी परिभाषाओं के अनुसार 'संसूचित' करने से अभिप्राय है किसी बात को रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पणी (नोट), दस्तावेज आदि के माध्यम से सूचना प्रसारित करना। इसी प्रकार 'प्रतिषिद्ध स्थान' से अर्थ है किसी रक्षा संस्थान, आयुधशाला, नौसैनिक, सेना अथवा वायु सेना का संस्थापन, सुरंग क्षेत्र, सिविल पोत का वायुयान आदि। गुप्त दस्तावेजों को रखे जाने का स्थान, रेल, सड़क, जलमार्ग, पुल आदि भी प्रतिषिद्ध स्थान के दायरे में आते हैं।

अधिनियम की धारा 3 जासूसी या गुप्तचरी से सम्बन्धित निषेधात्मक कार्यों का वर्णन करती है। इसके तहत देश की सुरक्षा तथा राष्ट्रहित के विरूद्ध कार्य के उद्देश्य से निम्न कार्य किया जाना दण्डनीय माना गया है–

1. किसी प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश करना, उसके निकट जाना, उसका निरीक्षण करना, उसका ऐसा रेखाचित्र, प्लान, माडल या नोट बनाना जो शत्रु के लिये उपयोगी हो।
2. ऐसी कोई सूचना प्रकाशित करना या किसी व्यक्ति को संकेत, कूटभाषा, माडल, प्लान, नोट, लेख अथवा दस्तावेज के माध्यम से कोई ऐसी सूचना देना जो किसी रूप में शत्रु के लिये उपयोगी हों अथवा जिनके प्रकटीकरण से देश की सार्वभौमिकता व एकता, सुरक्षा अथवा अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

ऐसा कोई अपराध करने के दोषी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।

इस अधिनियम की धारा 5 में उन जानकारियों का उल्लेख है जिन्हें सरकार गुप्त मानती हो। यहां उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह धारा सीधे तौर पर प्रेस के विरूद्ध नहीं है लेकिन प्रेस इससे बहुत ज्यादा प्रभावित अवश्य होती है। इसका दायरा बहुत व्यापक होने के कारण सरकार को विभिन्न मामलों में इसका उपयोग करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र की जानकारी किसी विदेशी के लाभ के लिये उपयोग करे, देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग करे, ऐसे रेखाचित्र, लेख, दस्तावेज, माडल आदि अपने अधिपत्य में रखे जिन्हें रखने का वह अधिकारी न हो अथवा अपने अधिकार क्षेत्र के ऐसे दस्तावेजों की

सावधानीपूर्वक रक्षा न करे जिससे उनके शत्रु के हाथ पड़ जाने का खतरा हो तो वह इस धारा के तहत तीन वर्ष की कैद या जुर्माने अथवा दोनों का भागी होगा।

इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास से कोड, संकेत, स्केच, माडल, लेख आदि के रूप में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हो जो किसी प्रतिबंधित क्षेत्र से सम्बन्धित हो, जिसका सम्बन्ध ऐसी वस्तु या स्थान से हो जिसके प्रकटीकरण से किसी रूप में शत्रु को मदद मिले या देश की एकता व अखण्डता आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके हासिल की गई हो या किसी वर्तमान अथवा पूर्व सरकारी अधिकारी या अपने मातहत किसी वर्तमान अथवा पूर्व कर्मचारी से हासिल की गई हो तो वह व्यक्ति जिसके पास से ऐसी निषिद्ध जानकारी प्राप्त होती है तीन वर्ष के कारावास, जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

इस अधिनियम की धारा 6 भी बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसके तहत निम्न कार्यों को निषिद्ध माना गया है:

1. किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी (सेना, नौसेना, वायु सेना, पुलिस आदि) की यूनिफार्म अथवा उससे मिलती–जुलती यूनिफार्म इस उद्देश्य से पहनना कि लोग उससे धोखा खा जाएं।
2. किसी दस्तावेज, घोषणापत्र, आवेदन पत्र इत्यादि में कोई झूठी जानकारी देना अथवा किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाना।
3. छद्म रूप से स्वयं को सरकारी पद पर दर्शाना।
4. सरकारी प्रयोग की मुहर आदि का गलत उपयोग, अनाधिकृत निर्माण या विक्रय अथवा व्यापार करना अथवा अनाधिकृत व्यक्ति को सौंपना।
5. पासपोर्ट, सरकारी दस्तावेज या प्रमाणपत्र, लाईसेंस आदि की नकल करना अथवा उनमें कोई हेराफेरी अथवा परिवर्तन करना।
6. विदेशी एजेंटों से सम्पर्क करना जिससे देश के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े।
7. इस प्रकार के अपराध करने वालों को आश्रय या संश्रय देना।

इन अपराधों के लिये भी इस अधिनियम के तहत तीन वर्ष के कारावास, जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान है।

### 3.4.3 औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 :

भारत में यद्यपि आज शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत हो चुका है और शिक्षा की दर (Literacy rate)भी बढ़ गया है किन्तु इसके बावजूद अवैज्ञानिक उपचार, तंत्र–मंत्र, जादू–टोने इत्यादि के प्रति लोगों में अन्धविश्वास की कमी नहीं है। ऐसे में लोग तमाम लाईलाज रोगों के उपचार के लिये ऐसे उपायों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं जिनसे उपचार के बजाय और अधिक हानि की गुंजाइश ज्यादा रहती है। 1954 में जब यह एक्ट बनाया गया था तब अशिक्षा, गरीबी आदि के कारण हालात और अधिक गम्भीर थे। हालांकि आज भी जहां–तहां नीम–हकीमों, तांत्रिकों, रहस्यमयी तरीकों से इलाज करने तथा जिन रोगों का

कोई इलाज न भी हो उन्हें चमत्कारिक तरीके से ठीक कर देने वाले लोगों व इन पर विश्वास करने वालों की भारी तादाद है। ऐसे उपायों का विज्ञापन करने व उन्हें प्रचारित प्रसारित करने पर रोक होना आवश्यक है क्योंकि विशेषकर समाचार पत्रों व समाचार माध्यमों में आने वाले विज्ञापनों पर लोग अधिक विश्वास करते हैं और पढ़े–लिखे तथा विवेकपूर्ण लोग भी ऐसे विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं।

इस अधिनियम के अनुसार हर प्रकार के दस्तावेज, सूचना, लेबल, प्रकाश या ध्वनि आदि के माध्यम से दी गई जानकारी इत्यादि को विज्ञापन माना गया है। इसके तहत निम्न वस्तुओं को औषधि माना गया है:

1. मनुष्यों या पशुओं के रोगों के निदान या उपचार के लिये प्रयोग की जाने वाली कोई वस्तु।
2. मनुष्यों या पशुओं के खाने पीने या बाहरी उपयोग की कोई वस्तु।
3. मनुष्यों या पशुओं की संरचना, आकार आदि पर प्रभाव डालने के आशय से प्रयुक्त खाद्य पदार्थ के अलावा कोई अन्य वस्तुएं।
4. ऐसे किसी पदार्थ को बनाने में प्रयुक्त होने वाले अन्य पदार्थ आदि।

इसके अतिरिक्त ऐसे उपायों के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले विद्युत चालित या अन्य उपकरणों के प्रयोग सम्बन्धी विज्ञापन भी आपत्तिजनक माने जाते हैं।

चमत्कारिक उपचार से आशय ऐसे उपचारों से है जो तंत्र–मंत्र, ताबीज–गंडे या अन्य उपायों से है जो पशुओं या मनुष्यों की शारीरिक संरचना, आकार इत्यादि पर कोई प्रभाव डालने का दावा करते हों।

इसके तहत गर्भपात, यौन सुख में वृद्धि करने, महिलाओं सम्बन्धी कतिपय अन्य समस्याओं का निवारण करने सम्बन्धी औषधियों के विज्ञापन तथा किसी प्रकार की औषधि तथा चमत्कारिक उपाय के बारे में भ्रम या विश्वास उत्पन्न करने वाले विज्ञापनों के निषेध का प्राविधान है। इस अधिनियम के तहत कोढ़, पागलपन, मिर्गी इत्यादि विभिन्न 54 प्रकार के ऐसे रोगों के इलाज की औषधियों सम्बन्धी विज्ञापन भी प्रतिबन्धित हैं जिनके उपचार की वैज्ञानिक विधि विकसित नहीं हुई है या केवल निर्धारित वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही इनका निदान सम्भावित हो।

साथ ही तंत्र–मंत्र, गंडे, ताबीज आदि तरीकों के उपयोग से चमत्कारिक रूप से रोगों के उपचार या निदान आदि का दावा करने वाले विज्ञापन भी निषेधित हैं।

इसके अनुसार ऐसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रमित करने वाले विज्ञापन दण्डनीय अपराध हैं जिनके प्रकाशन के लिये विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त समाचार पत्र या पत्रिका आदि का प्रकाशक व मुद्रक भी दोषी माना जाता है।

इस अधिनियम के अनुसार पहली बार ऐसा अपराध किये जाने पर छह माह के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों प्रकार से दंडित किये जाने का प्रावधान है जबकि इसकी पुनरावृत्ति करने पर एक वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से दंडित किये जाने की व्यवस्था है।

यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यदि इस प्रकार की बीमारियों से सम्बन्धित वैज्ञानिक या सामाजिक मान्यता के दृष्टिकोण से समाज को उचित दिशा दिये जाने के प्रयोजन से कोई पुस्तक प्रकाशित की जाय या सरकार से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी औषधि का विज्ञापन प्रकाशित किया जाय तो वह इस कानून की परिधि में नहीं आते हैं।

### 3.4.4 युवक व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम 1956 :

सामान्य तथा प्राकृतिक तौर पर बालक – बालिकाओं की बुद्धि एक परिपक्व वयस्क (adult) के मुकाबले कम होती है तथा उनमें सही गलत में भेद करने की समुचित क्षमता नहीं होती। उन्हें आसानी से बहकाया व भड़काया जा सकता है और थोड़ा सा भी गलत मार्गदर्शन से गलत प्रवृत्ति की ओर उनका रूझान आसानी से हो जाता है जिस कारण वे नशे, हिंसा, अपराध की ओर उन्मुख हो सकते हैं।

उन्हें ऐसे मार्ग पर जाने व भटकने से बचाने के लिये आवश्यक है कि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले व ऐसी सामग्री उपलब्ध न हो जो उनमें ऐसे विषयों के प्रति उत्सुकता व आकर्षण की भावना विकसित हो। पुस्तकों, साहित्य इत्यादि की युवा मन को प्रेरित करने व उसे सही दिशा देने व स्वस्थ चरित्र के निर्माण में अहम भूमिका है लेकिन यदि इन माध्यमों से उसे अवांछित व गलत जानकारी मिले तो यह उसके मानसिक व चारित्रिक विकास में बाधा डाल कर उसे गलत मार्ग पर चलाने को भी प्रेरित कर सकती है। आज के बालक–बालिकाएं ही आने वाले कल का भविष्य हैं इसलिये उन्हें गलत व अवांछित साहित्य उपलब्ध न हों इसके लिए निषेधात्मक उपाय किये जाने आवश्यक हैं। इसी उद्देश्य से 1956 में यह अधिनियम बनाया गया जो फरवरी 1957 से लागू हुआ।

इस अधिनियम के अनुसार हानिकारक प्रकाशन किसी पुस्तक, पुस्तिका, समाचार पत्र, पत्रिका, पैम्फलेट, लीफलेट या किसी भी ऐसे प्रकाशन को माना गया है जो सचित्र अथवा बगैर चित्रों के अथवा केवल चित्रों के ही द्वारा निम्न भावनाओं को अभिव्यक्त करें जो :

1. अपराध के प्रति प्रवृत्त करने वाली हों।
2. हिंसा, क्रूरता या उग्रता के प्रति प्रवृत्त करें।
3. भयावह, जुगुप्सा जगाने वाले या घृणित कार्यों के प्रति प्रेरित करें।

इस अधिनियम के तहत ऐसी सामग्री के लेखन या रचना करके व मुद्रण के अतिरिक्त इन्हें वितरित करने, सार्वजनिक प्रदर्शन या परिचालन, बेचने अथवा किराए पर देने, अपने कब्जे में रखने अथवा इनकी उपलब्धता जाहिर करने वाला विज्ञापन दिये जाने या उसे प्रकाशित करने पर प्रतिबन्ध है तथा ऐसा करने पर दण्ड का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत 20 वर्ष तक की आयु के बालक–बालिकाओं को 'युवक व्यक्ति' माना गया है।

इस अधिनियम के तहत उपरोक्त प्रतिबन्धित कार्य किये जाने पर छह माह के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। इससे सम्बन्धित अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं जिनमें बगैर वारंट के गिरफ्तारी का प्रावधान है।

### 3.4.5 प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 :

मनुष्य श्रम से सम्पत्ति अर्जित करता है उसकी रक्षा करता है। यदि सम्पत्ति की चोरी हो जाय तो सम्पत्ति चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है उसकी प्रकार किसी साहित्यिक कृति, संगीत, कविता, पेंटिंग इत्यादि की रचना में भी मनुष्य को शारीरिक व मानसिक श्रम, कला आदि का उपयोग करना पड़ता है यदि परिश्रमपूर्वक तैयार की गई ऐसी किसी कृति को कोई अन्य व्यक्ति अनाधिकृत उपयोग करे तो उसके विरूद्ध भी रचयिता को कानूनी संरक्षण मिलना चाहिये।

इसी उद्देश्य से 1957 में कॉपीराईट एक्ट बनाया गया जो 21 जनवरी 1958 से लागू हुआ। यह एक्ट मौलिक, साहित्यिक, संगीत, नाट्य, कला आदि रचनाओं पर लागू होता है।

**कापीराईट की अवधि :** प्रारम्भ में इस अधिनियम के तहत किसी कृति पर रचयिता का कापीराईट उसके जीवनकाल तथा उसकी मृत्यु के आगामी वर्ष से पचास वर्ष तक की अवधि तक माना गया था। 1991 में इसे संशोधित करके मृत्यु उपरान्त साठ वर्ष तक के लिये विस्तारित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत लेख, कविता, साहित्य, संगीत, फोटोग्राफ, फिल्म, मूर्ति, रेखाचित्र, नाटक, फिल्म इत्यादि को कापीराईट संरक्षण की परिधि में रखा गया है। इस प्रकार ऐसी किसी भी कृति का उपयोग कापीराइट अवधि तक मूल रचयिता अथवा कापीराईट के अधिकृत व्यक्ति की स्वीकृति के बगैर इनका व्यावसायिक प्रयोग, नकल या पुनरुत्थान नहीं कर सकता। व्यावसायिक प्रयोग में इसकी नकल करना या उसे बेचना, किराए पर देने, वितरित करना या उस कृति को स्वयं के द्वारा रचित किया गया दर्शाया जाना आदि शामिल है। कापीराइट विषयक नये संशोधनों के अनुसार जो वक्ता किसी विषय पर भाषण करता है । वह उस भाषण के कापीराइट का पहला स्वत्वाधिकारी होगा, चाहे उसका भाषण किसी भी संस्था द्वारा आयोजित किया गया हो। इसी तरह पुस्तकों की चोरी, तस्करी और जालसाजी की रोकथाम के लिए इस कानून में विशेष सजा का प्रावधान है। जालसाजी को अब हस्तक्षेप योग्य तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। इस अपराध के लिए छः माह से तीन साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

कापीराईट एक्ट का उल्लंघन किये जाने पर अपराध की गम्भीरता के अनुसार छह माह से लेकर तीन वर्ष तक के कारावास तथा पचास हजार रुपए से तीन लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है अथवा कापीराईट धारी व्यक्ति दोषी के विरूद्ध सिविलवाद दायर कर नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता है तथा मुआवजा प्राप्त कर सकता है।

कापीराईट अधिनियम के अधीन अपनी रचना संरक्षित करने व अधिनियम का लाभ पाने के लिये अपनी रचना का रजिस्ट्रेशन कराए जाने की भी व्यवस्था है।

**अपवाद** –कतिपय ऐसे प्रकरण हैं जिनमें कापीराईट उल्लंघन लागू नहीं होता।

इनमें प्रमुख हैं–

1. समाचारों व नेताओं, वक्ताओं के सार्वजनिक भाषणों पर।
2. अपनी कृति का संक्षेपण करना (संक्षेप करना)।

3. पुस्तक समीक्षा में प्रयुक्त उद्धरणों में।

4. समाचार के रूप में उपयोग हेतु अदालती कार्यवाही का प्रयोग।

5. किसी कृति से लिये गए उद्धरणों के स्रोत (पुस्तक व लेखक का नाम आदि) उल्लेख करते हुए लिखे गए लेख, निबन्ध, शोधपत्र इत्यादि पर।

6 .कापीराईट धारी व्यक्ति की स्वीकृति से किये गए उपयोग पर।

### 3.4.6 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम–1986 :

विज्ञापनों में स्त्रियों के अश्लील प्रदर्शन के निषेध पर 1986 में एक एक्ट बना जिसे **स्त्री का अश्लील प्रदर्शन निषेध एक्ट 1986** के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अनुसार–

- विज्ञापन– अथवा किसी प्रकार का नोटिस, लेबल, रैपर, अथवा कोई भी अन्य दस्तावेज अथवा रोशनी, आवाज, धुएँ अथवा गैस के माध्यम से बनाया गया कोई अश्लील दृश्यबिम्ब।
- किसी सामग्री का नमूने या किसी अन्य उद्देश्य से वितरण जो अश्लीलता फैलाता हो गैर कानूनी माना जाता है। यह अधिनियम स्त्री के अश्लील प्रदर्शन या चित्रण का विरोध करता है।
- स्त्री के अश्लील प्रदर्शन से तात्पर्य है कि स्त्री देह का कोई भी ऐसा प्रस्तुतीकरण, जो अभद्र, स्त्री की छवि को धूमिल करने वाला, नैतिकता और नैतिक मूल्यों को हानि पहुँचाने वाला हो। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक रूप से स्त्री का अश्लील चित्रण किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता।

इस अधिनियम के अन्तर्गत माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने का माध्यम नहीं बनेगा और प्रदर्शन या प्रकाशन का हिस्सा या सहायक नहीं बनेगा, जिससे स्त्रियों का अश्लील प्रदर्शन होता हो।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1 –** कानून की धारा 124 (अ) क्या है ?

**प्रश्न 2 –** धारा 292 का क्या प्रावधान है ?

**प्रश्न 3 –** शासकीय गुप्त बात अधिनियम क्यों बनाया गया?

**प्रश्न 4 –** गुप्त बात अधिनियम का उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है?

**प्रश्न 5–** गुप्त बात अधिनियम को परिभाषित करने में संसूचित शब्द से क्या अभिप्राय है?

**प्रश्न 6–** गुप्त बात अधिनियम में कौन से स्थान प्रतिषिद्ध स्थान के दायरे में आते हैं ?

**प्रश्न 7–** किन वस्तुओं को औषधि माना गया है?

**प्रश्न 8–** क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रमित करने वाले विज्ञापन दण्डनीय अपराध हैं?

**प्रश्न 9–** युवकों के लिए हानिप्रद प्रकाशन विषयक कानून कब से लागू किया गया?

**प्रश्न 10–** इस अधिनियम के तहत कितनी उम्र तक के युवक, युवतियों को युवक व्यक्ति माना गया है ?

**प्रश्न 11–** कॉपीराइट की अवधि कितनी होती है?

**प्रश्न 12–** कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किये जाने पर कितनी अवधि की सजा का प्रावधान है?

**प्रश्न 13–** क्या जालसाजी गैर जमानती अपराध है?

## 3.5 मानहानि अधिनियम :

भारतीय दण्ड संहिता के सेक्शन 499 में लिखा है–'Whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame that person'

इस व्याख्या से स्पष्ट है कि पत्रकारिता द्वारा किसी की मानहानि से क्या तात्पर्य है और किन परिस्थितयों में किसी की मानहानि हो सकती है।

मानहानि के मामलों में आई.पी.सी. की इस धारा के साथ–साथ पत्रकार को उन प्रावधानों का ध्यान भी रखना चाहिए जो भारतीय प्रेस परिषद तथा भारतीय विधि संस्थान द्वारा संसद के विशेषाधिकार हनन तथा संसद की मानहानि माने गए हैं। इनमें से प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं :

1. ऐसे प्रकाशन जो संसद या उसकी समिति के सम्मान को अथवा संसद की गरिमा को ठेस पहुँचाए।
2. सदन की कार्यवाही अथवा सदन के अधिकारी के सम्बन्ध में अमर्यादित या प्रतिकूल टिप्पणी।
3. किसी सदस्य के भाषण को तोड़ मरोड़कर ऐसे प्रस्तुत करना कि उसका भावार्थ बदल जाए अथवा किसी सदस्य के भाषण को दुर्भावनावश छिपाना।
4. संसदीय समिति की रिपोर्ट में गलत तथ्य देना।
5. संसद की गोपनीय कार्यवाही का प्रकाशन।
6. संसद के भीतर संसद के अध्यक्ष की निष्पक्षता पर प्रश्न चिह्न लगाना।
7. संसदीय व्यवस्था की मूल अवधारणा के लिये हानिप्रद टिप्पणी का प्रकाशन।
8. किसी संसद सदस्य का भाषण किसी दूसरे सांसद के नाम से प्रकाशित करना।
9. सदन की समिति या कार्यवाही को समिति का कार्य पूरा होने व सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही प्रकाशित कर देना अथवा सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रस्तावों का प्रकाशन।

10. संसद सदस्य के आचरण व चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी करना।

11. किसी संसदीय समिति के प्रति अशोभनीय टिप्पणी का प्रकाशन।

12. किसी फर्जी या जाली दस्तावेज को संसद का दस्तावेज बताते हुए प्रकाशित करना।

13. संसदीय समिति के समक्ष साक्ष्य देने वालों को प्रभावित करना या रोकना।

14. संसदीय समिति द्वारा पत्रकार से साक्ष्य मांगे जाऐं तो साक्ष्य न देना या, सम्बन्धित प्रश्नों तथा समाचार के स्रोत को न बताना।

15. किसी सदस्य को नशे या रिश्वत के प्रभाव में होना बताया जाना अथवा यह जाहिर कराना कि किसी प्रकरण में उसने पक्ष या विपक्ष में वोट किस कारण डाला।

इसके अतिरिक्त भी अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संसद का विशेषाधिकार हनन या मानहानि मानी जाती है तथा दंड का प्रावधान है।

संविधान के अनुच्छेद 105 (3) तथा 194 (3) के अन्तर्गत संसद अथवा विधानमंडल की अवमानना अथवा विशेषाधिकार हनन के लिये निम्न प्रकार के दण्ड का प्राविधान है :

1. चेतावनी दिया जाना
2. कारावास की सजा
3. प्रेस गैलरी से निष्कासन
4. क्षमा दान

आमतौर पर प्रेस और पत्रकारों के मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणी को बगैर शर्त वापस ले लिये जाने तथा गलती के लिये क्षमायाचना अथवा खेद व्यक्त कर दिये जाने को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

जिस प्रकरण को चेतावनी दिये जाने योग्य समझा जाता है उसमें सम्बन्धित दोषी व्यक्ति की सदन के समक्ष अध्यक्ष द्वारा निंदा की जाती है अथवा उसे फटकार लगाई जाती है।

इसके अतिरिक्त ऐसे भी उदाहरण हैं जब अवमानना के दोषी को 15 दिन के कारावास की सजा दी गई अथवा प्रेस गैलरी से निष्कासित कर दिया गया। सामान्य मामलों में माफी मांगने पर क्षमादान का भी प्रावधान है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** मानहानि का आशय . . . . . . . . . . . से है ?

**प्रश्न 2–** क्या स्वतन्त्र भारत में मानहानि विषयक कानून पृथक् सिविल लॉ है।

**प्रश्न 3–** भारतीय दण्ड संहिता में मानहानि विषयक कानून को कितनी व्याख्याओं से संकेतित किया जाता है?

## 3.6 सारांश :

सामाजिक चेतना की जागृति, लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास और सामाजिक न्याय की भावना एवं राष्ट्रीय एकता की भावना जनमन में जगाना– किसी भी प्रजाताि़न्त्रक व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें एक प्रजातान्त्रिक देश का नागरिक होने के नाते बहुत सारे अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त हैं तो अपने लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति हममें आस्था और विश्वास है। हम अपने मार्ग से विचलित न हो जाएँ, अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से, निर्भय होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकें और मानवता के प्रति प्रेम रख सकें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आचार संहिता का पूर्णतः पालन करें। पूरे विश्व में यह चेतना है और इसके तहत अनेक कानून बनाए गए हैं। ये कानून हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए और हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराने के लिए बनाए गए हैं।

***कापीराईट एक्ट का उल्लंघन किये जाने पर अपराध की गम्भीरता के अनुसार छह माह से लेकर तीन वर्ष तक के कारावास तथा पचास हजार रुपए से तीन लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है अथवा कापीराईट धारी व्यक्ति दोषी के विरूद्ध सिविलवाद दायर कर नुकसान की भरपाई की मांग कर सकता है तथा मुआवजा प्राप्त कर सकता है।***

प्रेस की आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे संविधान ने वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हमें दी है। प्रेस की आवाज को सम्यक् रूपेण जनमन तक पहुँचाने के लिए स्थापित प्रेस परिषद् का प्रमुख उद्देश्य है–प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तरों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना। वैस तो लोकतंत्र में प्रेस पर नियंत्रण की कोई गुजाईश ही नहीं है, मगर भारतीय लोकतंत्र तो हमेशा से ही प्रेस की स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर रहा है। फिर भी पत्रकारिता का दायित्व बोध बना रहे, पत्रकारिता अपनी सही दिशा में चलती रहे उसके लिए कुछ नियामक व्यसाय भी अपरिहार्य हैं। हमारे देश में अब इलेक्ट्रानिक मीडिया के दायित्व बोध को लेकर नई बहस छिड़ रही है और इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों पर आचार संहिता लागू करने जैसी मांग भी उठ रही है। हालांकि इलेक्ट्रानिक मीडिया खुद ऐसी पहल कर रहा है जिससे वह अपनी गल्तियों को स्वयं सुधार सके और इलेक्ट्रानिक मीडिया की ओर से स्वयं एक नियामक व्यवस्था लागू करने की पहल भी की गयी है। लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि वर्तमान में जो नियामक कानून हैं। वे प्रायः प्रिन्ट मीडिया पर ही केन्द्रित हैं। यद्यपि इलेक्ट्रानिक मीडिया पर भी वे समान रूप से लागू होते हैं लेकिन इलेक्ट्रानिक मीडिया का सूचना, समाचार एकत्र करने का तरीका और प्रसारण की व्यवस्था एकदम अलग होने के कारण इलेक्ट्रानिक मीडिया के कुछ विशेष दिशा निर्देशों की आवश्यकता से इन्कार नही किया जा सकता ।

## 3.7 शब्दावली :

**प्रेस परिषद :** पत्रकारिता के मानदण्डों के निर्माण और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1966 मे प्रेस परिषद का गठन किया गया। यह पत्रकारिता की एक नियामक संस्था है।

**चमत्कारिक उपचार :** ऐसी उपचार पद्धति जिसका ठोस आधार न हो, जो भ्रामक हो अवैज्ञानिक हो ।

**विज्ञापन :** किसी वस्तु के प्रचार के लिए नोटिस, लेबल, रैपर, फिल्म तथा लेखन आदि माध्यमों का उपयोग। विज्ञापनों पर भी अश्लीलता विरोधी एक्ट लागू होता है।

**अवमानना :** संवैधानिक नियमों अथवा संवैधानिक उपक्रमों के विपरीत आचरण करना। संवैधानिक संस्थायें अवमानना करने वाले को दण्ड भी दे सकती है।

**कापीराईट एक्ट :** किसी मौलिक रचना अथवा कृति पर रचनाकार के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला अधिनियम।

## 3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर :

**3.3 के उत्तर**

**उत्तर 1 –** उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर तीन वर्ष के लिए प्रेस काउन्सिल का अध्यक्ष चुना जाता है।

**उत्तर 2–** भारत में पहली प्रेस काउंसिल की स्थापना 1966 में हुई।

**उत्तर 3** प्रेस काउंसिल की अवधि तीन वर्ष होती है।

**उत्तर 4** एक अध्यक्ष और 28 सदस्य।

**3.4 के उत्तर**

**उत्तर 1–** कानून की धारा 124 (अ) के अंतर्गत राजद्रोह के मामले आते हैं।

**उत्तर 2–** अश्लील सामग्री प्रकाशित करने पर धारा 292 लगाई जाती है।

**उत्तर 3–** देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण बनाये रखने के लिए जिन बातों का गुप्त रहना आवश्यक है उनकी रक्षा के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम बनाया गया।

**उत्तर 4–** गुप्त बात अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष के कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। कुछ मामलों मे 14 वर्ष तक की सजा भी दी जा सकती है।

**उत्तर 5–** इसके तहत संसूचित करने से अभिप्राय किसी बात को रेखाचित्र, रेखांकन, प्रतिमान, चीज, टिप्पणी (नोट), दस्तावेज आदि के माध्यम से सूचना के रूप में प्रसारित करना है।

**उत्तर 6–** गुप्त बात अधिनियम प्रतिषिद्ध स्थान के अंतर्गत समस्त रक्षा संस्थान, आयुधशाला, नौसेनिक अथवा वायुसेना का संस्थापन, सुरंग क्षेत्र, वायुयान आदि आते हैं। गुप्त दस्तावेज रखे जाने का स्थान रेल, सड़क, जलमार्ग, पुल आदि भी प्रतिषिद्ध स्थान के दायरे में आते हैं।

**उत्तर 7–** मनुष्यों या पशुओं के रोगों के उपचार के लिए खाने–पीने या बाहरी उपयोग में आने वाली अथवा ऐसी किसी पदार्थ को बनाने में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ औषधियों के अंतर्गत आते हैं।

उत्तर 8– हां, इस तरह के विज्ञापन दण्डनीय अपराध हैं। इसमें छह माह के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों प्रकार से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

उत्तर 9– हानिप्रद प्रकाशन विषयक कानून 1956 से लागू किया गया।

उत्तर 10– इस अधिनियम के तहत 20 वर्ष तक के युवक, युवतियों को युवक व्यक्ति माना गया है ?

उत्तर 11– कॉपीराइट की अवधि साठ वर्ष तक होती है;

उत्तर 12– एक्ट के उल्लंघन पर अपराध की गम्भीरता के अनुसार छह माह से लेकर तीन वर्ष तक के कारवास तथा पचास हजार रुपये से लेकर तीन लाख तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

उत्तर 13– हां, जालसाजी गैर जमानती अपराध है।

**3.5 के उत्तर**

उत्तर 1– किसी की ख्याति पर चोट पहुँचाना।

उत्तर 2– हां भारत में इसके लिए अलग कानून की व्यवस्था है ।

उत्तर 3– चार

## 3.9 सन्दर्भ ग्रन्थसूची :


1. गुप्ता, योगेश : मीडिया के विविध आयाम, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।

2. भानावत, संजीव : पत्रकारिता का इतिहास एवं जनसंचार माध्यम, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2005।

3. हर्ष, हरदान : हिन्दी पत्रकारिता के प्रतिमान,, रचना प्रकाशन, जयपुर,सं. 1999।

4. Padhy, K.S and Sahu, R.N : The Press in India, Prespective in Development and Relevance, Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi,2005

5. Universal's Women Laws : Universal Law Publishing Co.2008.


## 3.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री :

1. पत्रकारिता एवं जनसंचार, राकेश रयाल, विनसर प्रकाशन, देहरादून।
2. प्रेस अधिनियम से सम्बन्धित लेख व पुस्तक।
3. प्रेस विधि, संजीव भानावत, विश्वविद्यालय प्रकाशन, जयपुर।

## 3.11 निबंधात्मक प्रश्न :

**प्रश्न 1**– प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? सबकी व्याख्या किजिए।

**प्रश्न 2**– अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के नाम पर प्रेस को राष्ट्र की एकता और अखण्डता के साथ

खिलवाड़ करने की अनुमति नही दी जा सकती। क्यों? स्पष्ट किजिए।

**प्रश्न 3**– कॉपीराइट हनन आर्थिक अपराध है,। कॉपीराइट अधिनियम को समझाते हुये इस पर एक निबन्ध लिखिए।

**प्रश्न 4**– प्रमुख प्रेस कानून कौन कौन से हैं? सभी को संक्षिप्त में समझाइये।

**प्रश्न 5**– औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम क्या है?

इसकी उपयोगिता बताते हुये व्याख्या किजिए।

# इकाई – 04

## सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कानून

**इकाई की रूपरेखा :**


4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर कानून

4.4 केबल टेलीविजन नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट 1995

4.4.1 कतिपय उपस्करों का अभिग्रहण और अधिहरण

4.4.2 अपराध और शस्तियाँ

4.4.3 विविध

4.5 सूचना प्रौद्योगिकी कानून–2000

4.5.1 डिजिटल हस्ताक्षर

4.5.2 इलेक्ट्रानिक नियन्त्रण

4.5.3 उपभोक्ता के कर्त्तव्य

4.6 सारांश

4.7 शब्दावली

4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

4.9 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

4.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

4.11 निबंधात्मक प्रश्न


### 4.1 प्रस्तावना :

इटंरनेट का जितना उपयोग किया जा रहा है, इसी के साथ इसका दुरूपयोग भी शुरू हो गया है। व्यक्ति कहीं भी बैठकर साइबर अपराध कर सकता है। साइबर अपराधी कई तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर कानून बनाया गया। इसके तहत साइबर अपराधियों को दंड दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन इन कानूनों को बेहतर कियान्वयन की आवश्यकता है, जिससे कि

साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और इसके अपराधियों को सजा मिल सके।

इस इकाई के अतंर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर कानून, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट 1995, कतिपय उपस्करों का अभिग्रहण और अधिहरण, अपराध और शस्तियाँ, विविध, सूचना प्रौद्योगिकी कानून–2000, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रानिक नियन्त्रण, उपभोक्ता के कर्तव्य आदि नियमों पर चर्चा की गई है।

प्रेस के नियमों व अधिनियमों का जिक्र पिछली इकाईयों में भी किया गया है, लेकिन यहां प्रेस के साइबर लॉ के साथ–साथ इलेक्ट्रानिक मीडिया के अन्य नियम–अधिनियमों का अध्ययन किया गया है। जिससे छात्र इस क्षेत्र में जाने से पूर्व इन नियमों से परिचित हो सके।

## 4.2 उद्देश्य :

साइबर से सम्बन्धित अपराधों से बचने के लिए या इन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कानून बनाये गये हैं जिन्हें साइबर लॉ कहते हैं। पत्रकारिता से जुड़े लोगों को या छात्रों को साइबर लॉ की जानकारी अतिआवश्यक है क्योंकि साइबर का सर्वाधिक उपयोग मीडिया में किया जा रहा है जिसे साइबर मीडिया कहते हैं।

इस इकाई से विद्यार्थी जान सकेगें कि –

- कंप्यूटर से संबंधित अपराध क्या है तथा इससे बचने के लिए क्या कानून है ?
- साइबर आतंकवाद के लिए क्या दंड है ?
- केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 क्या है?
- सूचना प्रौद्योगिकी कानून–2000 क्या है?
- उपभोक्ता के कर्त्तव्य क्या हैं ?

## 4.3 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर कानून :

कम्प्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग के संबंध में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। रेल आरक्षण, हवाई जहाज के टिकट, बैक डिपोजिट या बच्चों की फीस जमा करनी हो, सभी के लिए इंटरनेट ही उपयोग में लाया जा रहा है। इटंरनेट–इमेल द्वारा कोई भी संचार प्रक्रिया हो रही है तो वह साइबर प्रक्रिया कहलाती है। इसका जितना उपयोग किया जा रहा है, इसी के साथ दुरूपयोग भी शुरू हो गया है। व्यक्ति कहीं भी बैठकर साइबर अपराध कर सकता है। साइबर अपराधी कई तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। साइबर अपराध का तात्पर्य साइबर द्वारा होने वाली प्रक्रियाओं या डाटा को नुकशान पहुंचाना है। उदाहरण के लिए किसी के बैंक एकाउंट से छेड़–छाड़, किसी के महत्वपूर्ण व गोपनीय दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाना या प्राप्त कर लेना आदि साइबर अपराध में आता है। इस अपराध से बचने के लिए या इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कानून बनाये गये हैं जिन्हें साइबर कानून कहा गया है। इसके तहत साइबर अपराधियों को दंड दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन जिस तरह के कानून बने हैं, इनके

बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है, जिससे कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।

**1. कंप्यूटर से संबंधित अपराध :**

अगर कोई व्यक्ति धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेइमानी या कपटपूर्ण तरीके से करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच लाख रूपये का हो सकेगा या दोनों दंडनीय होगा।

टिप्पणी— इस धारा के प्रयोजनों के लिए

**क.** बेईमानी से शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 24 है।

**ख.** कपटपूर्ण शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड सहिता 1960 का 45 की धारा 25 में है।

**2. एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड :**

जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति के उसके गुप्तांग का चित्र बिना उसकी सहमति के एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन प्रकाशित या पारेषित करेगा। इसके लिए तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना, जो एक लाख रूपये से अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

**3. साइबर आतंकवाद के लिए दंड**

**1. जो कोई हो**

**(अ)** भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, को खतरे में डालने या जनता या जनता के किसी वर्ग में निम्नलिखित द्वारा आतंक फैलाने के आशय से—

- कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कोई पहुंच से इंकार करके या कराके या
- प्राधिकार के बिना या प्राधिकत पहुंच से अधिक किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंच करने का प्रयास करके या
- किसी कंप्यूटर संदूषक को सन्निविष्ट करके या सन्निविष्ट कराके ऐसा कार्य करता है, जिससे व्यक्तियों की मत्यु या उन्हें क्षति होती है या संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना है या यह जानते हुए कि इससे समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को नुकसान या उसका विनाश होने की संभावना है या धारा 70 के अधीन विनिर्दिष्ट संवेदनशील सूचना अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है या

**(ब)** जानबूझकर या साशय किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रतिधार के बिना या प्राधिकार पहुंच से अधिक प्रवेश या पहुंच करता है और ऐसे कार्य द्वारा ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर या कंप्यूटर डाटा आधारसामग्री तक जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारण निर्बंधित है या कोई निर्बधन सूचना डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री तक यह विश्वास करते हुए पहुंच प्राप्त करता है कि इस प्रकार अभिप्राप्त ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री का उपयोग देश की ख्याति या किसी विदेशी राष्ट्र

व्यष्टिसमूह को क्षति पहुंचाने के लिए या अन्यथा किया जा सकता है या किए जाने की संभावना है, तो यह साइबर आतंकवाद का अपराध माना जाएगा

**2. जो कोई साइबर** आतंकवाद कारित या करने की कूटरचना करेगा, तो वह कारावास से जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1**—साइबर कानून से क्या तात्पर्य है?

**प्रश्न 2**—साइबर अपराध से क्या समझते हैं?

**प्रश्न 3**—साइबर आतंकवाद के अपराध से क्या तात्पर्य है?

## 4.4 केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 :

(1995 का अधि0 सं0 7)

(भारत के राष्ट्रपति की सम्मति 25 मार्च, 1995 को प्राप्त की गई)

**1. देश में केबिल टेलिविजन नेटवर्क्स के संचालन और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने वाला एक अधिनियम**

भारत के गणराज्य के 46 वें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम किया जाता है—

- इस अधिनियम को केबिल टेलिविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 कहा जाएगा।
- इसका विस्तार पूरे भारत में होगा।
- इसे सितम्बर, 1994 के 29वें दिन से प्रवृत किया गया समझा जाएगा।

**2. परिभाषा**— इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न किया जाए—

(क) ''केबिल ऑपरेटर'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो एक केबिल टेलिविजन नेटवर्क के माध्यम से केबिल सर्विस प्रदान करता है अथवा किसी केबिल टेलिविजन नेटवर्क के प्रबन्धन और संचालन को अन्यथा नियन्त्रित करता है अथवा उसके लिए जिम्मेदार है;

(ख) ''केबिल सर्विस'' से अभिप्रेत है कार्यक्रमों का केबिल द्वारा संचारण, इसमें किसी प्रसारण टेलिविजन सिग्नलों का केबिल पुनः संचारण भी शामिल है;

(ग) ''केबिल टेलिविजन नेटवर्क'' से अभिप्रेत है बन्द संचारण परिपथ का एक सैट और उनके ग्राहकों द्वारा प्राप्त करने के लिए केबिल सर्विस प्रदान करने के लिए विनिर्मित समेकित संकेतक सृजन, नियंत्रण और संविरण उपकरण द्वारा बनाया गया तंत्र;

(घ) ''कम्पनी'' से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधि0 सं0 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित एक कम्पनी,

(ङ) ''व्यक्ति'' से अभिप्रेत है–

- कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है;
- व्यष्टियों का ऐसा एक संगम अथवा व्यक्तियों का ऐसा समूह, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, जिसके सदस्य भारत के नागरिक हों;
- कोई कम्पनी जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं, भारत के नागरिकों द्वारा धारित किया गया हो;

(च) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित;

(छ) ''कार्यक्रम'' से अभिप्रेत है कोई दूरदर्शन संचारण और इसमें निम्नलिखित भी शामिल है–

- वीडियो कैसेट, प्लेयर्स के वीडियों कैसेट रिकार्डरों के माध्यम से फिल्मों, फीचरों, ड्रामों, विज्ञापनों और सीरियलों का प्रदर्शन;
- कोई श्रव्य अथवा दृश्य जीवित प्रदर्शन अथवा प्रस्तुति और ''प्रोग्रामिंग सर्विस'' शब्द का अर्थान्वयन तद्नुसार किया जाएगा।

(ज) ''रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, इस अध्यादेश के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कृत्यों को निष्पादित करने के लिए विनिर्दिष्ट करे;

(झ) ''ग्राहक'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो एक ऐसे स्थान पर केबिल टेलिविजन नेटवर्क का संकेतक प्राप्त करता है जिसके लिए वह केबिल ऑपरेटर को निर्दिष्ट करता है, और जिसे वह किसी अन्य व्यक्ति को आगे प्रचारित नहीं करता है।

**3. केबिल टेलिविजन नेटवर्क का संचालन उसके रजिस्ट्रीकरण के बाद ही किया जाएगा–** कोई व्यक्ति तब तक केबिल टेलिविजन नेटवर्क का संचालन नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन एक केबिल ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो।

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तुरन्त पहले कोई केबिल टेलिविजन नेटवर्क संचालित कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के लिए, और यदि उसने उक्त अवधि के भीतर धारा 4 के अधीन एक केबिल ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रकरण के लिए कोई आवेदन दिया है, तो उसे उस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने तक अथवा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उसे उस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए इंकार करने तक ऐसा करता रह सकता है।

**4. केबिल ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण–**

(1) कोई व्यक्ति जो किसी केबिल टेलिविजन नेटवर्क को संचालित कर रहा है अथवा उसे संचालित करने के लिए इच्छुक है, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को एक कैबिल ऑपरेटर के रूप में अपने को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और यथा विहित फीस के साथ किया जाएगा।

(3) आवेदन प्राप्त करने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी स्वयं को यह संतुष्ट करेगा कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनायें प्रदान कर दी हैं और इस प्रकार से संतुष्ट होने पर आवेदक को एक केबिल ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे ऐसा एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, लिखित में अभिलेख किए जाने वाले कारणों के लिए और उसे आवेदन के संसूचित करके, उसे रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने से इंकार कर सकता है, यदि यह संतुष्टि होती है कि उसने धारा 2 के खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं किया है।

**4.क. अविभाषणीय पद्धति से कार्यक्रमों का प्रसारण, आदि–**

(1) जहाँ केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो वह, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक केबिल ऑपरेटर के लिए अनिवार्य कर सकेगी कि वह उसे तारीख से, जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, अभिभाषणीय पद्धति से किसी, अदायगी चैनल (pay Channel)के कार्यक्रम को प्रसारित अथवा पुनः प्रसारित करे तथा भिन्न राज्यों, नगरों, कस्बों या क्षेत्र जैसा विषय हो, के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

(2) यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करना जनहित में है, तो शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, मूल सर्विस टियर का गठन करने वाले चैनलों के पैकेज में सम्मिलित किये जाने वाले एक या अधिक फ्री–टू–एयर चैनलों को विनिर्दिष्ट करेगी तथा कोई एक या और अधिक चैनलों का मनोरंजन, सूचना, शिक्षा के मिले–जुले कार्यक्रम को कलानुसार (Genre-wise)देने तथा अन्य कार्यक्रमों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(3) केन्द्र सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना में, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मूल सर्विस टियर का गठन करने वाले चैनलों के पैकेज में सम्मिलित किये जाने वाले। फ्री–टू–एयर चैनलों की संख्या और भिन्न संख्याओं को भिन्न राज्यों, नगरों या क्षेत्रों जैसा विषय हो, के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाये के ऐसा करना, जनहित में आवश्यक है तो वह शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अधिकतम धनराशि विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिस केबिल ऑपरेटर ग्राहक से उस केबिल ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गयी मूल सर्विस टियर में प्रसारित कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए मांग कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, केन्द्र सरकार उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना में, भिन्न राज्यों, नगरों, कस्बों या क्षेत्रों, जैसा विषय हो, के लिए भिन्न अधिकतम धनराशियाँ विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(6) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए मूल सर्विस–टियर के कार्यक्रम केबिल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ होने के ठीक पहले, किसी भी रीति से वर्णित उस रिसीवर सेट से सम्बद्ध किसी अभिभाषणीय पद्धति के बिना, विद्यमान किसी प्रकार के रिसीवर सेट पर किसी ग्राहक द्वारा प्राप्य होंगे।

(7) प्रत्येक केबिल ऑपरेटर ग्राहकों को विहित रीति से चन्दें की दरें विज्ञापित करेगा।

(8) केबिल ऑपरेटर किसी भी ग्राहक से केबिल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के रिसीवर सेट को रखने की अपेक्षा नहीं करेगा।

(9) प्रत्येक केबिल ऑपरेटर निर्धारित प्रारूप में और निम्न सूचनाओं को अन्तर्विष्ट करने वाली रीति से केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दाखिल करेगा–

(i) कुल ग्राहकों की संख्या;

(ii) चन्दे की दरें;

(iii) मूल सर्विस टियर में प्रसारित कार्यक्रमों या विशेष कार्यक्रम अथवा अदायगी चैनल प्रसारित कार्यक्रमों;

(iv) बेसिक सर्विस टियर में प्रसारित कार्यक्रमों या विशेष कार्यक्रमों या अदायगी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों के समूह को ग्रहण करने वाले ग्राहकों की संख्या।

केबिल टेलिविजन नेटवर्क के माध्यम से उस केबिल ऑपरेटर द्वारा प्रदत्त केबिल सेवाओ के सम्बन्ध में और वह रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों पर समय–समय पर दाखिल की जायेगी जिसे केबिल ऑपरेटर द्वारा किसी उद्घोषक को संदेय धनराशि की दर, यदि कोई हो, भी अन्तर्विष्ट होगी।

*स्पष्टीकरण*–इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

**(क) ''अभिभाषणीय पद्धति''** ऐसी एकीकृत पद्धति में लगाये गये इलैक्ट्रानिक उपस्कर या एक से अधिक अलैक्ट्रानिक उपस्करों से अभिप्रेत है जिसके माध्यम से केबिल टेलिविजन नेटवर्क के सिग्नलों को ''इनक्रिप्टिड या अनक्रिप्टिड रूप में भेजा जा सकता है जिसे केबिल ऑपरेटर द्वारा ग्राहकों को, उस ग्राहक के चुनाव तथा निवेदन पर, किये गये प्राधिकरण की सीमाओं के भीतर ग्राहक के स्थान पर उपस्कर या उपस्करों द्वारा संकेतवाचित (decode) किया जा सकता हो;

**(ख) ''बेसिक सर्विस टियर''** उस क्षेत्र में जिसमें उसका केबिल टेलिविजन नेटवर्क सेवा प्रदान कर रहा है, ग्राहकों को एक ही कीमत के लिए केविल ऑपरेटर द्वारा प्रदत्त फ्री–टू–एयर चैनलों के पैकेज से अभिप्रेत है तथा वह चैनल, किसी भी रीति से उस रिसीवर सेट से सम्बद्ध किसी अभिभाषणीय पद्धति के बिना केबिल टेलिविजन नेटवर्क (विनियम) संशोधन अधिनियम 2002 के प्रारम्भ होने के ठीक पहले विद्यमान किसी प्रकार के रिसीवर सेट पर ग्राहकों द्वारा अवलोकन किये जाने हेतु (for viewing)प्राप्य है।

**(ग) ''चैनल''** किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्रयुक्त फ्रिक्वींसीज (Frequencies)के समूह से अभिप्रेत है;

**(घ)** केबिल टेलीविजन नेटवर्क के, सिग्नल के सम्बद्ध में इनक्रिप्टेड (encripted)नियमबद्ध तरीके से उस सिग्नल के परिवर्तित होने से अभिप्रेत है ताकि उपयुक्त रिसीविंग उपस्कर के बिना अबोध्य हो तथा अभिव्यक्ति अनक्रिप्टेड (uncripted)का तद्नुसार अर्थान्वयन किया जायेगा;

**(ङ)** किसी केबिल टेलिविजन नेटवर्क के सम्बन्ध में ''फ्री–टू–ऐयर'' ऐसे चैनल से अभिप्रेत है, जिसके प्राप्त करने में किसी ग्राहक के रिसीवर सेट के साथ सम्बद्ध किये जाने वाले किसी अभिभाषणीय पद्धति के प्रयोग की अपेक्षा की जायेगी;

**(च)** किसी केबिल टेलिविजन नेटवर्क के सम्बन्ध में ''अदायगी–चैनल'' ऐसे चैनल से अभिप्रेत है, जिससे प्राप्त करने में ग्राहक द्वारा अपने रिसीवर सेट से सम्बद्ध किये जाने के लिए अभिभाषणीय पद्धति के प्रयोग की अपेक्षा की जायेगी।

**5. प्रोग्राम संकेतकी–** कोई व्यक्ति किसी केबिल सर्विस के माध्यम से किसी प्रोग्राम का संचारण अथवा पुनः संचारण तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा प्रोग्राम विहित प्रोग्राम संकेतकी के समनुरुप न हो;

परन्तु यह कि इस धारा में कही गई कोई बात विदेश सैटलाइट चैनलों के ऐसे प्रोग्रामों पर लागू नहीं होगी जिनहें किसी विशिष्ट जुगत अथवा विसंकेतकी का उपयोग किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

**6. विज्ञापन संकेतकी–** कोई व्यक्ति किसी केबिल सर्विस के माध्यम से किसी विज्ञापन का संचारण अथवा पुनः संचारण तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा प्रोग्राम विहित प्रोग्राम संकेतकी के समनुरुप न हो;

परन्तु यह कि इस धारा में कही गई कोई बात विदेशी सैटलाईट चैनलों के ऐसे प्रोग्रामों पर लागू नहीं होगी जिन्हें किसी विशिष्ट जुगत अथवा विसंकेतकी का उपयोग किए बिना प्राप्त किया जा सकता है।

**7. रजिस्टर का रख–रखाव–** प्रत्येक केबिल ऑपरेटर विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें एक माह के दौरान केबिल सर्विस के माध्यम से संचारित अथवा पुनः संचारित किए गये प्रोग्रामों के बारे में संक्षेप में निर्दिष्ट किया जायेगा और केविल ऑपरेटर द्वारा ऐसा रजिस्टर उक्त प्रोग्रामों के वास्तविक संचारण अथवा पुनः संचारण के बाद एक वर्ष की अवधि की लिए अनुरक्षित रखा जाएगा।

**8. दो दूरदर्शन चैनलों का अनिवार्य संचारण–** (1) ऐसा प्रत्येक केबिल ऑपरेटर जो केबल डिश ऐंटिना अथवा टेलिविजन प्रापक का प्रयोग करता है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से केबिल सर्विस के माध्यम से अपने चुनाव के कम से कम दो दूरदर्शन चैनलों का पुनः संचारण करेगा।

(2) उपधारा (1) में संदर्भित दूरदर्शन चैनल ऐसे चैनलों पर संचारित किसी प्रोग्राम की किसी घोषणा अथवा परिवर्तन के बिना संचारित किए जायेंगे।

**9. केबिल टेलिविजन नेटवर्क में मानक उपस्कर का उपयोग–** कोई केबिल ऑपरेटर अपने केबिल टेलिविजन नेटवर्क में उसकी स्थापना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि को और उसके बाद और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक का प्रकाशन किए जाने की तिथि को और उसके

बाद तब तक किसी उपस्कर का उपयोग नहीं करेगा जब तक कि ऐसा उपस्कर उक्त भारतीय मानक की पुष्टि न करता हो।

''परन्तु यह कि धारा 4 (क) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित उपस्कर को, उक्त प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से 6 माह के भीतर अपने केबिल टेलीविजन नेटवर्क में केबिल नेटवर्क में केबिल ऑपरेटर द्वारा लगाया जायेगा।''

**10. केबिल टेलिविजन नेटवर्क किसी दूरसंचार व्यवस्था के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा–** प्रत्येक केबिल ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा संचालित किया जा रहा केबिल टेलिविजन नेटवर्क, किसी तरह से प्राधिकृत दूरसंचार व्यवस्थाओं के कार्यकरण के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है।

### 4.4.1 कतिपय उपस्करों का अभिग्रहण और अधिहरण :

**1. केबिल टेलिविजन नेटवर्क का संचालन करने के लिए प्रयुक्त उपस्कर का अभिग्रहण करने की शक्ति–**

(1) यदि कोई अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार के ग्रुप 'क' अधिकारी के रैंक से नीचे का न हो, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो (जिसे यहां इके बाद प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है), यह विश्वास करने का कारण रखता है कि किसी केबिल ऑपरेटर द्वारा {धारा 3, 4–क} के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है, तो वह ऐसे केबिल ऑपरेटर द्वारा केबिल टेलिविजन नेटवर्क के संचालन के लिए उपयोग में लाए जा रहे उपस्कर को अभिग्रहण कर सकता है।

(2) किसी ऐसे उपस्कर को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे अभिग्रहण किए जाने की तिथि से दस दिनों से अधिक की अवधि के लिए तक निरुद्ध नहीं किया जाऐगा जब तक कि ऐसे जिला जज, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अभिग्रहण किया गया है, ऐसे निरुद्ध के लिए अनुमोदन न प्राप्त किया गया हो।

**2. अधिग्रहण–** धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहीत किये गये उपस्कर को जब तक कि वह केबिल ऑपरेटर जिसके वह उपस्कर अभिग्रहीत किया गया है, उक्त उपस्कर को अभिग्रहीत किए जाने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 4 के अधीन अपने को एक केबिल ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं कराता, अधिहरण किया जा सकेगा।

**3. उपस्कर का अभिग्रहण अथवा अधिहरण अन्य दण्ड के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा–** धारा 11 अथवा धारा 12 में संदर्भित उपस्कर का कोई अभिग्रहण अथवा अधिहरण उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति पर किसी ऐसे दण्ड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा जिसके लिए वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दायी होता है।

**4. अभिग्रहीत उपस्कर के केबिल ऑपरेटर को अवसर प्रदान करना–**

(1) धारा 12 में संदर्भित उपस्कर के अधिहरण को अधिनिर्णीत करने वाला कोई आदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि केबिल ऑपरेटर को लिखित में उन आधारों को सूचित करने वाला नोटिस नहीं दिया जाता जिन पर ऐसे उपस्कर को अधिहरण करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें

उसे अधिहरण के विरुद्ध नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट ऐसा युक्तियुक्त समय के भीतर लिखित में एक अभ्यावेदन देने के लिए और क्या वह इस विषय में सुने जाने के लिए इच्छा जाहिर करता है, युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

परन्तु यह कि जहां उपस्कर को अभिग्रहीत किए जाने की तिथि से दस दिनों की अवधि के भीतर ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, वहां ऐसे उपस्कर को उस अवधि को समाप्त होने के बाद उस केबिल ऑपरेटर को वापस कर दिया जाएगा जिसके कब्जे से उसे अभिग्रहीत किया गया था।

(2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबन्धित किए गए के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) में संदर्भित प्रत्येक कार्यवाही पर लागू होंगे।

**5. अपील–(1)** उपस्कर का अधिहरण न्यायनिर्णीत करने वाले न्यायालय के किसी अधिनिर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति किसी ऐसे न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें ऐसे न्यायालय के अधिनिर्णय से अपील ग्रहण की जाए।

**(2)** अपीली न्यायालय, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के बाद, उस अधिनिर्णय जिसके विरूद्ध अपील की गई हैं, की पुष्टि करने वाला, उपान्तर करने वाला अथवा पुनरीक्षण करने वाला, जैसा वह उचित समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकता है अथवा मामले को नए सिऐ से अधिनिर्णीत अथवा न्यायनिर्णीत करने के लिए, जैसा कि मामला हो, अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, यदि जरूरी हो, ऐसे दिशा निर्देशों के साथ जैसा कि वह उचित समझे, वापस भेज सकता है।

**(3)** उपधारा (2) के अधीन न्यायालय द्वारा किए गये आदेश के विरुद्ध आगे कोई अपील नहीं की जाएगी।

### 4.4.2 अपराध और शस्तियाँ :

### 1. इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड –

1। (1) जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह दण्डित किया जाएगा।

**(क)** प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माने से, जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों से;

**(ख)** प्रत्येक पश्चाती अपराध के लिए, ऐसे समय के लिए कारावास से, जिसे पांच वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माने से जिसे पाँच हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है।

2।(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए धारा 4–क का अतिलंघन इस धारा के अधीन संज्ञेय अपराध होगा।

### 2. कम्पनियों द्वारा अपराध –

**(1)** जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक वह व्यक्ति जो, उस समय जब अपराध किया गया था, कम्पनी के कामकाज के संचालन के लिए कम्पनी का

प्रभारी था और कम्पनी के लिए उत्तरदायी था, और वह कम्पनी भी उस अपराध के लिए दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध अभियोग चलाया जाएगा और तद्नुसार उन्हें दण्डित किया जाएगा;

परन्तु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं करेगा, यदि वह यह साबित करता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया अथवा कि उनसे ऐसे अपराध को किए जाने को निवारित करने के लिए सभी सम्यक तत्परता का प्रयोग किया था।

**(2)** उपधारा (1) में कोई बात अन्तर्विष्ट होने पर भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और वह यह साबित किया जाता है कि उक्त अपराध कम्पनी के किसी निर्देशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी की सम्मति अथवा मौनानुकूलता से किया गया अथवा उसकी तरफ से किए गए किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निर्देशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तद्नुसार उसके दण्डित किया जाएगा।

***स्पष्टीकरण***– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

**(क)** ''कम्पनी'' से अभिप्रेत है कोई निगम निकाय और इसके अंतर्गत कोई समुत्थान अथवा व्यष्टियों का अन्य संगम शामिल है; और

**(ख)** ''निदेशक'' से किसी समुत्थान के सम्बन्ध में अभिप्रेत है उस समुत्थान का एक भागीदार।

**3. अपराधों की संज्ञेयता–** इस अधिनियम दण्डनीय किसी अपराध की संज्ञेयता ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के किसी वर्ग 'क' अधिकारी के रैंक से नीचे का न हो, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, द्वारा लिखित में शिकायत करने पर ही किसी न्यायालय द्वारा की जाएगी, अन्यथा नहीं।

### 4.4.3 विविध :

**1. लोकहित में कतिपय प्रोग्रामों के संचारा को प्रतिसिद्ध करने की शक्ति–** जहाँ कोई अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार के किसी वर्ग 'क' अधिकारी के रैंक से नीचे का न हो और जिससे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, ऐसा करना लोकहित में जरुरी अथवा समीचीन समझता है, वहां यह आदेश जारी करके किसी विशिष्ट प्रोग्राम को संचारित अथवा पुनः संचारित करने से किसी केबिल ऑपरेटर को प्रतिषिद्ध कर सकता है, यदि इसके द्वारा धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार, जो कोई हो, पर विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषा–भाषी अथवा क्षेत्रीय वर्गों अथवा जातियों अथवा समुदायों के मध्य सामंजस्य भंग होने अथवा शत्रुता, घृणा अथवा वैमनस्य की भावना को बढ़ावा मिलने की सम्भावना हो अथवा यह भिन्न–भिन्न धार्मिक, मूलवंशीय भाषा–भाषी अथवा क्षेत्रीय वर्गों अथवा जातियों अथवा समुदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो और यह लोक प्रशांति को विक्षुब्ध करता हो अथवा इसके द्वारा ऐसी सम्भावना हो।

**2. लोक हित में केबिल टेलिवीजन के संचालन को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति–** जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा किया जाना लोक हित में जरुरी अथवा समीचीन समझती है, वहां वह ऐसे क्षेत्रों में, जैसा कि वह राजपत्र में

अधिसूचना जारी करके इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को प्रतिषिद्ध कर सकती है।

**3. अन्य विधियों का उपयोजन वर्जित नहीं है–** इस अधिनियम के उपबन्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8), संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 (1950 का 12), औषधि (नियंत्रण) अधिनियम 1950 (1950 का 26), चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37), औषधि और चमत्कारिक उपचार (आोपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21), खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37), पुरुस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955 (1955 का 42), प्रतिलिप्यधिकार अधिनिमय 1957 (1957 का 14), व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958 (1958 का 43), स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60) और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के अतिरिक्त हैं और न कि उनके अल्पीकरण में।

**4. नियमों को बनाने की शक्ति–**

**(1)** केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, नियमों को बना सकती है।

**(2)** विशिष्टितः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित स्थान अथवा किन्हीं विषयों पर उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात्–

**(क)** आवेदन का प्रपत्र और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन देय फीस,

**(कक)** चन्दे की दरों तथा नियतकालिक अन्तरालों को विज्ञापित करने की रीति जिनमें ऐसे चन्दे धारा 4क की उपधारा (7) की अधीन संदेय होते हैं,

**(ककक)** धारा 4क की उपधारा (9) के अधीन रिपोर्ट दाखिल करने का प्रारूप तथा रीति एवं वह अन्तराल जिसमें वह रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन समय–समय पर दाखिल की जाएगी।

**(ख)** धारा 5 के अधीन प्रोग्राम संकेतकी;

**(ग)** धारा 6 के अधीन विज्ञापन संकेतकी;

**(घ)** धारा 7 के अधीन केबिल ऑपरेटर द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर का स्वरूप;

**(ङ)** कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है अथवा ऐसा किया जा सके।

**(3)** इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसे बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र चल रहा हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र अथवा दो या अधिक अनुवर्ती सत्रों के तुरन्त बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत होते हैं अथवा दोनों सदन यह सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद वह नियम ऐसे रूपान्तरित रूप में ही प्रभाव रखेगा अथवा कोई प्रभाव नहीं रखेगा, जैसा कि मामला हो, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा रूपान्तरण अथवा बालितकरण उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

**5 निरसन और व्यावृत्तियाँ–** (1) केबिल टेलिविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 3) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कार्यवाही इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गयी समझी जाएगी।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 क्या है?

**प्रश्न 2–** क्या केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 को केबिल टेलीवीजन के संचालन को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति है?

**प्रश्न 3–** प्रोग्राम संकेतकी से क्या तात्पर्य है?

**प्रश्न 4–** विज्ञापन संकेतकी का क्या अर्थ है?

## 4.5 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 :

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना–**

- यह अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कहा जायेगा ।
- इसका विस्तार इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा यह किसी अधिनियम किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किये गये किसी अपराध अथवा उल्लंघन के सम्बन्ध में भी लागू होगा ।
- यह केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तथा नियत ऐसी तिथि को लागू होगा और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न तारीख नियत की जा सकती है और इस अधिनियम के उपबन्धों के संदर्भ में यह माना जायेगा कि वह उस प्रावधान के प्रारम्भ के संदर्भ में बनाया गया था ।
- इस अधिनियम की कोई भी बात–

**(क)** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 की धारा 13 में परिभाषित परक्राम्य लिखत,

**(ख)** मुख्तार नामा अधिनियम, 1882 की धारा 1-A में मुख्तार नामा;

**(ग)** भारतीय न्याय अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित न्याय;

**(घ)** किसी भी अन्य नाम से पुकारे जाने वाले अन्य वसीयती कथनों के सहित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (h) में परिभाषित वसीयत;

**(ङ)** विक्रय की किसी संविदा अथवा किसी अचल सम्पत्ति अथवा ऐसी सम्पत्ति के किसी हित के अभिहस्तान्तरण;

**(च)** केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किये जा सकने वाले ऐसे किसी दस्तावेजों अथवा संव्यवहारों को लागू नहीं होगा ।

**2. परिभाषायें,–**

**(1)** इस अधिनियम में जब तक अन्यथा संदर्भित अपेक्षित न हो–

**(क)** ''पहुँच'' अपने व्याकरणीय, भिन्नता और समान अभिव्यक्ति के साथ इसका अर्थ है, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर व्यवस्था अथवा कम्प्यूटर नेटवर्क के, लाजिकल अर्थमेटिकल, मेमोरी फंक्शन, स्रोतों में प्रवेश करना निर्देशित करना अथवा संसूचित करना है,

**(ख)** सम्बोधित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यक्ति इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड का ओरिजनेटर है लेकिन इसमें कोई मध्वर्ती सम्मिलित नहीं है;

**(ग)** न्याय निर्णयन करने वाले अधिकारी से अभ्रिपेत है धारा 46 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त न्याय करने वाला अधिकारी;

**(घ)** अंकीय हस्ताक्षर अपने व्याकरणीय भिन्नता, समानभावों के सहित इसका अर्थ है, डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रिकाडों को प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया अथवा ढंग के अंगीकृत किये जाने से है किसी मामले के सम्बन्ध में समुचित सरकार से अभिप्रेत है;

(i) संविधान की सातवी अनुसूची की दूसरी सूची में उल्लिखित सरकार से है ।

(ii) संविधान की सातवी अनुसूची की तीसरी सूची में अधिनियम किसी राज्य की विधि के सम्बन्ध में राज्य सरकार और अन्य मामलों में केन्द्रीय सरकार ।

**(ङ)** एसाइमेट्रिक किप्टो सिस्टम से अभिप्रेत है डिजिटल हस्ताक्षर और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने वाली लोक कुजी को सृजित करने वाली प्राइवेट कुंजी से बनी हुई सुरक्षित कुंजी के जोड़ो की व्यवस्था;

**(च)** प्रमाणन प्राधिकारी से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो कि धारा 24 के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है,

**(छ)** प्रमाणन अभ्यास कथन से अभिप्रेत है डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के जारी करने में प्रमाण प्राधिकारी के कर्मचारी द्वारा अभ्यास के उल्लेख के लिए प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये कथन से है;

**(ज)** कम्प्यूटर से अभिप्रेत है, कोई इलेक्ट्रानिक, मैग्नेटिक, आप्टिकल अथवा अन्य किसी युक्ति की प्रगति अथवा व्यवस्था जो कि तार्किक, अर्थमेटिकल यादगार कार्यो को इलेक्ट्रानिक, मैग्नेटिक, आप्टिकल इम्प्यूल और सभी इनपुट, आउटपुट, प्रगति भण्डारण कम्प्यूटर साफ्टवेयर, संसुचना सुविधा के सहित जो कि कम्प्यूटर व्यवस्था अथवा कम्प्यूटर नेटवर्क से कम्प्यूटर से संपृत्त अथवा सम्बन्धित है के कुशल प्रबन्ध द्वारा पालन करता है;

**(झ)** कम्प्यूटर नेटवर्क से अभिप्रेत है–

(i) सेटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरिस्ट्रियल लाइन अथवा अन्य संसूचना साधन के प्रयोग, और

(ii) टर्मिनल अथवा आपस में जुड़े हुए दो या दो से अधिक कम्प्यूटर जटिलता चाहें यह लगातार जुड़े हुए हों अथवा

नही के माध्यम से आपस में जुड़े हुए दो या दो से अधिक कम्प्यूटरों से हैं

**(ञ)** कम्प्यूटर स्रोत से अभिप्रत है, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर व्यवस्था कम्प्यूटर नेटवर्क, विवरण, कम्प्यूटर डिबेट्स साफ्टवेयर से है;

**(ट)** कम्प्यूटर पद्धति से अभिप्रत है, ऐसी युक्ति, युक्ति के एकत्रण इनपुट और आउटपुट के सहित और संगणनक को छोड़कर जो कि प्रोग्राम के लायक नहीं है और बाहरी फाइल के साथ प्रयुक्त नहीं किये जा सकते है जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रोनिक निदेश इनपुट डाटा तथा आउटपुट डाटा सम्मिलित होता है जोकि तर्क, अंकाणिक, डाटा भण्डारण एवं पुनस्थांपन एंव संसूचना नियन्त्रण तथा अन्य कार्य सम्मिलित है;

**(ठ)** नियंत्रक से अभिप्रेत अधिकरण से अभिप्रेत है धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रमाणन प्राधिकारियों के कन्ट्रोलर से है;

**(ड)** साइवर अपीलीय अधिकरण से अभिप्रेत है धारा 48 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित साइवर विनियमन अपीलीय अधिकरण;

**(ढ)** आंकड़ा (डाटा) से अभिप्रेत है, ऐसी सूचना, ज्ञान, तथ्य अवधारणा निर्देश जो कि तैयार किये गये हैं, तैयारी के क्रम में हैं, और कम्प्यूटर तन्त्र अथवा कम्प्यूटर नेटवर्क की प्रगति की प्रक्रिया से आशयित है और जो कि कम्प्यूटर प्रिन्टर्स मेग्नेटिक, आप्टिकल स्टोरेज मीडिया पंच्ड कार्ड पंच्ड टाइप (के सहित) कम्प्यूटर की याददाशत प्रतिसेधित्व करते है;

**(ण)** डिजिटल हस्ताक्षर से अभिप्रेत है, किसी उपभोक्ता द्वारा किसी इलेक्ट्रोनिक तरीके अथवा धारा 3 के उपबन्धो की प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड का प्रमाणीकरण;

**(त)** डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है धारा 35 की उपधारा 4 के अधीन जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र,

**(थ)** सूचना के संदर्भ में इलेक्ट्रोनिक फार्म से अभिप्रेत है, कोई सूचना उत्पन्न करना, भेजना, प्राप्त करना या किसी चुम्बकीय, प्रकाशनीय, कम्प्यूटर याददशत, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच या उसी तरह की अन्य युक्ति द्वारा कम्प्यूटर को संचालित करना,

**(द)** इलेक्ट्रानिक गजट से अभिप्रेत है इलेक्ट्रोनिक स्वरूप में प्रकाशित आफिसियल गजट;

**(ध)** इलेक्ट्रानिक अभिलेख से अभिप्रेत है, ऐसा आंकड़ा, अभिलेख उत्पन्न आंकड़े प्रतिबिम्ब या आवाज का भण्डारण अथवा प्राप्त करना, अथवा किसी इलेक्ट्रोनिक स्वरूप, अथवा माइक्रो फिल्म अथवा कम्प्यूटर संचालित माइक्रो फिच का भेजना,

**(न)** कम्प्यूटर के सम्बन्ध में कार्य, तर्क, नियंत्रण गणितीय प्रक्रिया, समापन, भण्डारण और पुनः प्राप्ति और संसूचना, दूर संचार, अथवा कम्प्यूटर को सम्मिलित करना है,

**(प)** सूचना, आंकड़े मूल प्रति, प्रतिबिम्ब, ध्वनि स्वर संहिता कम्प्यूटर कार्यक्रम, साफ्टवेयर और अंक अधार सूक्ष्म परत या कम्प्यूटर निर्मित सूक्ष्म परतों को सम्मिलित करती है;

**(फ)** किसी विशिष्ट इलेक्ट्रानिक संदेश के सम्बन्ध में मध्यस्थ से आशय व्यक्ति जो किसी उस संदेश को भंडारित अथवा पारेषित करता है अथवा कोई सेवा उपलब्ध करता है;

**(ब)** ''कुजी जोड़ा'' (Key pair) असमरूप गुप्त तन्त्र से आशय एक व्यक्तिगत तन्त्र और उसकी सम्बन्धित गणितीय कुंजी जोकि इस प्रकार सम्बन्धित है कि लोक कुंजी व्यक्तिगत कुजी द्वारा सृजित डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित कर सके;

**(भ)** ''विधि'' संसद अथवा राज्य विधान मण्डल, राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना और जैसी भी दशा हो सकेंगी अनुच्छेद 240 के अधी राष्ट्रपति द्वारा बनायें गये विनियमों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड के उपखण्ड अ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित बिलों, विनियमों और उनके अधीन बनाये गये और जारी किये गये आदेशों को समाहित करती है,

**(म)** अनुज्ञप्ति से अभिप्रेत है धारा 24 के अधीन प्रमाणन प्राधिकारी के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्ति;

**(य)** उत्पादक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रानिक सन्देश को भेजता है, उत्पन्न भण्डारित अथवा पारेषित करता है अथवा किसी इलेक्ट्रानिक संदेह को किसी अन्य व्यक्ति को भेजना, उत्पन्न करना, भण्डारित करना, पारेषित करना कारित करता है लेकिन इसमें कोई मध्यस्थ सम्मिलित नहीं होता है;

**(र)** ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा ''विहित'';

**(ल)** व्यक्तिगत कुंजी से अभिप्रेत है डिजिटल हस्ताक्षर सृजित करने में प्रयुक्त कुंजी जोड़े की कुंजी;

**(व)** लोक कुजी से अभिप्रेत है डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को सूचीबद्ध करने में प्रयुक्त कुजी जोड़े की कुंजी;

**(श)** सुरक्षित तन्त्र से अभिप्रेत है कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और प्रक्रिया जो कि–

**(क)** अप्राधिकृत पहुँच और दुरूप्रयोग से युक्तिगत रूप से सुरक्षित है;

**(ख)** जो कि संक्रिया की शुद्धता, विश्वसनीयता के स्तर को युक्तियुक्त रूप से उपबन्धित करती है;

**(ग)** जो कि आशयित कार्यो के पालन को युक्तियुक्त रूप से अनुकूलन बनातीहै,

**(घ)** सुरक्षित प्रक्रिया को साधारणतया स्वीकार करती है;

**(ष)** सुरक्षित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, धारा 16 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया;

**(स)** ''उपभोक्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके नाम डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है;

**(ह)** डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रानिक अभिलेख लोक कुंजी और इनकी गणितीय भिन्नता और समान अभिव्यक्तियों के सम्बन्ध में सत्यापन के आशय यह अभिनिश्चित करना है कि–

**(क)** आरम्भिक इलेक्ट्रानिक अभिलेख डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपभोक्ता की लोक कुंजी के सहित व्यक्तिगत कुंजी के प्रयोग द्वारा चिपकाया गया था ।

**(ख)** आरम्भिक इलेक्ट्रानिक अभिलेख वास्तव में प्रतिधारित है अथवा ऐसा इलेक्ट्रानिक अभिलेख जो डिजिटल हस्ताक्षर के साथ इस प्रकार चिपकाया गया या परिवर्तित किया गया है ।

**(2)** इस अधिनियम के संदर्भ में किसी अधिनियम अथवा उसके उपबन्ध किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में होग जिसके लिए ऐसा अधिनियम अथवा ऐसा उपबन्ध लागू नहीं है, समवर्ती विधि अथवा समवर्ती विधि से सम्बन्धित सुसंगत उपबन्धो यदि कोई उस क्षेत्र के लिए लागू हो के सन्दर्भ में निर्मित होगा ।

### 4.5.1 डिजिटल हस्ताक्षर :

**1. इलेक्ट्रानिक अभिलेख का प्रमाणीकरण–**

**(1)** इस धारा के उपबन्धों के सम्बन्ध में कोई उपभोक्ता अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने के द्वारा किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख को प्रमाणित कर सकेगा ।

**(2)** इलेक्ट्रानिक अभिलेख का प्रमाणीकरण असमरूप गुप्त तन्त्र और हैश (Hash) कार्यों जोकि आरम्भिक इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख से आवृत करता है या परिवर्तित करता है के प्रयोग द्वारा प्रभावी होगा ।

**स्पष्टीकरण–** इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ''हैश कार्य'' से आशय किसी (algorithm mapping) एल्गोरिथ्म मैपिंग अथवा किसी क्रम को अन्य क्रम में अनुवादित करता है अथवा साधारणतया छोटा है हैश परिणाम (Hashing result) के नाम से जाना जाता है इस प्रकार कि कोई इलेक्ट्रोनिक अभिलेख प्रत्येक समय ऐसा हैश परिणाम पैदा करता है एल्गोरिथ्म उसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख जैसा कि इनका इनपुट आकलंन करता है से निर्मित होता है ।

**(क)** एल्गोरिथ्म द्वारा पेश किये गये हैश परिणाम के मूल इलेक्ट्रानिक अभिलेख प्राप्त करता है अथवा पुनर्निमित करता है,

**(ख)** दो इलेक्ट्रानिक अभिलेख एल्गोरथ्म के प्रयोग द्वारा हैश परिणाम को पेश कर सकते है ।

**(3)** कोई व्यक्ति उपभोक्ता की लोक कुंजी के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रानिक अभिलेख को सत्यापित कर सकता है।

**(4)** व्यक्तिगत कुंजी और लोक कुंजी उपभोक्ता की अनुपम (unique) है और कार्यकारी कुंजी जोड़ा को निर्मित करती है।

**4.5.2 इलेक्ट्रानिक नियन्त्रण :**

**1, इलेक्ट्रानिक अभिलेख की विधिक मान्यता**—जहाँ कोई विधि यह उपबन्ध करती है कि सूचना और अन्य मामले लिखित रूप में अथवा टाइप में अथवा मुद्रित रूप में होंगे तब ऐसी विधि में अनर्विष्ट किसी बात के होते हुए ऐसी अपेक्षा सन्तोषजनक समझी जायेगी यदि ऐसी सूचना या अन्य मामले—

(क) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में बनाये गये है अथवा उपलब्ध है,

(ख) पश्चात्वर्ती संदर्भ विषय के प्रयोग के लिए सुगम है ।

**2. डिजिटल हस्ताक्षरों की विधिक मान्यता** —जहाँ कोई विधि यह उपबन्धित करती है कि कोई इलेक्ट्रानिक अभिलेख या अन्य मामले हस्ताक्षर के किये जाने के द्वारा प्रमाणित होंगे अथवा कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए अथवा उस पर किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए तब इस विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षा सन्तोष जनक समझी जायेगी यदि ऐसी सूचना अथवा मामलें के केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जा सकने वाले ढंग से हस्ताक्षर किये जाने के द्वारा प्रमाणीकृत किये जाते है ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए 'हस्ताक्षर' अपनी व्याकरणीय भिन्नता और समान अभिव्यक्ति के सहित किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति के हस्तलेख में हस्ताक्षर करने के द्वारा, सम्बन्ध में होंगे और अभिव्यक्ति हस्ताक्षर तद्नुसार निर्मित की गयी कही जायेगी ।

**3. सरकार और इसके अभिकरणों में इलेक्ट्रानिक अभिलेख और डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग**—(1) जहाँ कोई विधि—

(क) किसी फार्म, आवेदन, अथवा किसी अन्य दस्तावेज के किसी कार्यालय, प्राधिकारी, निकाय अथवा समुचित सरकार द्वारा नियन्त्रित या धारित किसी अभिकरण में विहित ढंग से फाइल करने;

(ख) विशिष्ट ढंग के नामों से पुकारे जाने वाले के अनुमोदन और मंजूरी से किसी अनुज्ञप्ति के दिये जाने या जारी किए जाने के लिए;

(ग) विशिष्ट ढंग से धन के भुगतान की रसीद प्राप्त करने के लिए उपबन्धित है तब उस समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी अपेक्षा सन्तोष जनक समझी जायेगी यदि ऐसा फाइल किया जाना, जारी अथवा प्राप्त किया जाना समुचित सरकार द्वारा विहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रानिक स्वरूप द्वारा प्रभावित होता है;

(2) समुचित सरकार उपधारा के प्रयोजन के लिए नियमों द्वारा—

(क) ढंग और आकार जिसमें इलेक्ट्रानिक रिकार्ड फाइल, सृजित और जारी किया जा सकेगा;

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन किसी इलेक्ट्रानिक रिकार्ड फाइल, सृजित अथवा जारी किये जाने का शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान का तरीका विहित कर सकेगी ।

**4. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का प्रतिधारण**—(1) जहाँ कोई विधि यह उपबन्धित करती है कि दस्तावेज, अभिलेख अथवा सूचना किसी विनिर्दष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित की जाए तब यह अपेक्षा सन्तोष जनक समझी जायेगी यदि ऐसा दस्तावेज अभिलेख, सूचना इलेक्ट्रानिक स्वरूप में प्रतिधारित है यदि—

(क) उसमें अन्तर्विष्ट सूचना इस प्रकार सुगम है कि पश्चात्वर्ती प्रयोजन के लिए उपयुक्त है;

(ख) इलेक्ट्रानिक रिकार्ड ऐसे आधार में प्रतिधारित है जिनमें यह मूल रूप से उत्पन्न भेजा जाना अथवा प्राप्त किया जाना है अथवा आकार जिसमें यह मूल रूप में उत्पन्न भेजे जाने अथवा किये जाने के लिए प्रदर्शित है;

(ग) विवरण जो कि उत्पत्ति शन्तव्य पारेषण की तिथि, समय इलेक्ट्रानिक अभिलेख में उपलब्ध ऐसे इलेक्ट्रानिक अभिलेख की प्राप्ति के पहचान को सुगम करेंग;

परन्तु यह कि यह खण्ड किसी ऐसी सूचना को लागू नही होगा जो इलेक्ट्रानिक अभिलेख के डिस्पैच अथवा प्राप्त होने के प्रयोजन को समर्थ बनाने के लिए धीर–धीरे उत्पन्न होती है ।

(2) इस धारा की कोई भी बात किसी निधि जो कि दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा सूचनाओं के प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त है लागू नही होंगी ।

**5. इलेक्ट्रानिक गजट में नियमों और विनियमों का प्रकाशन**–जहाँ कोई विधि यह उपबन्धित करती है कि कोई नियम विनियम, आदेश उपनियम अधिसूचना अथवा कोई अन्य मामला किसी आफिशियल गजट में प्रकाशित होगा तब ऐसी अपेक्षा संतोषजनक समझी जायेगी यदि ऐसा नियम विनियम, आदेश उपनियम अधिसूचना अथवा अन्य मामले आफिशियल शासकीय गजट अथवा इलेक्ट्रानिक गजट में प्रकाशित है :

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम, विनियम, आदेश उपनियम, अधिसूचना अथवा अन्य मामले सरकारी (आफिशियल) गजट अथवा इलेक्ट्रानिक गजट में प्रकाशित है प्रकाशन की तिथि गजट की तिथि समझी जायेगी जोकि पहले प्रकाशित की गयी थी ।

**6. धारा 6, 7 और 8 यह आग्रह करने का अधिकार नहीं देती है कि दस्तावेज इलेक्ट्रानिक स्वरूप में स्वीकार की जानी चाहिए**–धारा 6, 7 और 8 में ऐसी कोई बात अन्तर्विष्ट नहीं है जो किसी व्यक्ति को यह आग्रह करने का अधिकार देती हो कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई भी मंत्रालय अथवा विभाग अथवा कोई प्राधिकारी निकाय जो कि किसी विधि के अधीन अथवा विधि के द्वारा स्थापित है अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा नियन्त्रित है स्वीकार जारी, सृजित प्रतिधारित किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के रूप में है, प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए अथवा इलेक्ट्रानिक स्वरूप संव्यवहारों को प्रभावी होना चाहिए ।

**7. डिजिटल हस्ताक्षर के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति**–केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियमों द्वारा –

(क) डिजिटल हस्ताक्षर के प्रकार;

(ख) ढंग और तरीका जिनमें डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा;

(ग) ढंग और प्रक्रिया जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की पहचान;

(घ) पर्याप्त विश्वसनीयता और सुरक्षा अथवा इलेक्ट्रानिक अभिलेख की गोपनीयता या भुगतान सुनिश्चित करने वाली नियन्त्रण विधि और प्रक्रिया;

(ड़) कोई अन्य मामले जो डिजिटल हस्ताक्षर के प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है ।

**4.5.3 उपभोक्ता के कर्त्तव्य :**

**1. कुंजी जोड़ा उत्पन्न करना—**जहाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र और जिसकी लोक कुंजी और साथ ही साथ उपभोक्ता की व्यक्तिगत कुंजी जो कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध है और उपभोक्ता द्वारा स्वीकार की गयी है तब उपभोक्ता सुरक्षित प्रक्रिया द्वारा कुंजी जोड़ा उत्पन्न करेगा ।

**2. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रतिग्रहण—**

**(1)** उपभोक्ता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रतिग्रहीता समझा जायेगा यदि वह इसे प्रकाशित करता है अथवा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के प्रकाशन के लिए—

(क) एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत करता है;

(ख) कोष में अथवा किसी ढंग से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के अपने अनुमोदन को प्रदर्शित करता है ।

**(2)** डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र स्वीकार करने के पश्चात् उपभोक्ता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में अन्तर्विष्ट सूचना पर युक्तियुक्त रूप से विश्वास करता है यह प्रमाणित करता है कि—

(क) उपभोक्ता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध व्यक्तिगत कुंजी के साथ लोक कुंजी धारण करता है;

(ख) उपभोक्ता द्वारा प्रमाणन प्राधिकारी से किये गये सभी प्रतिनिधित्वों और डिजिटल, हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में अन्तर्विष्ट सभी सूचनाओं से सुसंगत सभी तथ्य सत्य है;

(ग) डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की सभी सूचनायें जो कि उपभोक्ता के ज्ञान में है सत्य है ।

**3. व्यक्तिगत कुंजी का नियन्त्रण—**

**(1)** प्रत्येक उपभोक्ता अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक की समवर्ती व्यक्तिगत कुंजी का नियन्त्रण प्रतिधारित करने के लिए व्युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा ।

**(2)** यदि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी की समवर्ती है और दोनों में ऐसे सहमति है तब उपभोक्ता विनियमों में विनिर्दिष्ट ढंग से बिना किसी विलम्ब के उसके बारे में प्रमाणन प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

स्पष्ट्रीकरण— सन्देहों को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपभोक्ता प्रमाणन प्राधिकारी को इस बात को सूचना दिये जाने तक कि व्यक्तिगत कुंजी से सहमति (compromised) की गयी है जिम्मेदार होगा ।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1—** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 क्या है?

**प्रश्न 2—** कुंजी जोड़ा उत्पन्न करना क्या है?

**प्रश्न 3–** धारा 6, 7 और 8 यह आग्रह करने का अधिकार नहीं देती है कि दस्तावेज इलेक्ट्रानिक स्वरूप में स्वीकार की जानी चाहिए– क्या यह कथन सत्य है?

**प्रश्न 4–** डिजिटल हस्ताक्षर से क्या तात्पर्य है?

## 4.6 सारांश :

आधुनिक संचार तकनीकी के युग में साइबर शब्द बेहद प्रचलित हो गया है। इंटरनेट के प्रयोग के संबंध में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में इंटरनेट जरूरत बन गया है। रेल रिजर्वेशन से लेकर, हवाई जहाज के टिकट बच्चों की फीस जमा करनी हो या इलाज करवाना हो, सैर पर निकलना हो या फिर अपने प्रियजन से बात करनी हो, अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना हो तो इंटरनेट का प्रयोग सभी के लिए इंटरनेट ही उपयोग में लाया जा रहा है। इसका जितना उपयोग किया जा रहा है, इसी के साथ दुरूपयोग भी शुरू हो गया है। व्यक्ति कहीं भी बैठकर साइबर अपराध कर सकता है। साइबर अपराधी कई तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर कानून बनाया गया। इसके तहत साइबर अपराधियों को दंड दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन इन कानूनों को बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है, जिससे कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और इसके अपराधियों को सजा मिल सके।

सामान्य तौर पर साइबर अपराधी किसी व्यक्ति के आंकड़ों की चोरी करके, पासवर्ड चोरी करके, एकाउंट से निजी संपत्ति की चोरी करके, उस व्यक्ति से संबंधित अश्लील या आपत्तिजनक या उसके निजी जिन्दगी की गोपनीय सामग्री को प्रचारित–प्रसारित करके, बिना स्वीकृति के निजी फोटो, फिल्म का प्रकाशन करने, किसी व्यक्ति के मौलिक लेख, शोध को नष्ट करने या हेराफेरी कर देने, गंदे ई–मेल भेजकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा सरकारी प्रतिष्ठान, निजी संगठन, किसी कंपनियों या व्यक्तियों के समूह के विरूद्ध साइबर अपराध करते हैं। इसमें साइबर अपराधी किसी कंपनी की फाइलें नष्ट कर सकता है, साफटवेयर की चोरी कर सकता है। दूसरे की सूचनाओं को किसी अन्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके अन्य अश्लील सामग्री का प्रसारित करना, दूषित वातावरण पैदा करना, चर्चित हस्तियों की नग्न तस्वीरें प्रस्तुत करना भी साइबर अपराध की श्रेणी में ही आता है।

अतः कुल मिलाकर कहें तो वर्तमान में कम्प्यूटर और इटंरनेट ने पूरे विश्व को एक गांव का रूप दिया है। जिसने सारे विश्व समाज को एक जाल में बांध दिया है। आज आप अपने घर से ही वो सारे कार्य निपटा देते हैं जिनके लिए आपको पूरा दिन ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आप अपने घर से ही रेलवे आरक्षण, बैंक ट्रांजिक्शन आदि कार्यों को सिर्फ एक क्लिक करने पर ही निपटा देते हैं। कम्प्यूटर और इटंरनेट की इस सुविधा को साइबर कहते हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया, इटंरनेट या कम्प्यूटर की इन सुविधाओं को भी समाज के अपराधियों ने नहीं छोड़ा और उन्होंने इन सुविधाओं का दुरपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए भारतीय प्रेस लॉ में कुछ नियम–अधिनियम और जोडे गये जिनमें से साइबर लॉ भी एक है।

## 4.7 शब्दावली :

**इलेक्ट्रानिक अभिलेख का प्रमाणीकरण :** इस धारा के उपबन्धों के सम्बन्ध में कोई उपभोक्ता अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने के द्वारा किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख को प्रमाणित कर सकेगा ।

**विधिक प्रतिनिधि के अधिकार :** अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से अथवा एक या अधिक विधिक अभ्यासियों अथवा अपने अधिकारियों के माध्यम से साइबर अपीलीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे ।

**परिसीमा :** परिसीमा अधिनियम 1963 के उपबन्ध जहाँ तक हो सके साइकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की गयी प्रत्येक अपील को लागू होंगे ।

**दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता का न होना :** कोई भी न्यायालय किसी मामले जिसके सम्बन्ध में वाद या कार्यवाही के लिए इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन करने वाले अधिकारी की नियुक्ति की गयी है अथवा जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन साइबर अपीलीय अधिकरण का गठन या सशक्त किया गया है को ग्रहण करने की अधिकारिता नही होगी और किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गयी शक्ति के अनुक्रम या किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यादेश नहीं दिया जायेगा ।

**उच्च न्यायालय में अपील :** कोई भी व्यक्ति जो कि साइबर अपीलीय अधिकरण के विनिश्चय या आदेश से व्यथित है साइबर अपीलीय अधिकरण के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर विधि या तथ्य के प्रश्नों के बारे में उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।

परन्तु यह कि यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से कथित समय के भीतर अपील करने से वर्जित कर दिया गया था तो अग्रिम समय जो साठ दिन की अवधि से अधिक नही होंगा अपील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

**उल्लंघनों का सम्मिश्रण (compounding)** : इस अध्याय के अधीन कोई उल्लंघन न्यायनिर्णयन की कार्यवाही संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् कन्ट्रोलर या उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या न्यायनिर्णयन करने वालें अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तो जो कन्ट्रोलर, या किसी अन्य अधिकारी या न्याय निर्णयन करने वाले अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी पर शमन किया जा सकेगा ।

## 4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर :

**उत्तर 4.3**

**उत्तर 1–** साइबर मीडिया आज के युग में इलेक्ट्रानिक मीडिया का अत्याधुनिक प्रचलित रूप है, जिसने विश्व को एक जाल में बांध दिया है। इस मीडिया ने समाज को कई सुविधायें दी हैं लेकिन इन सुविधाओं के साथ–साथ इसमें अपराध भी बढ़े हैं। इन अपराधों से बचने के लिए तथा अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिए कुछ नियम व अधिनियम पारित किये गये जिसे साइबर लॉ कहते हैं।

**उत्तर 2–** कम्प्यूटर एवं इटंरनेट की धरोहर को क्षति पहुंचाना वह व्यक्तिगत हो या राष्ट्र हित की उसे साइबर अपराध कहते हैं। वह किसी व्यक्ति विशेष का कम्प्यूटर डाटा भी हो सकता है और राष्ट्र की गोपनीय व सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी भी। इसके अलावा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति व महिला का अश्लील चित्र नेट पर सार्वजनिक करना व अपलोड करना भी साइबर अपराध के तहत आता है।

**उत्तर 3 –** जानबूझकर या साशय किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रतिधार के बिना या प्राधिकार पहुंच से अधिक प्रवेश या पहुंच करता है और ऐसे कार्य द्वारा ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर या कंप्यूटर डाटा आधारसामग्री तक जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारण निर्बंधित है या कोई निर्बधन सूचना डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री तक यह विश्वास करते हुए पहुंच प्राप्त करता है कि इस प्रकार अभिप्राप्त ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री का उपयोग देश की ख्याति या किसी विदेशी राष्ट्र व्यष्टिसमूह को क्षति पहुंचाने के लिए या अन्यथा किया जा सकता है या किए जाने की संभावना है, तो यह साइबर आतंकवाद का अपराध माना जाएगा।

**उत्तर 4–** डिजिटल हस्ताक्षर का तात्पर्य इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का प्रमाणीकरण से है। इस धारा के उपबन्धों के सम्बन्ध में कोई उपभोक्ता अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने के द्वारा किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख को प्रमाणित कर सकेगा।

**उत्तर 4.4**

**उत्तर 1–** (1995 का अधि0 सं0 7) (भारत के राष्ट्रपति की सम्मति 25 मार्च, 1995 को प्राप्त की गई) देश में केबिल टेलिविजन नेटवर्क्स के संचालन और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने वाला एक अधिनियम है। भारत के गणराज्य के 46वें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम किया जाता है–

- इस अधिनियम को केबिल टेलिविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 कहा जाएगा।
- इसका विस्तार पूरे भारत में होगा।
- इसे सितम्बर, 1994 के 29वें दिन से प्रवृत किया गया समझा जाएगा।

**उत्तर 2–** हां लोक हित में केबिल टेलिवीजन के संचालन को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति है। जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा किया जाना लोक हित में जरुरी अथवा समीचीन समझती है, वहां वह ऐसे क्षेत्रों में, जैसा कि वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन को प्रतिषिद्ध कर सकती है।

**उत्तर 3–** **प्रोग्राम संकेतकी** – कोई व्यक्ति किसी कैबिल सर्विस के माध्यम से किसी प्रोग्राम का संचारण अथवा पुनः संचारण तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा प्रोग्राम विहित प्रोग्राम संकेतकी के समनुरुप न हो; परन्तु यह कि इस धारा में कही गई कोई बात विदेश

सैटलाइट चैनलों के ऐसे प्रोग्रामों पर लागू नहीं होगी जिनहें किसी विशिष्ट जुगत अथवा विसंकेतकी का उपयोग किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

**उत्तर 4–** **विज्ञापन संकेतकी–** कोई व्यक्ति किसी कैबिल सर्विस के माध्यम से किसी विज्ञापन का संचारण अथवा पुनः संचारण तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा प्रोग्राम विहित प्रोग्राम संकेतकी के समनुरुप न हो; परन्तु यह कि इस धारा में कही गई कोई बात विदेशी सैटलाईट चैनलों के ऐसे प्रोग्रामों पर लागू नहीं होगी जिनहें किसी विशिष्ट जुगत अथवा विसंकेतकी का उपयोग किए बिना प्राप्त किया जा सकता है।

**उत्तर 4.5**

**उत्तर 1–** इस अधिनियम के अतंर्गत –

''पहुँच'' अपने व्याकरणीय, भिन्नता और समान अभिव्यक्ति के साथ इसका अर्थ है, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर व्यवस्था अथवा कम्प्यूटर नेटवर्क के, लाजिकल अर्थमेटिकल, मेमोरी फंक्शन, स्रोतों में प्रवेश करना निर्देशित करना अथवा संसूचित करना है,

अंकीय हस्ताक्षर अपने व्याकरणीय भिन्नता, समानभावों के सहित इसका अर्थ है, डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रिकाडों को प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया अथवा ढंग के अंगीकृत किये जाने से है किसी मामले के सम्बन्ध में समुचित सरकार से अभिप्रेत है। अतः सूचना से सम्बन्धित इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सुरक्षा को लेकर बनाये गये अधिनियम को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कहा गया है।

**उत्तर 2–** कुंजी जोड़ा उत्पन्न करना–जहाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र और जिसकी लोक कुंजी और साथ ही साथ उपभोक्ता की व्यक्तिगत कुंजी जो कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध है और उपभोक्ता द्वारा स्वीकार की गयी है तब उपभोक्ता सुरक्षित प्रक्रिया द्वारा कुंजी जोड़ा उत्पन्न करेगा ।

**उत्तर 3** धारा 6, 7 और 8 यह आग्रह करने का अधिकार नहीं देती है कि दस्तावेज इलेक्ट्रानिक स्वरूप में स्वीकार की जानी चाहिए–धारा 6, 7 और 8 में ऐसी कोई बात अन्तर्विष्ट नहीं है जो किसी व्यक्ति को यह आग्रह करने का अधिकार देती हो कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई भी मंत्रालय अथवा विभाग अथवा कोई प्राधिकारी निकाय जो कि किसी विधि के अधीन अथवा विधि के द्वारा स्थापित है अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा नियन्त्रित है स्वीकार जारी, सृजित प्रतिधारित किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के रूप में है, प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए अथवा इलेक्ट्रानिक स्वरूप संव्यवहारों को प्रभावी होना चाहिए।

## 4.9 सन्दर्भ ग्रन्थसूची :

1. त्रिपाठी, प्रो0 मधुसूदन : भारत में प्रेस कानून

2. त्रिखा, नन्द किशोर : प्रेस विधि

3. भानावत, डा0 संजीव : पत्रकारिता का इतिहास एवं प्रेस कानून, विश्वविद्यालय प्रकाशन, जयपुर।

4. डंगवाल, प्रो0 आशाराम : पत्रकारिता के मूलतत्व, प्रकाश बुक डिपो, बरेली।

## 4.10 सहायक / उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. पत्रकारिता का इतिहास एवं प्रेस कानून, डा0 संजीव भानावत, विश्वविद्यालय प्रकाशन जयपुर।

2. प्रसार भारती अधिनियम हैण्डबुक।

3. इटंरनेट।

## 4.11 निबंधात्मक प्रश्न :

**प्रश्न 1**–वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर कानून का क्या महत्व है ? विस्तार से समझाइये।

**प्रश्न 2**– केबल टेलीविजन नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट 1995 को विस्तार से लिखिए।

**प्रश्न 3**– कतिपय उपस्करों का अभिग्रहण और अधिहरण क्या है? तथा किस अधिनियम से सम्बन्धित है?

**प्रश्न 4**– सूचना प्रौद्योगिकी कानून–2000 क्या है? इसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक नियन्त्रण की व्याख्या किजिए।

# इकाई– 05

## अन्य मीडिया कानून

**इकाई की रूपरेखा :**


5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम 1955

5.4 प्रसार भारती अधिनियम– 1990

5.4.1 प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम

5.5 सिनेमेटोग्राफ एक्ट– 1952

5.6 सारांश

5.7 शब्दावली

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.9 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

5.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

5.11 निबंधात्मक प्रश्न


### 5.1 प्रस्तावना :

मीडिया का उद्देश्य जहां एक ओर जनहित से जुड़ा है वहीं इसका उद्देश्य आज एक रोजगार प्राप्ति का भी बन गया है। पत्रकारिता से जुड़े तमाम पत्रकार व कर्मचारियों की हितो की सुरक्षा एवं पत्रकारिता के मूल उद्देश्यों की पूर्ति व रक्षा को लेकर कुछ एक्ट बनाये गये हैं, जिनमे से कुछ एक्टों का अध्ययन यहां किया जा रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों को समाचारों, विचारों, टिप्पणियों के माध्यम से स्पष्ट, ठीक–ठीक, पूर्वाग्रह से रहित, सम्यक् तरीके से सूचनाएँ पहुँचाना मीडिया का लक्ष्य है।

निष्पक्ष, निर्भीक, सत्य, भद्रतापूर्ण, और स्तरीय ढंग से अभिव्यक्ति करने के लिए मीडिया को कई अधिकार प्राप्त हैं उसे वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है, उसके हितों की रक्षा के लिए उसे अधिकार मिले हैं तो उस पर नियन्त्रण बनाए रखने के लिए कुछ कानून भी हैं। ये कानून जनहित व पत्रकारिता से जुडे पत्रकारों व कर्मचारियों के हित के लिए तो हैं ही साथ ही पत्रकारिता की मरियादा को भी संरक्षित करते हैं।

इस इकाई में श्रमजीवी पत्रकारों व मीडिया से जुडे कर्मचारी अधिनियम 1955, प्रसार भारती अधिनियम 1990, प्रसार भारती अधिनियम के उद्‌देश्यों, निगम के गठन की प्रक्रिया तथा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

## 5.2 उद्‌देश्य :

मीडिया से जुडे पत्रकारों, छात्र–छात्राओं को उन सभी नियमों/अधिनियमों की जानकारी भलिभांति होनी चाहिए जो पत्रकारिता से सम्बन्धित हैं। श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार कर्मचारी अधिनियम 1955 का उद्‌देश्य मीडिया से जुड़े कर्मचारियों व पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा करना व उन्हें आवश्यकता पड़ने पर न्याय दिलाना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अपने अधिकारों को जानता है तो वह उन्हें पाने का भी प्रयास करता है। प्रसार भारती अधिनियम– 1990 का उद्‌देश्य पत्रकारिता के मूलभूत उद्‌देश्यों व पत्रकारिता की आचार संहिता को ध्यान में रखते हुये मीडिया से जुड़े जनसंचार माध्यमों व जनसंचार माध्यमों से जुड़े पत्रकारों की नीतियों व कार्यों पर निगाह रखना है। एक पत्रकार को किसी एक सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की भी जानकारी होनी चाहिये।

इस इकाई से छात्र जान सकेंगे कि –

- प्रसार भारती अधिनियम 1990 की स्थापना व गठन क्यों किया गया था?
- प्रसार भारती अधिनियम के तहत प्रसार भारती निगम का गठन कैसे किया जाता है? इसके अध्यक्ष व सदस्य कौन हो सकते हैं?
- श्रमजीवी व पत्रकारिता कर्मचारी अधिनियम 1955 क्या है? तथा इसके उद्‌देश्य क्या हैं?
- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 क्या है? तथा किन उद्‌देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई?

## 5.3 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम 1955 :

देश में पत्रकारों की स्थिति को देखते हुए प्रथम प्रेस आयोग ने वर्ष 1954 में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए संसद में प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955 पारित हुआ। इसका उददेश्य समाचार पत्रों में कार्य करने वाले और एजेंसियों में कार्य करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों के लिए सेवा–शर्तों का निर्धारण करना था। यह सेवा–शर्ते श्रमजीवी पत्रकारों की गरिमा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इसमें श्रमजीवी पत्रकारों के हित में विशेष प्रावधान किये गये हैं।

हालांकि यह कानून पहले जम्मू–कश्मीर के लिए लागू नहीं था लेकिन 1970 के बाद इसका विस्तार वहां भी कर दिया गया।

**श्रमजीवी पत्रकार :**

देश में सबसे पहले इस अधिनियम के बाद श्रमजीवी पत्रकार को परिभाषित किया गया। इस अधिनियम के तहत श्रमजीवी पत्रकार वह है जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता हो या फिर व किसी समाचार पत्र स्थापन में या उसे संबंध में पत्रकार की हैसियत से कार्य करता हो। इसके तहत संपादक,

स्थानीय संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, कॉपी एडिटर, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर आदि आते हैं। इसके अलावा कई पत्रों में अंशकालिक रूप से कार्य करने वाले पत्रकार शामिल हैं, जिनका व्यवसाय पूर्णतः पत्रकारिता पर ही आधारित हो।

इस अधिनियम में यह भी उल्लेख है कि जो संपादक या रिपोर्टर संपादन या रिपोर्टिंग का कार्य कम और प्रबंधकीय व प्रशासनिक कार्य अधिक करता है तो उसे भी श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। समाचार पत्र से जुडे अन्य कर्मचारियों को भी श्रमजीवी पत्रकारों की श्रेणी में नही रखा जा सकता है।

समाचार पत्र का प्रकाशन का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन कोई ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जो एक या अधिक समाचार–पत्रों के प्रकाशन के लिए कोई समाचार एजेंसी चलाने के लिए हो। भले ही यह निगमित हो या न हो। इस अधिनियम में समाचार पत्र का अभिप्राय यह है कि जिसमें नियमित प्रतिदिन के घटनाओं के समाचार प्रकाशित होते हों। जिसमें सार्वजनिक समाचारों और उन पर टिप्पणियां हों। इसके अलावा अन्य श्रेणियों के पत्रों को भी समाचार पत्र घोषित किया जा सकता है।

श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र–कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम सं0 45)

समाचारपत्र–स्थापनों में नियोजित श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य व्यक्तियों की कतिपय सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् निम्नलिखित रूप में यह अधिनियममित हो–

**(1)** यह अधिनियम श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 कहा जा सकेगा।

**(2)** इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

इस अधिनियम में, जब तब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

**(क)** 'बोर्ड' से अभिप्रेत है– श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में धारा 9 के अधीन गठित मजदूरी बोर्ड, और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्रों–कर्मचारियों के सम्बन्ध में धारा 13 ग के अधीन गठित मजदूरी बोर्ड,

**(ख)** 'समाचारपत्र' से ऐसी कोई छपी हुई नियतकालिक कृतिम अभिप्रेत है। जिसमें सार्वजनिक समाचारों पर टीका–टिप्पणियां हों और इसके अन्तर्गत छपी हुई नियतकालिक कृति का ऐसा अन्य वर्ग भी है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में समय–समय पर इस निमित्त अधिसूची किया जाए।

**(ग)** 'समाचारपत्र–कर्मचारी, से कोई श्रमजीवी पत्रकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जो किसी समाचारपत्र–स्थापन में या उसके सम्बन्ध में किसी काम को करने के लिए नियोजित किया जाए,

**(घ)** 'समाचारपत्र–स्थापन' से एक या अधिक समाचारपत्रों के उत्पादन या प्रकाशन के लिए अथवा कोई समाचार एजेंसी या सिंडीकेट चलाने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के, चाहे वह निगमित हो या न हो, नियन्त्रण के अधीन कोई स्थापन अभिप्रेत है,

**(ङ)** 'पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र–कर्मचारी' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी समाचारपत्र–स्थापन में या उसके सम्बन्ध में किसी काम को करने के लिए नियोजित किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो–

- श्रमजीवी पत्रकार है, या
- मुख्य रूप से प्रबन्धकीय या प्रषासकीय हैसियत में नियोजित है, या
- पर्यवेक्षकीय हैसियत में नियोजित होते हुए या तो अपने पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का पालन करता है जो मुख्यतः प्रबन्धक प्रकृति के हैं,

**(च)** 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

**(छ)** 'श्रमजीवी पत्रकार' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकार का है और जो किसी समाचारपत्र–स्थापन में या उसके सम्बन्ध में इस हैसियत में नियोजित है और उसके अन्तर्गत संपादक, अग्रलेख–लेखक, समाचार–संपादक उप–संपादक, फीचर–लेख, प्रकाष–विवेचन, रिपोर्टर, संवाददाता, व्यंग्यचित्रकार, समाचार–फोटोग्राफर और प्रूफरीडर भी हैं, किन्तु ऐसा कोई व्यक्ति इसके अन्तर्गत नहीं है जो –

- मुख्य रूप से प्रबन्धकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित है, या
- र्प्यवेक्षकीय हैसियत में नियोजित होते हुए या तो अपने पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का पालन करता है जो मुख्यतः प्रबन्धकीय प्रकृति के हैं।

**(ज)** ऐसे सब शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं एिक गए हैं और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित किए गये हैं वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में क्रमशः दिए गए हैं।

**श्रमजीवी पत्रकार के लिए अधिनियम :**

**(1)** तत्समय यथाप्रवृत्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्ध उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपान्तर के अध्यधीन रहते हुए श्रमजीवी पत्रकारों को या उनके सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उन व्यक्तियों को या उनके सम्बन्ध में लागू होते हैं जो उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकार हैं।

**(2)** श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में लागू होने में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 25च का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके खण्ड (क) में, कर्मकार की छंटनी के सम्बन्ध में उसमें निर्दिष्ट सूचना की कालावधि के स्थान पर, श्रमजीवी पत्रकार की छंटनी के सम्बन्ध में सूचना की निम्नलिखित कालावधियां रख दी गई हों, अर्थात् –

**(क)** सम्पादक की दषा में, छह मास, और

**(ख)** किसी अन्य श्रमजीवी पत्रकार की दषा में, तीन मास।

**(3)** जहां 1954 को जुलाई के 14वें दिन और 1955 के मार्च के 12वें दिन के बीच किसी समय किसी श्रमजीवी पत्रकार की छंटनी की गई है वहां वह नियोजक से निम्नलिखित पाने का हकदार होगा–

**(क)** एक मास की मजदूरी उस दर पर, जिसके लिए वह अपनी छंटनी से ठीक पहले हकदार था, तब के सिवा जब कि ऐसी छंटनी से पूर्व उसे एक मास की लिखित सूचना दे दी गयी थी, तथा

**(ख)** प्रतिकर, जो उस नियोजक के अधीन सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा।

**(4)** जहां –

**(क)** कोई श्रमजीवी पत्रकार, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् किसी समाचारपत्र–स्थापन में लगातार तीन वर्ष से अनयून समय तक सेवा मे ंरहा है, और –

- उस समाचारपत्र–स्थापन के सम्बन्ध में उसकी सेवाओं की नियोजक द्वारा समाप्ति, अनुशासकीय कार्यवाही के तौर पर दिए गए दण्ड से भिन्न किसी भी कारण से की जाती है या,

- वह अधिवर्षिता की आयु का होने पर सेवा से निवृत्त हो जाता है, अथवा

**(ख)** कोई श्रमजीवी पत्रकार, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्, किसी समाचारपत्र–स्थापन में लगातार दस वर्ष से अन्यून समय तक सेवा में रहा है और वह उस समाचारपत्र–स्थापन में सेवा में अन्तःकरण से भिन्न किसी भी आधार पर 1961 की जुलाई के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् स्वेच्छया पद–त्याग कर देता है, या

**(ग)** कोई श्रमजीवी पत्रकार, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्, किसी समाचारपत्र–स्थापन में, लगातार तीन वर्ष से अन्यून समय तक सेवा में रहा है और वह उस स्थापन में सेवा से, अन्तः करण के आधार पर 1961 की जुलाई के प्रथम दिन को या उसके पश्चात स्वेच्छया पद–त्याग कर देता है, या

**(घ)** कोई श्रमजीवी पत्रकार, किसी समाचारपत्र–स्थापन में सेवा के दौरान मर जाता है, वहां उस श्रमजीवी पत्रकार को, या उसकी मृत्यु की दशा में, यथास्थिति, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को या यदि उस श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु के समय काई नामनिर्देशन प्रवृत्त न हो तो उसके कुटुम्ब को, ऐसी समाप्ति, निवृत्ति, पद–त्याग या मृत्यु पर, उस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक द्वारा ऐसा उपदान, जो सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं फायदों या अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संदत्त किया जाएगा–

परन्तु खण्ड (ख) में निर्दिष्ट श्रमजीवी पत्रकार की दशा में उपदान की कुल रकम जो उसको संदेय होगी साढ़े बारह मास के औसत वेतन से अधिक नहीं होगी –

परन्तु यह और कि जहां कोई श्रमजीवी पत्रकार किसी ऐसे समाचारपत्र–स्थापन में नियोजित है जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले के बारह मास के किसी दिन छह से अधिक श्रमजीवी

पत्रकार को ऐसे प्रारम्भ से पूर्व सेवा की किसी कलवधि के लिए संदेय उपदान, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर नहीं होगा किन्तु निम्नलिखित के बराबर होगा –

**(क)** सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भी भाग के लिए तीन दिन का औसत वेतन, यदि ऐसी पिछली सेवा की कालवधि पांच वर्ष से आध्कि नहीं है,

**(ख)** सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए पांच दिन का औसत वेतन, यदि ऐसी पिछली सेवा की कालावधि पांच वर्ष से अधिक है किन्तु दस वर्ष से अधिक नहीं है, तथा

**(ग)** सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके छह मास से अधिक के किसी भाग के लिए सात दिन का औसत वेतन, यदि ऐसी पिछली सेवा की कालावधि दस वर्ष से अधिक है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा और धारा 17 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए 'कुटुम्ब' से अभिप्रेत है–

- पुरूष श्रमजीवी पत्रकार की दशा में, उसकी विधवा, बच्चे चाहे विवाहित हों या अविवाहित, और उसके आश्रित माता–पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे,

परन्तु किसी विधवा को श्रमजीवी पत्रकार के कुटुम्ब का सदस्य नहीं समझा जाएगा यदि उसकी मृत्यु के समय वह उसके द्वारा भरण–पोषण की वैध रूप से हकदार नहीं थी,

- महिला श्रमजीवी पत्रकार की दशा में, उसका पति, बच्चे, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, और श्रमजीवी पत्रकार के या उसके पति के आश्रित माता–पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे,

परन्तु यदि श्रमजीवी पत्रकार ने अपने पति को कुटुम्ब से अपवर्जित करने की अपनी इच्छा अभिव्यक्ति की है तो पति और पति के आश्रित माता–पिता उस श्रमजीवी पत्रकार के कुटुम्ब के भाग नहीं समझे जायेंगे,

और उपर्युक्त दोनों ही दशाओं में, यदि श्रमजीवी पत्रकार के या श्रमजीवी पत्रकार के मृत पुत्र के बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ले लिया गया है और यदि दत्तकग्रहीता की स्वीय विधि के अधीन, दत्तकग्रहण वैध रूप से मान्य है तो ऐसा बच्चा उस श्रमजीवी पत्रकार के कुटुम्ब का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

इस बाबत कोई विवाद कि क्या किसी श्रमजीवी पत्रकार ने अपनी अंतःकरण के आधार पर किसी समाचारपत्र–स्थापना में सेवा से स्वेच्छा पद त्याग कर दिया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या किसी राज्य में प्रवृत्त औद्योगिक विवादों की जांच–पड़ताल और निपटारे से सम्बद्ध किसी तत्समान विधि के अर्थ में औद्योगिक विवाद समझा जाएगा।

जहां कोई नामनिर्देशिती अवयस्क है और उपधारा (1) के अधीन उपदान उसकी अवयस्कता के दौरान संदेय हो गया है वहां वह धारा 5क की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा–

परन्तु जहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वहां संदाय सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त, अवयस्क की सम्पत्ति के किसी संरक्षक को या जहां ऐसा कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है वहां अवयस्क के माता–पिता में से किसी को या जहां माता–पिता में से कोई भी जीवित नहीं है वहां अवयस्क के किसी अन्य संरक्षक को किया जाएगा –

परन्तु यह और कि जहां उपदान दो या अधिक नामनिर्देशितियों को संदेय है और उनमें से कोई एक मर जाता है वहां उपदान उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदत्त किया जाएगा।

**पत्रकारों से भिन्न समाचापत्र–कर्मचारी**

**12 ख. (1)**– केन्द्रीय सरकार, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से–

**(क)** पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र–कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें नियत कर सकेगी, और

**(ख)** इस धारा के अधीन नियत मजदूरी की दरों को ऐसे अन्तरालों पर जैसे वह ठीक समझे, समय–समय पर पुनरीक्षित कर सकेगी।

**(2)** पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र–कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा कालानुपाती काम के लिए और मात्रानुपाती काम के लिए नियत या पुनरीक्षित की जा सकेंगी।

**13 ग.**– इस अधिनियम के अधीन पत्रकारों से भिन्न समाचापपत्र–कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरों को नियत या पुनरीक्षित करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, जैसे और जब आवश्यक हो, एक मजदूरी बोर्ड गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे 7

**(क)** समाचारपत्र–स्थापनों के संबंध में नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति

**(ख)** पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र–कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, और

**(ग)** तीन स्वतंत्र व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जो उस सरकार द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

**13 घ. – धारा 10** से लेकर धारा 13क तक  के उपबंध, धारा 13ग के अधीन गठित बोर्ड, केन्द्रीय सरकार और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र–कर्मचारियों को और उनके सम्बन्ध में इन उपान्तरों के अधीन लागू होंगे कि –

**(क)** उनमें बोर्ड और श्रमजीवी पत्रकारों के प्रति निर्देशों का, जहां कहीं भी वे आते हैं, यह अर्थ किया जाएगा कि वे क्रमशः धारा 13ग के अधीन गठित बोर्ड के और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र–कर्मचारियों के प्रति निर्देश हैं,

**(ख)** धारा 11 की उपधारा (3) में धारा 9 के प्रति निर्देशों का यह अर्थ किया जाएगा िकवे धारा 13ग के प्रति निर्देश है, और

**(ग)** धारा 13 और धारा 13क में धारा 12 के प्रति निर्देशों का यह अर्थ किया जाएगा कि वे इस धारा 12 के प्रति निर्देश है।

**कतिपय अधिनियमों का समाचारपत्र–कर्मचारियों पर लागू होना :**

- तत्समय यथा प्रवृत्त औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के उपबन्ध हर ऐसे समाचारप.–स्थापन को, जिसमें बीस या अधिक समाचारपत्र–कर्मचारी नियोजित हैं या पूर्वामी बारह मास के किसी भी दिन नियोजित थे ऐसे लागू होंगे मानो ऐसा समाचारपत्र–स्थापन ऐसी औद्योगिक स्थापन है जिसको पूर्वोक्त अधिनियम उसकी धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है और माना समाचारपत्र–कर्मचारी उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकार हैं।

- तत्समय यथा प्रवृत्त कर्मचारी भविष्य–निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 हर समाचारपत्र–स्थापन को, जिसमें किसी भी दिन बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, ऐसे लागू होगा मानो ऐसा समाचारपत्र–स्थापन ऐसा कारखाना है जिसको पूर्वोक्त अधिनियम उसकी धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है और मानो समाचारपत्र–कर्मचारी उस अधिनियम के अर्थ में कर्मचारी है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** श्रमजीवी पत्रकार से क्या तात्पर्य है?

**प्रश्न 2–** क्या श्रमजीवी पत्रकार संगठन का विस्तार पूरे भारत में हो सकता है?

**प्रश्न 3–** श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम क्या है?

## 5.4 प्रसार भारती अधिनियम– 1990 :

रेडियो व दूरदर्शन को स्वायत्ता देने के लिए प्रसार भारती अधिनियम की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सबसे पहले इसका पारूप 80 के दशक में सामने आया। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री पी उपेन्द्र के प्रयासों से यह प्रारूप तैयार किया गया। इसके बाद वीपी सरकार ने प्रसार भारती विधेयक को तैयार किया। वर्ष 1990 में इसे संसद में पारित किया गया। दुर्भाग्य यह रहा है कि इसे लागू होने से पहले ही वीपी सरकार गिर गयी। यह प्रस्ताव अधर में लटक गया।

वर्तमान प्रसार भारती कानून का मूल नाम भारती प्रसारण निगम विधान 1990 था। इसमें चार अध्याय थे, जो कुल 35 धाराओं–उपधाराओं में बंटे थे। अधिनियम के अनुसार रेडियो–दूरदर्शन का प्रबंधन एक निगम द्वारा किया जाएगा। यह निगम एक 15 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होगा। इस परिषद में एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य, एक वित्त सदस्य, एक कार्मिक सदस्य, छह अंशकालिक सदस्य, एक–एक पदेन महानिदेश आकाशवाणी, महानिदेशक दूरदर्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और कर्मचारियों के दो प्रतिनिधियों का प्रावधान था। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति महामहिम राष्टपति द्वारा की जाएगी। इस प्रावधान के तहत प्रसार भारती बोर्ड सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यह बोर्ड एक साल में अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

अधिनियम में प्रसार भारती बोर्ड की स्वायत्ता के लिए दो समितियों का भी प्रावधान था। इसमें एक संसदीय समिति और दूसरी प्रसार परिषद। संसदीय समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्य सभा के सात सदस्य होंगे। प्रसार परिषद में 11 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्टपति के द्वारा ही की जाएगी।

**1. इस अधिनियिम में प्रसार भारती निगम के प्रमुख उददेश्य :**

1. देश की एकता व अखंडता तथा संविधान में वर्णित लोकतंत्रात्मक मूल्यों को बनाए रखना।

2. सार्वजनिक हित के सभी मामलों की सत्य व निष्पक्ष जानकारी, उचित तथा संतुलित रूप में जनता को देना।

3. शिक्षा और साक्षरता की भावना का प्रचार—प्रसार करना।

4. विभिन्न भारतीय संस्कतियों व भाषाओं के पर्याप्त समाचार प्रसारित करना।

5. स्पर्धा बढाने के लिए खेलकूद के समाचारों को भी पर्याप्त स्थान देना।

6. महिलाओं की वास्तविक स्थिति तथा समस्याओं को उजागर करना।

7. युवा वर्ग की आवश्यकताओं पर ध्यान देना।

8. छुआछूत, असमानता तथा शोषण जैसी सामाजिक बुराईयों का विरोध करना और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना।

9. श्रमिकां के अधिकारों की रक्षा करना।

10. बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना।

**2. प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम विधान 1990 :**

भारतीय प्रसारण निगम की, जिसका नाम प्रसार भारती होगा, स्थापना का उपबध करने, उसके गठन, कत्य तथा शक्तियां परिनिश्चि करने और उसके संबद्व या उनके आनुषंगिक का उपबंध करने के लिए विधेयक भारत गणराज्य के 41वें वर्ष की संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः

1— इस विधान का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम विधान 1990 है।

2— इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

3— यह उस तारीख को प्रवत होगा,जो केन्द्रीय अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**3. परिभाषाएं :**

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो :

**(क)** आकाशवाणी से ऐसे कार्यालय, केन्द्र और अन्य स्थापना चाहे उनका जो भी नाम हो, अभिप्रेत है, जो नियम दिन के ठीक पूर्व, संघ के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आकाशवाणी महानिदेशालय के अंग थे या उसके अधीन थेः

**(ख)** नियम दिन से धारा तीन के अधीन नियम तारीख अभिप्रेत हैः

**(ग)** प्रसारण का अर्थ चिन्ह, सिग्नल, लेखन, चित्र, बिंब, ध्वनियों के इलैक्टो मैग्नेटिक तरंगों द्वारा अंतरिक्ष या तारा द्वारा संप्रेषित करना है जो जनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त होता है, जिसे विविध रिले स्टेशन प्रसारित करते हैं, प्रसारित संचार की।

**(घ)** बोर्ड का अर्थ प्रसार भारती बोर्ड से है।

**(ङ)** प्रसारण परिषद से धारा 13 के अधीन स्थापित परिषद अभिप्रेत है।

**(च)** अध्यक्ष से धारा चार के अधीन नियुक्त निगम का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

**(छ)** निगम के धारा तीन के अधीन स्थापित प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम अभिप्रेत है।

**(ज)** दूरदर्शन से अभिप्रेत हैं ऐसे कार्यालय, केन्द्र और अन्य स्थापन, चाहे उनका जो भी नाम हो, जो नियम दिन के ठीक पूर्व, केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशालय, दूरदर्शन के अंग थे या उनके अधीन थे।

**(झ)** चयनित सदस्य का अर्थ धारा तीन के अंतर्गत चुने गये सदस्य हैं।

**(ञ)** कार्यकारी सदस्य का अर्थ धारा चार के अंतर्गत नियुक्त कार्यकारी सदस्य हैं।

**(ट)** केन्द्र का अर्थ स्टूडियो या टांसमीटरों या दोनों के सहित कोई टेलीकास्टिंग केन्द्र है। इसके अंतर्गत रिले स्टेशन भी है।

**(ठ)** सदस्य का अर्थ निगम का सदस्य है।

**(ड)** सदस्य वित्त का अर्थ धारा चार के अंतर्गत नियुक्त सदस्य वित्त है।

**(ढ)** सदस्य कार्मिक का अर्थ धारा चार के अंतर्गत नियुक्त सदस्य कार्मिक है।

**(त)** नामार्दिष्ट शासक के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा धारा नौ के अधीन नामनिर्दिष्ट अभिप्रेत है।

**(थ)** अवयगत निधि से कुछ स्कीमों के व्यय की पूर्ति करने के सजित निधि अभिप्रेत है।

**(द)** अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

**(ध)** अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत नामनिर्दिष्ट शासक नहीं हैं

**(न)** विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गये निमयों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

**(प)** भर्ती बोर्ड से धारा 10 की उपधारा एक के अधीन स्थापित बोर्ड अभिप्रेत है।

**(फ)** विनियम से निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीपन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।

**(ब)** स्टेशन से स्टूडियो या टांसमीटरों या दोनों के सहित कोई प्रसारण–स्टेशन अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत रिले स्टेशन भी हैं।

**(भ)** पूर्णकालिक सदस्य से कार्यकारी सदस्य वित्त या सदस्य कार्मिक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अभिप्रेत है।

**(म)** वर्ष से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

**5.4.1 प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम –**

**1. निगम की स्थापना और गठन :**

**1**. ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिए एक निगम स्थापित किया जाएगा जिसका नाम प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम होगा।

**2.** निगम पूर्वोक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक नियमित निकाय होगा जिस जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की पंक्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविधा करने की अभिव्यक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उसके विरूद्ध वाद लाया जाएगा।

**3.** निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और निगम भारत में अन्य स्थानों पर और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत के बाहर कार्यालय, केन्द्र या स्टेशन स्थापित कर सकेगा।

**4.** निगम के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन सदस्य बोर्ड में निहित होगा जो सभी ऐसी शक्तियों को प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातो कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा प्रयोग की जाये।

**5.** बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :

(क) अध्यक्ष (एक)

(ख) एक कार्यकारी सदस्य (एक)

(ग) सदस्य (कार्मिक) (एक)

(ड.) अंशकालिक सदस्य (छह)

(च) महानिदेशक–आकाशवाणी (पदेन) (एक)

(छ) महानिदेषक–दूरदर्शन (पदेन) (एक)

(ज) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित मंत्रालय का प्रतिनिधि (एक)

(झ) निगम के कर्मचारियों के प्रतिनिधि, जिनमें से एक इंजीनियरिंग स्टाफ के बीच से, और दूसरा प्रतिनिधि षेश कर्मचारियों के बीच से (दो)

**6.** निगम उतनी समितियां स्थापित कर सकेगा जितनी उसके कृत्यों, शक्तियों और कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पाल, प्रयोग और निर्वाहन के लिए आवश्यक हों। परंतु प्रत्येक समिति के सभी सदस्य, सदस्य होंगे और किसी ऐसी समिति के किसी उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

**7.** निगम ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ सहयोजित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह इस अधिनियम के उपबंध में से किसी का अनुपालन करने में आवष्यक हो और इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को सदस्य बोर्ड के ऐसे विचार–विमर्ष में, जो उन प्रयोजनों से सुसंगत हो जिसके लिए वह सहयुक्त यिका गया है, भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

**8.** सदस्य बोर्ड का यह उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा स्थापित किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि :

(क) बोर्ड या ऐसी समिति में कोई रिक्त या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति से कोई त्रुटि है; या

(ग) बोर्ड या ऐसी समिति की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणावगुण पर प्रभाव न पड़ता हो।

**2 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तिः**

**1.** अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जायेंगे, जिसमें निम्नलिखित होंगे;

(क) राज्य सभा का सभापति

(ख) प्रेस परिषद अधिनियम; 1978 की धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष; और

(ग) भारत के राष्ट्रपति का एक नामित।

**2.** किसी  सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समिति में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

**3.** अध्यक्ष और अंशकालिक, समस्त सार्वजनिक जीवन में ख्याति वाले व्यक्ति होंगे; कार्यकारी सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास प्रषासन, प्रबंध, प्रसारण षिक्षा, साहित्य, संस्कृति कला, संगीत, नाट्यशास्त्र., पत्रकारिता जैसी विषयों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुाााव है, सदस्य (वित्त) ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास वित्तीय ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, सदस्य और अदस्य (कार्मिक) ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास कार्मिक प्रबंध और प्रशासन में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है।

**3. कार्यकारी सदस्य की शक्तियां और कृत्य :**

**1.** अध्यक्ष निगम के ऐसे कृत्यों का पालन व ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो बोर्ड उसे प्रत्यायोजित करें।

**2.** अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि सेवा की शर्तें आदि :

**3.** अध्यक्ष अंशकालिक सदस्य होगा और अपने कार्यभार ग्रहण करने के दिन से छह साल तक के लिए पदभार ग्रहण करेगा।

**4.** कार्यकारी सदस्य, सदस्य (वित्त) तथा सदस्य (कार्मिक) पूर्णकालिक सदस्य होंगे। हर सदस्य छह साल तक पदभार ग्रहण करेगा या तब तक जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता। इन दोनों व्यवस्थाओं में से जो भी पहले हो।

**5.** अंशकालिक सदस्यों की पदावधि छह वर्ष होगी किंतु ऐसे सदस्यों का एक–तिहाई हर दूसरे वर्ष के अवसान पर सेवा निवृत्त हो जाएगा।

**6.** चुने गए सदस्यों की पदावधि दो वर्श या तब तक होगी जब तक वह निगम से सेवानिवृत्त नहीं हो जाता।

**7.** भारत का राष्ट्रपति, निगम की स्थापना के पश्चात् यथाशक्त शीघ्र आदेश द्वारा उस समय नियुक्त अंशकालिक सदस्यों में से कुछ सदस्यों की पदावधि कम करेन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे जिससे कि अंशकालिक सदस्य के रूप में पद धारण करने वाले सदस्यों को एक–तिहाई उसके पश्चात् प्रत्येक दूसरे वर्श में जो सेवानिवृत्त हो जाये।

**8.** जहां अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व कोई रिक्ति चाहे किसी भी कारण से हुई हो वहां ऐसी रिक्ति को आकस्मिक–रिक्ति समझा जाएगा और ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त यिका गया व्यक्ति उस पदावधि को अनवसित अवध के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए उसकेपद–पूर्ववर्ती यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती तो धारण करता।

**9.** पूर्णकालिक सदस्य निगम के कर्मचारी होंगे वे ऐसे वेतनों और भर्ती के हकदार होंगे, छुट्टी, पेंशन (यदि कोई है) भविष्य–निधि और अन्य विषयों की बाबत सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जो विहित की जाएं।

परंतु उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके वेतनों और भत्तों तथा सेवा की शर्तों में उनके लिए अलाभप्रद कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा।

**10.** अंशकालिक सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो विहित किया जाएं।

**4. अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना और निलबंन :**

**1.** डपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य पूर्णकालिक या कोई अंशकालिक सदस्य अपने पद से कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए निर्देश पर, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में जिसका उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा उपबंध करें, जांच की जाने पर यह रिपोर्ट दे दे कि, यथास्थिति अध्यक्ष या अन्य पूर्णकालिक शासन या अंशकालिक शासन को ऐसे आधार पर हटा देना चाएिह।

**2.** राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय को अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या अन्य सदस्य को, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है पद से ऐसे निर्देश पर, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति के आदेश पारित करने तक निलंबित का सकेगा।

**3.** राष्ट्रपति, उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा अध्यक्ष या अन्य पूर्णकालिक सदस्य, को आदेष द्वारा उसके पद से हटा सकेगा यदि ऐसा अध्यक्ष या ऐसा अन्य पूर्णकालिक सदस्य।

**(क)** दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया; या

**(ख)** अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी वैतनिक नियोजना में लगा हुआ है; या

**(ग)** राष्ट्रपति की राय में शारीरिक या मानसिक दौर्बल्य के कारण पद पर बने रहने के आयोग्य है।

परंतु राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, किसी अंषकालिक शासक को पद से हटा सकेगा यदि वह दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या जहां वह राष्ट्रपति की राय में शारीरिक और मानसिक दौर्बलय के कारण पर पर बने रहने के अयोग्य है।

**4.** यदि अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य, ('पदेन' को छोड़कर) निगम भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई संविधान या करार में सिकी प्रकार के संबंद्ध या हितबद्ध है या हो जाता है अथवा उसके लाभ में या उससे उद्भुत होने वाले किसी फायदे उपलब्धि में कोई लाभ किसी यिमित कंपनी के सदस्य से भिन्न रूप में और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर किसी प्रकार के भाग लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

**5.** यदि कोई अंशकालिक सदस्य निगम द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार में किसी प्रकार से सबंद्ध हो जाता है कि तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

**6.** अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देकर अपना पर त्याग सकेगा और ऐसे त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य के बारें में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

**5. बोर्ड के अधिवेशन :**

**1.** बोर्ड के अधिवेशन ऐसे समय और स्थानों पर होंगे और वे अपनी अधिवेशनों में कामकाज (जिसके अंतर्गत अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों को पालन करेगा जिनका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाये। परंतु प्रत्येक वर्ष में कम से कम छः अधिवेशन लेने होंगे किन्तु एक अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के बीच में तीन मास से अधिक का अंतर नहीं होगा।

**2.** यदि सदस्य बोर्ड के लगातार तीन अधिवेशनों से अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।

अध्यक्ष बोर्ड अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और यदि वह किसी कारण से किसी अधिवेशन में हाजिर होने में असमर्थ है तो कार्यपालक सदस्य और दोनों की अनुपस्थिति में ऐसे अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई अन्य शासक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

**3.** बोर्ड अधिवेशन में उठने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतापें की बहुसंख्या से होगा और में बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले किसी व्यक्ति को द्वितीय या निर्णायक मद देने का अधिकार होगा।

**6. निगम के अधिकारी और अन्य कर्मचारीः**

**1.** ऐसे नियंत्रण, निर्वचनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं निगम भर्ती के बोर्ड से परामर्श करके अधिकारियों और कर्मचारियो को नियुक्त कर सकेगा जो आवश्यक हो।

**2.** ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धतियों और उनसे संबद्ध सभी अन्य विषयों तथा ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जिनका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए।

**7. भर्ती बोर्ड की स्थापना :**

निगम नियम दिन के पश्चात् यथाशीघ्र आौर ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएः धारा 9 के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक बोर्ड स्थापित कर सकेगा।

जिनमें सभी व्यक्ति ऐसे होंगे जो निगम के शासक अधिकारी और अन्य कर्मचारी की नियुक्ति के लिए भर्ती बोर्ड में निगम–अध्यक्ष, जो पदेन सरकार तथा नामित एवं चुने सदस्य शामिल होंगे।

**8. विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का निगम को अंतरण :**

**1.** जहां केन्द्रीय सरकार ने किन्हीं ऐसे कृत्यों का, जो धारा 12 अधीन नियम के कृत्य हैं, संपादन करना समाप्त कर दिया है वहां केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा और ऐसी तारीख या तारीखों से, जारे आदेश में निविर्दिष्ट की जाएं, ऐसे किन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को जो आकाषवाणी या दूरदर्शन में सेवारत हैं और उन कृत्यों का संपादन करने में लगे हुए हैं, निगम को अवतरित कर दें।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश आकाशवाणी या दूरदर्शन में किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी के बारे में नहीं किया जायेगा जिसने निगम को अपना अंतरण किए जाने सा केन्द्रीय सरकार की प्रस्थापना की बाबत, निगम का कर्मचारी न बनने का अपना आशय ऐसे समय के भीतर प्रज्ञापित कर दिया है जो सरकार द्वारा इसे निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाये।

**2.** उपधारा 1 के उपबंध भारतीय सूचना सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा या किसी अन्य सेवा को या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन बाहा काडरों के ऐसे व्यक्तियों को भी जो नियत दिन से ठीक पूर्व आकाशवाणी या दूरदर्षन से कार्य कर रहे हैं। लागू होंगे। परंतु जहां कोई ऐसा सदस्य, उपधारा 1 में निर्दिष्ट समय के भीतर अपना ऐसा आशय कि निगम का कर्मचारी नहीं बनना है औश्र प्रति नियुक्ति पर बना रहना चाहता है, संसूचित करना चाहता है वहां उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार, जो विहित की जाएं, प्रतिनियुक्ति पर पर बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

**3.** उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय केन्द्रीय सरकार यथाषक्य उन कृत्यों पर, जिनका संपादन करना, यथास्थिति, आकाषवाणी या दूरदर्शन ने समाप्त कर दिया है या किया जा रहा है, विचार करेगी।

**4.** उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अंतरित कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी अंतरण की तारीख से ही केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी नहीं रह जाएगा और निगम का कर्मचारी ऐसे पदनाम से हो जाएगा जो निगम अवधारित करें और उपधारा 5, उपधारा 6 और 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों की बाबत जिनके अंतर्गत पेंशन, छुट्टी और भविष्यनिधि आदि इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा बनाए गए विनियमों से शासित होगा तथा जब तक उसका नियोजन निगम द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता है जब तक वह निगम का अधिकारी या अन्य कर्मचारी बना रहेगा।

**5.** प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसे उपधारा 1 के अधीन, किए गए किसी आदेश द्वारा स्थांतरित किया गया है, अंतरण की तारीख से छह माह के भीतर अपने इस विकल्प का प्रयोग लिखित रूप से करेगा कि वह –

**(क)** उस वेतनमान से, जो निगम के अधीन उस पद को, जिस परउसे अंतरित किया गया है, लागू है शासित होगा। परंतु किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा खंड (क) के अधीन प्रयुक्त विकल्प निगम के अधीन केवल उस पद की बाबत लागू होगा जिस पर ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को अंतरित किया गया है

और निगम के अधीन किसी उच्चतर पद पर नियुक्त होने पर कवेल उस वेतनमान का पात्र होगा जो उस उच्चतर पद को लागू हो।

परंतु यह और कि यदि अपने अंतरण की तारीख के ठीक पूर्व ऐसा कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी सरकार के अधीन या तो किसी छुट्टी से हुई रिक्त में या विनिर्दिष्ट अवधि की किसी अन्य रिक्त में किसी उच्चतर पद पर कार्य कर रहा है, तो अंतरण होने पर उसका वेतन ऐसी रिक्त की अनवसित अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा और तत्पश्चात् वह उस वेतनमान का, जो सरकार के अधीन उस पद को लागू है जिस पर वह प्रतिवर्तित होता या उस वेतनमान का, जो निगम के अधीन उस पद को लागू है जिस परउसे अंतरित किया गया है, इन दोनों में से जिसके लिए भी वह अपने विकल्प का प्रयोग करे, हकदार होगा।

परंतु जब कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो संघ सूचना और प्रसारण मंत्रालय या उसके किसी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों में सेवा कर रहा है, ऐसी किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के, जो उस विभाग या कार्यालय में ऐ अंतरण केपूर्व उससे ज्येश्ठ था, निगम को अंतरित किए जाने के प्च्चात् उस विभाग या कार्यालय में किसी उच्च पद पर कार्य करने के लिए प्रोन्नत किया गया है, तो वह अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसे वह, यदि प्रोन्नत किया गया है, तो वह अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसे वह, यदि प्रोन्नत न हुई होती तो, धारित करता या उस वेतनमान का जो निगम के अधीन उस पद को लागू है जिस पर अंतरित किया गया है, इन दोनों में से जिसके लिए भी वह अपने विकल्प का प्रयोग करे, हकदार होगा।

1. उपधारा (1) या उपधारा (2) कि अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा अंतरित कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी –

(क) विनियमों में ही विनिर्दिष्टों किए जाने वाले ऐसे प्राधिकारी के जो निगम के अधीन वैसी ही या समतुल्य नियुक्ति करने के लिए सक्षम हो अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा न तो पदच्युत किया जाएगा और न पद से हटाया जायेगा।

(ख) तब तक न पदच्युत किया जाएगा, न पद से हटाया जाएगा और नअवनत किया जाएगा। जब तक कि ऐसी जांच नहीं कर ली जाती जिसमें उसे उसके विरूद्ध आरोपों से अवगत करा दिया हो और उन दोशारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो।

परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात उस पर कोई ऐसी शासित अधिरोपित करना प्रस्थापित हो, वहां ऐसी जांच के दौरान दिए साक्ष्य के आधार पर ऐसी शासित आरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शासित की बाबत अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

परंतु यह और कि खंड (ख) –

- वहां लागू नहीं होगा जहां कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या पद से हटाया गया या अवनत किया गया है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर वह सिद्ध दोष ठहराया गया है; या
- वहां लागू नहीं होगा जहां किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को पदच्युत करने या पद से हटाने या अवनत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, युक्तियुक्त रू‍ से यह साध्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाये।

● यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की बाबत ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि उस अपधारा में यथानिर्दिश्ट, जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य है नही ंतो उस प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा जो उस पदच्युत करने या पद से हटाने या अवनत करने के लिए सशक्त है।

**9. निगम के कृत्य और शक्तियां :**

**1.** इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह जनता को जानकारी देने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने के लिए और रेडियो और टेलीविजन पर सार्वजनिक प्रसारण सेवा का संगठन और संचालन करे।

व्याख्या : संदेह निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड की व्यवस्थाएं 1805 के भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की व्यवस्थाओं के पूरक के तौर पर होंगीं न कि उच्छेदक के रूप में।

**2.** निगम अपने कृत्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्देश्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, अर्थात् :

(क) देश की एकता और अंखडता तथा संविधान के दिए गए लोकतंत्रात्मक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना।

(ख) नागरिक के इस अधिकार को सुरक्षित रखना कि उसे सार्वजनिक हित के सभी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विषयों की स्वतंत्र, सत्या और निष्पक्ष जानकारी प्राप्त हो और जानकारी को उचित तथा संतुलित रूप से प्रस्तुत करना जिसके अंतर्गत परस्पर विरोधी विचारों को अपनी कोई राय या विचारधारा का समर्थन किए बिना प्रस्तुत करना भी है।

(ग) शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि–ग्रामीण–विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार–कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना।

(घ) समुचित कार्यक्रमों का प्रसारण करके देष के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न–भिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को पर्याप्त समाचार देना।

(ङ) क्रीड़ा और खेलकूद के पर्याप्त समाचार देना जिससे कि अच्छी स्पर्धा और खेलकूद की भावना को प्रोत्साहन दिया जा सके।

(च) युवकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित कार्यक्रम देना।

(छ) महिलाओं की स्थिति और समस्याओं के संबंध में जानकारी देना और राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करना, तथा महिलाओं की उन्नति के लिए विशेष ध्यान देना।

(ज) सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना तथा शोषण, असमानता और छुआछूत जैसी बुराईयों का प्रतिरोध करना, तथा समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण को अग्रसर करना।

(झ) श्रमजीवी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को अग्रसर करना।

(ञ) ग्रामीण और जनता के दुर्बल वर्गों तथा सीमावर्ती पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों की सेवा करना।

(ट) अल्पसंख्यकों और जनजाति समुदायों की विशेष आवष्यकताओं को ध्यान में रखकर समुचित कार्यक्रम देना।

(ठ) बालकों, अंधों, वृद्धों, अपंग तथा निर्बल वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष उपाय करना।

(ड) ऐसी रीति से प्रसारण करके राष्ट्रीय अखंडता का संवर्धन करना जिससे भारत की भाषाओं के संपर्क को सुकर बनाया जासके, और प्रत्येक राज्य की भाषा में प्रादेशित प्रसारण सेवाओं के संवितरण को सुकर बनाया जा सके।

(ढ) समुचित प्रौद्योगिक का चयन करके तथा उच्च क्वालिटी की ग्रहणशीलता सुनिश्चित करके और उपलक्ष्य प्रसारण फ्रीक्वेंसियों का सर्वोत्तम उपयोग करके व्यापक प्रसारण समाचार देने की व्यवस्था करना।

(ण) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों का संवर्धन करना जिससे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण प्रौद्योगिकी को सतत रूप में अद्यतन बनाया जा सके।

(त) पोषण के अतिरिक्त चैनल स्थापित करके विभिन्न स्तरों पर प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना।

**3.** विशिष्टता और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम निम्नलिखित कार्य करने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, अर्थात् 7

(क) यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्रसारण का संचालन लोक सेवा के रूप में हो रहा है।

(ख) रेडियो और टेलीविजन के लिए समाचार संग्रह की पद्धति स्थापित करना।

(ग) प्रसारण के लिए खेलकूद आयोजनों और सार्वजनिक रूचि की अन्य घटनाओं, फिल्मों, सीरियलों, अवसरों, अधिवेशनों, समारोहों या प्रासंगिक बातों की बाबत कार्यक्रमों और अधिकारों या विशेषाधिकारों को क्रय करने या अन्यथा अर्जित करने के लिए बातचीत करना और सेवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रमों, अधिकारों या विशेषाधिकारों को क्रय करने या अन्यथा अर्जित करने के लिए बातचीत करना और सेवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रमों, अधिकारों या विशेषाधिकारों के आवंअन की प्रक्रिया स्थापित करनां

(घ) ऐसे कार्यक्रम, श्रोता अनुसंधान, बाजार या तकनीकी सेवा समय–समय पर करना या कराना जो ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी रीति से तथा ऐसे निर्बधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जाये जो निगम ठीक समझे।

(ङ) ऐसी अन्य सेवाओं की स्थापना करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिश्ट की जाएं।

**4.** उपधारा (2) और उपधारा (3) की बात निगम की केन्द्रीय सरकार की ओर से विदेष सेवा के प्रसारण और केन्द्रीय सरकार द्वारा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए ठहरावों के आधार पर भारत के बाहर के संगठनों द्वारा बनाए गए प्रसारणों के अनुश्रवण का प्रबंध करने के निवारित नहीं करेगी।

**5.** इस उपखं में घोषित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय निर्धारण के उद्देश्यों हो, केन्द्र सरकार विज्ञापन प्रसारण के लिए किए जाने वाले अधिकतम समय सीमा निर्धारित करने की अधिकारिणी होगी।

**6.** निगम किसी सिविल दायित्व के अधीन केवल प्रसारण के लिए किए जाने वाले अधिकतम समय सीमा निर्धारित करने की अधिकारिणी होगी।

**7.** निगम को विज्ञापनों और ऐसे कार्यक्रमों के लिए या उनकी बाबत जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं फीस या अन्य सेवा प्रभारी अवधारित और उद्गृहीत करने की शक्ति होगी। बशर्ते कि इस उपखंड के अंतर्गत एकत्रित फीस समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित का पालन करे।

**10 संसदीय समिति :**

**1.** इस समिति में लोकसभा से 15 तथा राज्य सभा से 7 सदस्य होंगे जो अनुपातिक–प्रणाली से चुने जायेंगे, या समिति इस विधान के तहत निगम के कार्यों की निगरानी करेगा खासकर धारा 12 के लक्ष्यों के अनुपालन के संदर्भ में निगरानी करेगी तथा संसद को रिपोर्ट देगी।

**2.** समिति लोकसभा के स्पीकर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार काम करेगी।

**3.** (1) एक प्रसारण परिषद होगी जो धारा 15 के संदर्भ में शिकायतें प्राप्त करेगी एवं विचार करेगी तथा निगम को उसके कामों में धारा 12 के अनुसार काम करने की सलाह देगी।

(2) परिषद का रूप इस प्रकार होगा :

(क) भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष तथा दस सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, ये विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख विद्वान होंगे।

(ख) परिषद में चार सांसद होंगे, दो लोक सभा के स्पीकर नामित करेंगे, दो राज्य सभा के सभापति नामित करेंगे।

**4.** प्रसारण परिषद का अध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य होगा और प्रत्येक अन्य सदस्य अंशकालिक होगा तथा अध्यक्ष या अंशकालिक सदस्य उस तारीख से जिसका वह अपना पद ग्रहण करता है तीन वर्ष की अवधि तक उस रूप में पद धारण करेगा।

**5.** प्रसारण परिषद उतनी प्रादेशिक परिषदें गठित कर सकेगी जितनी वह परिषद की उसकी कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवष्यक समझे।

**6.** प्रसारण परिषद का अध्यक्ष, ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और छुट्टी पेंशन (यदि कोई हो), भविश्य निधि और अन्य विषयों की बाबत सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो विहित जाएं।

परंतु वेतन तथा भत्तों के अन्य सदस्य और उपधारा (4) के अधीन गठित प्रादेशिक परिषदों के सदस्य ऐसे भत्तों के हकदर होंगे जो विहित एिक जाएं।

**11. प्रसारण परिषद की अधिकारिता और उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :**

**1.** प्रसारण परिषद निम्नलिखित से परिवाद ग्रहण करेगी और उन पर विचार करेगी, अर्थात् :

**2.** कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो यह अधिकथित करता है कि कोई कार्यक्रम या प्रसारण या निगम का कार्यक्रम किन्हीं विनिर्दिष्ट मामलों में या साधारण तौर पर उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है जिनके लिए निगम स्थापित किया गया है।

**3.** कोई व्यक्ति (निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी से भिन्न) जो यह दावा किसी रीति से न्यायपूर्ण या अनुचित व्यवहार किया गया है, जिसके अंतर्गत उसकी एकांतता का अवांछित अतिक्रमण, दुर्व्यप्रदेषन, या तोड़–मरोड़ है या उद्देश्यपूर्णता का अभाव है।

**4.** उपधारा (1) के अधीन कोई परिवादी ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

**5.** प्रसारण परिषद उसके द्वारा प्राप्त परिवादों के निपटाने के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो वह ठीक समझे।

**6.** यदि परिवाद पूर्णतः या भागतः न्यायोचित पाया जाता है तो प्रसारण परिषद कार्यपालक सदस्य को समुचित कार्रवाई करने के लिए सलाह देगी।

**7.** यदि कार्यपालक सदस्य प्रसारण की सिफारिश स्वीकार करने में असमर्थ है, तो वह ऐसी सिफारिश को शासक–बोर्ड के समक्ष उस पर उसके विनिश्चय के लिए रखेगा।

**8.** यदि बोर्ड प्रसारण परिषद की सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ है; तो वह उसके अपने कारण अभिलिखित करेगा तदनुसार प्रसारण परिषद को सूचित करेगा।

**9.** उपधारा (5) एवं (6) के बावजूद, जरूरी होने पर परिषद लिखित कारण रिकार्ड करके निगम को अपनी सिफारिशें प्रसारित करने को कह सकती है।

**12. आस्तियां, वित और लेखाः**

**1. केन्द्रीय सरकार की कुछ आस्तियों, दायित्वों आदि का निगम को अंतरणः नियत दिन से ही–**

(क) समस्त संपत्ति और आस्तियां जिनके अंतर्गत व्ययगत निधि भी है। जो आकाशवाणी या दूरदर्शन या दोनों के लिए ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार में निहित थीं, निगम को अंतरित हो जाएगी।

(ख) आकाशवाणी या दूरदर्शन दोनों के या प्रयोजनों के लिए या उनके संबंध में ऐसे दिन के ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व की गई सभी संविदाएं और किए जाने वाले सभी विषयों ओर बातों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे निगम द्वारा या उसके लिए उपगत है, की गई और की जानी वाली है।

(ग) ऐसे दिन के ठीक पूर्व आकाशवाणी या दूरदर्शन या दोनों के संबंध में केन्द्रीय सरकर को शोध्य सभी धनराशियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे निगम को शोध्य हैं।

(घ) आकाशवाणी या दूरदर्शन या दोनों से संबंधित किसी विषय के लिए ऐसेस दिन के ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार या उसके विरूद्ध जारी रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

**13. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान आदि :**

निगम को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्ष निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा विधि इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष –

(1) प्रसारण रिसीवर अनुज्ञप्ति फीस के आगम, उसमें से संग्रहण प्रभाव घटाकर, और

(2) ऐसी अन्य धनराशियों जो सरकार आवश्यक समझे, साधारण पूंजी, सहायता, अनुदान या उधार के रूप में निगम को संदत्त कर सकेगी।

**14. निगम की निधि :**

1. निगम की अपनी निधि होगी और निगम की सभी प्राप्तियां (जिनके अंतर्गत निगम को धारा 15 के अधीन अंतरिम रकमें भी हैं) निधि में जमा की जाएंगी और निगम द्वारा सभी संदाय उसमें से किए जायेंगे।

2. निधि का सभी धन किसी एक या अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसी रीति से जमा किया जाएगा जो निगम विनिश्चित करे।

3. निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि व्यय कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशि का निगम की निधि में से संदेय माना जाएगा।

**स्पष्टीकरण–** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'राष्ट्रीयकृत बैंक' से बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अज्रन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थायी नया बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अज्रन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थायी नया बैंक अभिप्रेत है।

**धन का विनिधान :**

निगम अपने धन का विनिधान केन्द्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में से ऐसी अन्य रीति से कर सकेगा जो विहित की जाएं।

**15. निगम के लेखे और लेखा–परीक्षा :**

**1.** निगम उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो विहित की जाएं।

**2.** निगम के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रण–महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखा–परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय निगम द्वारा नियंत्रण–महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

**3.** नियंत्रण–महालेखापरीक्षक को और निगम के लेखाओं की परीक्षा से संबंधित उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा–परीक्षा के संबंध में वहीं अधिकारी और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रण–महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टितया उसके बहियों, लेखाओं, संबंध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने का ओर प्राधिकरण के किसी कार्यालय का निरीक्षक करने का अधिकार होगा।

**4.** भारत के नियंत्रण–महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निगम के यथा प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा–परीक्षा की रिपोर्ट सहित प्रतिवर्श केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद के प्रतयेक सदन के समक्ष रखवाएगी।

**16. निगम का कर के दायित्वाधीन न होना :**

आय–कर अधिनियम 1961 में या आय कर, या आय, लाभ या अभिलाभ पर किसी अन्य कर से संबंधित तत्समय प्रवृति किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निगम निम्नलिखित के बारे में आय–कर, या अन्य कर का संदाय करने के दायित्वाधीन नहीं होगा, अर्थात् :

(क) निगम को निधि से प्रोद्भूत या उद्ीूत कोई आय, लाभ या अभिलाभ या ऐसी निधि में प्राप्त कोई रकम और

(ख) निगम द्वारा व्युत्पन्न कोई आय, लाभ या अभिलाभ अथवा उसके द्वारा प्राप्त कोई रकम।

**17. निर्देश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां :**

जहां निगम उपधारा (1) के अधीन जारी किए गये निर्देश के अनुसरण में कोई विशेष प्रसारण करता है वहां निगम द्वारा ऐसे प्रसारण के साथ यदि निगम ऐसी इच्छा करे, इस तथ्य की घोषणा की जा सकेगी कि ऐसी प्रसारण ऐसे निर्देश के अनुसरण में किया गया है।

3.उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रतयेक निर्देष की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

**18. संसद को प्रतिवेदन देना तथा बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई :**

**1.** धारा 23 के अंतर्गत आदेशित दिशाओं में अनुपालन में बोर्ड लगातार गलती करता है या धारा 24 के तहत मांगी गई सूचना देने में असफल रहता है, ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार एक प्रतिवेदन तैयार कर सकती है और सिफारिश या जरूरी कार्रवाई (जिसे सदन उचि समझे) के लिए दोनों सदनों में रख सकती है।

**2.** संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति, बोर्ड, को अधिकतम छह महीने के लिए अधिकारच्युत कर सकता है तथा बोर्ड जवाबों तथा आपत्तियों को सुन सकता है।

**3.** उपधारा (2) के तहत सूचना प्रकाशन पर (क) अधिकारच्युत होने की तिथि के दिन से ही बोर्ड के सभी सदस्य कार्यालय छोड़ देंगे, (ख) वे तमाम काम और कर्तव्य, जो इस विधान के तहत बोर्ड के सदस्य निभाते थे फिर दोबारा बोर्ड के बनने तक ऐसे लोगों द्वारा निभाए जाएंगे जिन्हें राष्ट्रपति आदेश दें।

**4.** उपधारा (2) के तहत अधिकारच्युत करने वाले आदेष में लिखित अवधि के समाप्त होने पर राष्ट्रपति फिर से नई नियुक्तियां करके बोर्ड बना सकता है तथा ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने धारा (क) की उपधारा (3) के तहत कार्यालय छोड़ा है, वह पुनर्नियुक्ति के आयोग्य नहीं समझा जाएगा।

बशर्ते कि राष्ट्रपति इस उपधारा के तहत, अधिकारच्युत करने के कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही कार्रवाई करे।

**5.** उपधारा (2) तहत जारी सूचना को केन्द्र सरकार ही देगी तथा दोनों सदनों से प्रत्येक सदन के सम्मुख अपना पूर्ण प्रतिवेदन रखेगी।

**6.** यह घोषित किया जाता है कि प्रसारण परिषद या धारा 13 के तहत सदस्यता ग्रहण करने से कोई व्यक्ति सांसद होने के आयोग्य नहीं होगा।

**7.** बोर्ड के तमाम लोक–सेवक कहलाएंगे।

**19. वार्षिक रिपोर्ट :**

निगम प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय के भीतर जो विहत किया जाए, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण, जिनमें प्रसारण परिषद द्वारा की गई सिफारिशों और दिए गए सुझाव और उनपर की गई कार्यवाही ही है, दिया जाएगा और उसके प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी और वह सरकार उसे सदन के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

1. हर वर्ष प्रसारण परिषद, एक बार दिए गए रूप में एवं समय में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें वह अपने पिछले वर्ष के कामों का तमाम ब्यौरा देगी जिसकी प्रक्रिया कि केंद्र सरकार की जाएगी जो प्रत्येक सदन के पटल पर रखेगी।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** प्रसार भारती अधिनियम (1990) क्या है?

**प्रश्न 2–** वर्तमान प्रसार भारती कानून का मूल नाम क्या था ?

**प्रश्न 3–** प्रसार भारती अधिनियम 1990 के अनुसार प्रसार भारती निगम बोर्ड में कितने सदस्य होने चाहिए?

**प्रश्न 4–** प्रसार भारती में संसदीय समिति से क्या तात्पर्य है ?

## 5.5 सिनेमेटोग्राफ एक्ट– 1952

मीडिया से जुडे छात्र–छात्राओं को सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की भी जानकारी होनी चाहिये। सिनेमा जगत भी मीडिया से प्रत्यक्ष रूप से ताल्लुक रखता है। किस तरह की फिल्में आ रही हैं, इसका समाज में क्या प्रभाव पडेगा, इसके साथ ही संबंधित अधिनियम के अनुरूप फिल्म का निर्माण हुआ है या नहीं। पत्रकारिता से जुडे विद्यार्थी इन सभी पहलुओं की जानकारी बारीकी से होनी चाहिये। अगर पूरी जानकारी होगी तो उसे समाचार लिखने में आसानी होगी।

सिनेमा फिल्मों के निर्माण, प्रसारण व वितरण को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम को वर्ष 1952 को संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल चार भाग हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ भाग पूरे भारत में एक समान लागू होते हैं। इसके अलावा अधिनियम का तीसरा भाग केवल केन्द्र शासित प्रदेशों में ही लागू होता है। वर्ष 1952 से अब तक समय–समय पर इस अधिनियम में परिवर्तन भी होता रहा। वर्तमान में यह जिस रूप में लागू है, इस अधिनियम के प्रावधान निम्न प्रकार हैंः–

1– केन्द्र सरकार एक फिल्म प्रमाणन परिषद फिल्म सेंसर बोर्ड बनाएगी। यह बोर्ड भारत में प्रदर्शित होने

वाली फिल्मों को देखकर बताएगी कि यह फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है या नहीं। फिल्म प्रमाणन परिषद द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकेगा।

2– अगर सिनेमा गहों का संचालन करना है या फिर सिनेमेटोग्राफ संबंधी उपकरणें को संचालित किया जाना है तो इसके लिए सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी से अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के फिल्म आदि का प्रसारण करना गैर कानूनी माना जाएगा।

3– केवल वयस्कों द्वारा देखने योग्य फिल्मों को पहले सेंसर बोर्ड द्वारा ए प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद ही सिनेमा घरों में इस फिल्म को प्रदर्शित किया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य फिल्मों को ब यू या स प्रमाणपत्र लेना होगा। ए प्रमाण पत्र वाली फिल्मों को केवल वयस्क ही देखेंगे। इसके लिए 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति ही वयस्क माना जाएगा।

4– वर्तमान में प्रि–रिकार्डेड कैसेट व सीडी भी फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं। इन फिल्मों को भी सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत माना जाएगा।

5– सेंसर बोर्ड द्वारा जारी फिल्म से संचालक या किसी अन्य पक्ष को किसी भी तरह की आपत्ति होने पर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता हैं। इस प्राधिकरण का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इसकी सूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

6– फिल्म प्रमाणन परिषद के नियम टेलीविजन माध्यम पर भी एकसमान लागू होंगे।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** सिनेमेटोग्राफ 1952 क्या है?

**प्रश्न 2–** फिल्म प्रमाणन परिषद फिल्म सेंसर बोर्ड का क्या उद्देश्य है?

**प्रश्न 3–** क्या फिल्म प्रमाणन परिषद के नियम टेलीविजन माध्यम पर भी लागू होंगे?

## 5.6 सारांश :

मीडिया से जुड़े तमाम कर्मचारियों व पत्रकारों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुये उनके हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए प्रथम प्रेस आयोग ने वर्ष 1954 में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए संसद में प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955 पारित किया। इसका मुख्य उददेश्य समाचार पत्रों में कार्य करने वाले और एजेंसियों में कार्य करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों के लिए सेवा–शर्तों का निर्धारण करना था। यह सेवा–शर्तें श्रमजीवी पत्रकारों की गरिमा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इसमें श्रमजीवी पत्रकारों के हित में विशेष प्रावधान किये गये हैं।

यह कानून पहले जम्मू–कश्मीर के लिए लागू नहीं था लेकिन 1970 के बाद इसका विस्तार वहां भी कर दिया गया।

इस अधिनियम के अनुसार श्रमजीवी पत्रकार वह है जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता हो या फिर व किसी समाचार पत्र स्थापन में या उसे संबंध में पत्रकार की हैसियत से कार्य करता हो। इसके तहत संपादक, स्थानीय संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, कॉपी एडिटर, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर

आदि आते हैं।

इलेक्ट्रानिक मीडिया की प्रमुख विधाएं रेडियो व दूरदर्शन को स्वायत्ता देने के लिए प्रसार भारती अधिनियम की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सबसे पहले इसका पारूप 80 के दशक में सामने आया। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री पी उपेन्द्र के प्रयासों से यह प्रारूप तैयार किया गया। इसके बाद वीपी सरकार ने प्रसार भारती विधेयक को तैयार किया। वर्ष 1990 में इसे संसद में पारित किया गया। दुर्भाग्य यह रहा है कि इसे लागू होने से पहले ही वीपी सरकार गिर गयी। यह प्रस्ताव अधर में लटक गया।

अधिनियम के अनुसार रेडियो–दूरदर्शन का प्रबंधन एक निगम द्वारा किया जाएगा। यह निगम एक 15 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होगा। इस परिषद में एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य, एक वित्त सदस्य, एक कार्मिक सदस्य, छह अंशकालिक सदस्य, एक–एक पदेन महानिदेश आकाशवाणी, महानिदेशक दूरदर्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और कर्मचारियों के दो प्रतिनिधियों का प्रावधान था। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति महामहिम राष्टपति द्वारा की जाएगी। इस प्रावधान के तहत प्रसार भारती बोर्ड सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यह बोर्ड एक साल में अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

सिनेमा जगत भी मीडिया से प्रत्यक्ष रूप से ताल्लुक रखता है। किस तरह की फिल्में आ रही हैं, इसका समाज में क्या प्रभाव पडेगा, इसके साथ ही संबंधित अधिनियम के अनुरूप फिल्म का निर्माण हुआ है या नहीं। पत्रकारिता से जुडे विद्यार्थी को इन सभी पहलुओं की जानकारी बारीकी से होनी चाहिये। अगर पूरी जानकारी होगी तो उसे समाचार लिखने में आसानी होगी।

## 5.7 शब्दावली :

**श्रमजीवी पत्रकार :** श्रमजीवी पत्रकार वह है जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता हो या फिर व किसी समाचार पत्र स्थापन में या उसे संबंध में पत्रकार की हैसियत से कार्य करता हो। इसके तहत संपादक, स्थानीय संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, कॉपी एडिटर, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर आदि आते हैं। इसके अलावा कई पत्रों में अंशकालिक रूप से कार्य करने वाले पत्रकार शामिल हैं, जिनका व्यवसाय पूर्णतः पत्रकारिता पर ही आधारित हो।

**संसदीय समिति :** प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत प्रसार भारती निगम की इस समिति में लोकसभा से 15 तथा राज्य सभा से 7 सदस्य होंते हैं, जो अनुपातिक–प्रणाली से चुने जाते हैं, या समिति इस विधान के तहत निगम के कार्यों की निगरानी करती है। खासकर धारा 12 के लक्ष्यों के अनुपालन के संदर्भ में निगरानी करती है तथा संसद को रिपोर्ट दती है।

**प्रसार भारती अधिनियम (1990) :** रेडियो व दूरदर्शन को स्वायत्ता देने के लिए प्रसार भारती अधिनियम की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सबसे पहले इसका पारूप 80 के दशक में सामने आया। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री पी उपेन्द्र के प्रयासों से यह प्रारूप तैयार किया गया। इसके बाद वीपी सरकार ने प्रसार भारती विधेयक को तैयार किया। वर्ष 1990 में इसे संसद में पारित किया गया। दुर्भाग्य यह रहा है कि इसे लागू होने से पहले ही वीपी सरकार गिर गयी।

**सिनेमेटोग्राफ एक्ट (1952) :** सिनेमा फिल्मों के निर्माण, प्रसारण व वितरण को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम को वर्ष 1952 को संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल चार भाग हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ भाग पूरे भारत में एक समान लागू होते हैं। इसके अलावा अधिनियम का तीसरा भाग केवल केन्द्र शासित प्रदेशों में ही लागू होता है। वर्ष 1952 से अब तक समय–समय पर इस अधिनियम में परिवर्तन भी होता रहा।

## 5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर :

**उत्तर 5.3**

**उत्तर 1–** श्रमजीवी पत्रकार वह है जिसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता हो या फिर व किसी समाचार पत्र स्थापन में या उसे संबंध में पत्रकार की हैसियत से कार्य करता हो। इसके तहत संपादक, स्थानीय संपादक, उप संपादक, फीचर लेखक, कॉपी एडिटर, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर आदि आते हैं। इसके अलावा कई पत्रों में अंशकालिक रूप से कार्य करने वाले पत्रकार शामिल हैं, जिनका व्यवसाय पूर्णतः पत्रकारिता पर ही आधारित हो।

**उत्तर 2–** श्रमजीवी पत्रकार संगठन पूरे भारत में अपना संगठन बना सकता है। लेकिन केन्द्रीय कार्यकारिणी एक होगी।

**उत्तर 3–** पश्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र–कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम सं0 45)

समाचारपत्र–स्थापनों में नियोजित श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य व्यक्तियों की कतिपय सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् निम्नलिखित रूप में यह अधिनियममित हो–

यह अधिनियम श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

**उत्तर 5.4**

**उत्तर 1–** प्रसार भारती अधिनियम (1990) :रेडियो व दूरदर्शन को स्वायत्ता देने के लिए प्रसार भारती अधिनियम की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सबसे पहले इसका पारूप 80 के दशक में सामने आया। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री पी उपेन्द्र के प्रयासों से यह प्रारूप तैयार किया गया। इसके बाद वीपी सरकार ने प्रसार भारती विधेयक को तैयार किया। वर्ष 1990 में इसे संसद में पारित किया गया। दुर्भाग्य यह रहा है कि इसे लागू होने से पहले ही वीपी सरकार गिर गयी।

**उत्तर 2–** वर्तमान प्रसार भारती कानून का मूल नाम भारती प्रसारण निगम विधान 1990 था। इसमें चार अध्याय थे, जो कुल 35 धाराओं–उपधाराओं में बंटे थे।

**उत्तर 3–** **अधिनियम के अनुसार** बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं–

**(क)** अध्यक्ष (एक), **(ख)** एक कार्यकारी सदस्य (एक), **(ग)** सदस्य (कार्मिक) ( एक)

**(घ)** अंशकालिक सदस्य (छह), **(ङ)** महानिदेशक – आकाशवाणी (पदेन) (एक) **(च)** महानिदेषक–दूरदर्शन (पदेन) (एक), **(छ)** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित मंत्रालय का प्रतिनिधि (एक), **(ज)** निगम के कर्मचारियों के प्रतिनिधि, जिनमें से एक इंजीनियरिंग स्टाफ के बीच से, और दूसरा प्रतिनिधि षेश कर्मचारियों के बीच से (दो)

**उत्तर 4–** **संसदीय समिति :** प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत प्रसार भारती निगम की इस समिति में लोकसभा से 15 तथा राज्य सभा से 7 सदस्य होंते हैं, जो अनुपातिक–प्रणाली से चुने जाते हैं, या समिति इस विधान के तहत निगम के कार्यों की निगरानी करती है। खासकर धारा 12 के लक्ष्यों के अनुपालन के संदर्भ में निगरानी करती है तथा संसद को रिपोर्ट दती है।

**उत्तर 5.5**

**उत्तर – 1** सिनेमेटोग्राफ एक्ट (1952) :सिनेमा फिल्मों के निर्माण, प्रसारण व वितरण को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम को वर्ष 1952 को संसद में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल चार भाग हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ भाग पूरे भारत में एक समान लागू होते हैं। इसके अलावा अधिनियम का तीसरा भाग केवल केन्द्र शासित प्रदेशों में ही लागू होता है। वर्ष 1952 से अब तक समय–समय पर इस अधिनियम में परिवर्तन भी होता रहा।

**उत्तर 2–** फिल्म प्रमाणन परिषद फिल्म सेंसर बोर्ड का कार्य भारत में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को देखकर बताएगी कि यह फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है या नहीं। फिल्म प्रमाणन परिषद द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकेगा।

**उत्तर 3–** फिल्म प्रमाणन परिषद के नियम टेलीविजन माध्यम पर भी एकसमान लागू होंगे।

## 5.9 सन्दर्भ ग्रन्थसूची :

1. त्रिपाठी, प्रो0 मधुसूदन : भारत में प्रेस कानून
2. त्रिखा, नन्द किशोर : प्रेस विधि
3. भनावत, डा0 संजीव : पत्रकारिता का इतिहास एवं प्रेस कानून
4. डंगवाल, प्रो0 आशाराम : पत्रकारिता के मूलतत्व

## 5.10 सहायक / उपयोगी पाठ्यसामग्री :

1. पत्रकारिता का इतिहास एवं प्रेस कानून, डा0 संजीव भानावत, विश्वविद्यालय प्रकाशन, जयपुर।
2. प्रसार भारती अधिनियम हैण्डबुक।

3. इटंरनेट

## 5.11 निबंधात्मक प्रश्न :

**प्रश्न 1**–श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा देते हुये इसकी व्याख्या किजिए।

**प्रश्न 2**–प्रसार भारती अधिनियम के तहत संसदीय समिति के क्या कार्य हैं? तथा इसके ढांचा को समझाते हुये इसकी व्याख्या किजिए।

**प्रश्न 3**–प्रसार भारती अधिनियम (1990) का विस्तार से वर्णन किजिए।

**प्रश्न 4**–सिनेमेटोग्राफ एक्ट (1952) क्या है? तथा इसके उद्देश्यों की व्याख्या किजिए।

**प्रश्न 5**–फिल्म प्रमाणन परिषद 'फिल्म सेंसर बोर्ड' क्या है? तथा इसके उद्देश्यों को समझाइये।

# इकाई –6

## नैतिकता के नियमों की आवश्यकता, पत्रकारिता में आचार संहिता की आवश्यकता और उसका प्रभाव

### इकाई की रूपरेखा


6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 पत्रकारिता में आचार संहिता

6.4 कानून तथा आचार संहिता

6.5 प्रेस आयोग, प्रेस परिषद और आचार संहिता

6.6 पत्रकारिता से सम्बन्धित अन्य आचार संहिताएं

6.7 पत्रकारिता तथा विज्ञापन के सम्बन्ध में आचरण के विभिन्न मानक

6.8 सारांश

6.9 शब्दावली

6.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

6.11 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

6.12 सहायक / उपयोगी पाठ्यसामग्री

6.13 निबंधात्मक प्रश्न


### 6.1 प्रस्तावना :

महात्मा गांधी कहते थे कि समाचार पत्र एक प्रचण्ड शक्ति है, परन्तु जिस प्रकार निरंकुश जल का प्रवाह गाँव के गाँव डुबो देता है और सारी फसल का नाश कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश लेखनी का प्रवाह भी सर्वनाश का सृजन करता है। लेखनी पर यह अंकुश जब भीतर से लगाया जाता है, तभी वह लाभकारी हो सकता है।

इस इकाई में पत्रकारिता में आचार संहिता, कानून तथा आचार संहिता, प्रेस आयोग, प्रेस परिषद और आचार संहिता, पत्रकारिता से सम्बन्धित अन्य आचार संहिताएं एवं पत्रकारिता तथा विज्ञापन के सम्बन्ध में आचरण के विभिन्न मानकों की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई है।

पत्रकार को वाक् और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतन्त्रता है पर साथ ही उसे नैतिकता के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। इस इकाई में यही संदेश पत्रकारिता के छात्रों को देने की कोशिश की गई है।

## 6.2 उद्देश्य :

यह हमें सदैव ध्यान रखना है कि मानव की मानवता जब तक है तभी तक समाज, संस्कृति, धर्म सभी सुरक्षित है। किसी भी लोकतन्त्रतात्मक समाज के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ उदात्त मानवीय मापदण्ड स्थापित रहें। हम अपनी स्वतन्त्रता को स्वच्छंदता न मान लें इसके लिए कतिपय नियमों का पालन हमारे लिए आवश्यक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आचार–संहिता का पालन करना आवश्यक होता है।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि–

- आचार संहिता का अभिप्राय क्या है?
- प्रेस परिषद् द्वारा आचार संहिता के कौन कौन से सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं?
- भारतीय दण्ड संहिता विधेयक क्या है?
- पत्रकारिता में आचार संहिता की आवश्यकता क्या है?
- आचार संहिता का प्रभाव क्या है? आदि।

## 6.3 पत्रकारिता में आचार संहिता :

पत्रकार को दुनिया की आँख और कान कहा जाता है। वह खुली आँखों तथा सचेतन मन से संसार में नित्य घटने वाली घटनाओं को देखता है, महसूस करता है और जनता तक उन्हें सम्प्रेषित करता है। इसके लिए उसमें संयम, दृढ़ता और नैतिकता का होना बहुत आवश्यक है। अथर्ववेद में एक ऋचा है–

***सूर्याच्चक्षुरन्तरिक्षात्छ्रोत्रं पृथिव्याः शरीरम्।***

***सरस्वत्यावाचमुप ह्वयामहे मनोयुजा।।***

***–अथर्ववेद, 5/10/8***

अर्थात मै बड़े ज्ञान के साथ मन को माँगता हूँ। वायु से प्राण और अपान, सूर्य से आँख, अन्तरिक्ष से कान, पृथ्वी से शरीर और मननशक्ति से संयुक्त विद्या के साथ वाणी को माँगता हूँ। एक पत्रकार के लिए भी ऐसी ही आँख, कान, मननशक्ति, विद्या और वाणी की आवश्यकता होती है, जो सामर्थ्य सम्पन्न हो। उसकी आँख सब कुछ देख सके, सब सुन सके, पृथ्वी जैसा धैर्य उसमें हो। उसमें विवेक हो, ज्ञान हो और उसकी वाणी में वह ताकत हो, जो जनता के हृदय और मन को आन्दोलित कर सके। इसके लिए उसे केवल विविध विषयों का जानकार होना जरूरी नहीं है, उसे विषयों को सही सही समझने की कला में भी माहिर होना चाहिए और उसे नैतिकता के नियमों का पालन करना भी आना चाहिए।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का बहुत महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः प्रत्येक मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जो भी कार्य करे उसमें समाज के अन्य लोगों का भी ध्यान रखे

कि इससे उन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसे सही राह दिखाने के लिये विभिन्न नियम व कानून भी हैं। लेकिन समाज के विकास में योगदान देने के लिये नियम कानूनों के पालन के अलावा यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि समाज के लोग स्व अनुशासन के द्वारा समाज के हित का ध्यान रखें। स्व अनुशासन अर्थात् स्वयं ही सही–गलत का विश्लेषण करके सही राह का चयन करना ही एक प्रकार से सबसे आदर्श आचार संहिता है जिसका पालन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

किसी व्यवसाय में आचार संहिता का महत्व तथा इसकी आवश्यकता और भी अधिक होती है। ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जिसमें नियमों व कायदे कानूनों के पालन के अतिरिक्त आचार संहिता व स्व अनुशासन की आवश्यकता न हो। चाहे कोई चिकित्सक, अध्यापक, कर्मचारी, वकील, दुकानदार या कोई भी अन्य व्यवसायी हो, उससे अपने व्यवसाय से सम्बन्धित एक निश्चित मानदण्डों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, मसलन दुकानदार मिलावटी सामान न बेचे या अधिक कीमत न वसूले, अध्यापक मनोयोग से विद्यार्थियों को पढ़ाये, वकील अपने मुवक्किल की जानकारी गुप्त रखे व उसे ब्लैकमेल न करे इत्यादि।

एक पत्रकार की समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे एक वकील की भांति तथ्यों का विश्लेषण करना होता है। जज की भांति निष्पक्ष व सही निर्णय तक पहुंचना होता है, चिकित्सक की भांति समाज में व्याप्त व्याधि के निवारण का प्रयास करना होता है, अध्यापक की भांति अध्ययन के आधार पर समाज को जागृत करना होता है तथा पुलिस की भाँति असामाजिक तत्वों को बेनकाब करना होता है।

इसी प्रकार वह समय–समय पर एक चिंतक, लीडर, समाज सुधारक सहित विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। स्पष्ट है कि एक पत्रकार की भूमिका विभिन्न अन्य व्यवसाइयों अथवा नौकरीपेशा लोगों की अपेक्षा अधिक जिम्मेदारी वाली होती है। पत्रकार द्वारा दिये जाने वाले समाचार पूरे समाज में जाते हैं तथा पूरा समाज इनसे प्रभावित होता है। यदि इन समाचारों में किसी प्रकार की त्रुटि हो या ये समाचार किसी रूप में समाज में वैमनस्य, विकृति उत्पन्न करने वाले हों, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने, या साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने, राष्ट्र को किसी रूप में हानि पहुंचाने अथवा युवाओं को भ्रमित करने या गलत प्रवृत्ति की ओर उकसाने वाले हों तो इनसे समाज को भारी हानि उठानी पड़ सकती है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निस्संदेह कहा जा सकता है कि एक पत्रकार के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह अनुशासित तथा सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करने वाला तो हो ही, साथ ही उसे विभिन्न आचार संहिताओं का पालन भी करना चाहिये। आचार संहिता का सबसे पहला नियम तो यही है कि पत्रकार अपने व्यवहार तथा लेखन में संयत, ईमानदार व निष्पक्ष रहे तथा सदैव इस बात के प्रति सजग रहे कि उसके लेखन में न तो कोई त्रुटि हो और न ही वह समाज को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए। यदि कोई पत्रकार इस नीति पर चले कि उसके समाचार सदैव 'व्यापक जनहित' में हों तो उससे गलती की सम्भावना बहुत कम हो जाती है।

***समाचार पत्र एक प्रचण्ड शक्ति है, परन्तु जिस प्रकार निरंकुश जल का प्रवाह गाँव के गाँव डुबो देता है और सारी फसल का नाश कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश लेखनी का प्रवाह भी सर्वनाश का सर्जन करता है। लेखनी पर यह अंकुश जब भीतर से लगाया जाता है, तभी वह लाभकारी हो सकता है : महात्मा गांधी***

व्यापक जनहित का अर्थ है कि उसके द्वारा दिया गया समाचार समाज के बड़े हिस्से के हित में हो। भले ही वह किसी व्यक्ति के विरोध में हो लेकिन 'बहुजन हिताय–बहुजन सुखाय' वाला हो अर्थात बड़े वर्ग के लिये लाभदायक हो। इसके लिये पत्रकार के समाचार को सत्य, संतुलित, तथ्यपरक लेकिन साथ ही मर्यादा की सीमा के भीतर भी होना चाहिए। चाहे एक समाचार पत्र हो या न्यूज चैनल, यह पूरे परिवार द्वारा देखा व पढ़ा जाता है। चैनल में समाचार आमतौर पर परिवारजन एक साथ देखते हैं इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि समाचार की भाषा तथा दर्शाए गए तथ्य हिंसा, घृणा, अश्लीलता इत्यादि फैलाने वाले न हों। निश्चय ही व्यापक जनहित के पैमाने पर ऐसे समाचार खरे नहीं उतरते।

यहां एक अन्य तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अनेक बार किसी घटना को सत्य होने के आधार पर पत्रकार इसका समाचार बना लेते हैं लेकिन यह भी महत्वपूर्ण व ध्यान देने योग्य तथ्य है कि हर सच भी बयान करने लायक नहीं होता है तथा अनेक अवसरों पर सत्य का वर्णन भी समाज का नुकसान कर सकता है। उदाहरण के लिये किसी स्थान पर आतंकवादी छुपे हों और पुलिस उन्हें पकड़ने की योजना बना रही हो तो पुलिस कार्रवाई से पूर्व इस समाचार के प्रकाशन अथवा प्रसारण से समाज को कुछ हासिल नहीं होगा किन्तु वे आतंकवादी अवश्य ही सावधान हो जायेंगे और भाग निकलेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां केवल सत्य ही किसी समाचार का आधार नहीं बन सकता। न्यायालय की अवमानना के मामले में तो न्यायालय भी किसी तथ्य के सत्य होने मात्र के आधार पर आरोपी को दोष मुक्त नहीं मानता है। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि पत्रकार को समाचार देते समय अतिरिक्त रूप से सावधानी बरतनी चाहिये तथा समाज के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। इन सावधानियों को ही हम आचार संहिता कहते हैं।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** आचार संहिता को आप कैसे परिभाषित करेंगे?

**प्रश्न 2–** एक पत्रकार में क्या गुण होने आवश्यक हैं ?

**प्रश्न 3–** पत्रकार के समाचार कैसे होने चाहिए ?

## 6.4 कानून तथा आचार संहिता :

समाज के विकास के साथ ही विश्व के विभिन्न देशों में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता तथा पारदर्शी सरकार को अधिकाधिक महत्व मिलता चला गया। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के बढ़ने के साथ ही इसके दुरुपयोग की सम्भावनाऐं भी बढ़ती गई। इन स्थितियों में विभिन्न देशों ने उन नियमों पर भी मंथन करना प्रारम्भ किया जिनके पालन की अपेक्षा एक पत्रकार से की जानी चाहिये। 1923 में अमेरिका में समाचार पत्रों के संपादकों के एक समूह ने पत्रकारों के लिये कुछ आदर्शों के पालन की आवश्यकता निरूपित की। इनमें सत्यता, निष्पक्षता, ईमानदारी तथा शिष्ट भाषा का प्रयोग मुख्य थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के कानूनों में विभिन्न प्रावधान पहले से ही लागू थे।

हमारे देश में ब्रिटिश काल में विभिन्न कानून बनाए गए थे जिनका उद्देश्य समाज में विकृति को रोकना, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, समाचार पत्रों का पंजीकरण करवाना इत्यादि था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भी विभिन्न कानूनों को शामिल किया गया जिनमें कापीराईट एक्ट, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, युवक व्यक्ति

(अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम आदि प्रमुख हैं। इन कानूनों का उद्देश्य समाज में समरसता, सौहार्द, एकता बनाये रखना तथा युवाओं को गलत दिशा में भटकने से रोकना है।

यद्यपि कानून तथा आचार संहिता एक दूसरे से पृथक हैं। कानून का पालन जहां आवश्यक है तथा इनके उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान होता है वहीं आचार संहिता के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं होता इनका सम्बन्ध व्यक्ति की अंतरात्मा से होता है लेकिन यहां इन कानूनों का वर्णन इसलिये किया गया है कि इनका समुचित पालन किया जाना आचार संहिता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** भारत में ब्रिटिश काल में बनाए गए प्रेस कानूनों का क्या उद्देश्य था?

**प्रश्न 2–** आजाद भारत में बनाए गए प्रेस अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

## 6.5 प्रेस आयोग, प्रेस परिषद और आचार संहिता :

संविधान द्वारा विभिन्न कानूनों के अतिरिक्त सरकार द्वारा 1954 प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। आयोग ने पत्रकारों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता अनुभव करते हुए कहा था– ' हम यह बात जरूरी मानते हैं कि सभी पत्रकार अपने आपको एक आचार–संहिता में बँधा हुआ मानें। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पत्रकार अपनी लेखनी का लक्ष्य सदैव समाज के प्रति अपने उच्च्य दायित्व का निष्पादन करना समझेंगे।

पत्रकारिता के स्तर को समुन्नत करने की इच्छा से प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद् की स्थापना की सिफारिश की, जिसके अनुसार सन् 1965 में प्रेस परिषद् अधिनियम पारित हुआ। इसका उद्देश्य समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना, पत्रकारों को उनकी लेखनी के माध्यम से देश सेवा के लिए प्रेरित करना, जनहित के लिए तत्पर बनाना, पत्रकारिता से जुड़े प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों में आपसी सौमनस्य का वातावरण बनाने का यत्न करना, पत्रकारिता विषयक तकनीकी खोजों को प्रोत्साहित करना आदि तो थे ही, साथ ही पत्रकारों के लिए आचार–संहिता तैयार करना भी प्रेस परिषद् का लक्ष्य था।

***प्रेस परिषद् की स्थिति एक न्यायालय की तरह है । समाचार पत्रों की रक्षा के लिए या किसी विवाद की स्थिति में जनसामान्य या सरकारें प्रेस काउंसिल का दरवाजा खटखटा सकती हैं। यद्यपि इसके फैसले को न्यायालय की संस्तुति या अनुमोदन की आवश्यकता होती हैं, फिर भी प्रेस परिषद् के महत्व को नकारा नहीं जा सकता।***

**प्रेस परिषद् के सिद्धान्त–**

यद्यपि प्रेस आयोग ने स्वयं कोई संहिता तैयार नहीं की, पर उसके निर्देश पर प्रेस परिषद् ने आचारसंहिता से सम्बन्धित 17 सिद्धांत निर्धारित किये थे। जो कि निम्नवत हैं–

1. समाचार संकलन व प्रकाशन में ईमानदारी बरतना व आलोचना की स्वतन्त्रता की रक्षा करना।
2. समाचार लिखने में सजगता व संयम बरतना तथा हिंसा, अश्लीलता, तनाव को अंकुश में रखना।
3. चूँकि प्रेस जनमत निर्माण का बुनियादी साधन है, अतः पत्रकारों को अपना कार्य एक न्यास (ट्रस्ट) के रूप में समझना चाहिए। उन्हें जनहित का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए।

4. मानवीय व सामाजिक अधिकारों व दायित्वों को निष्पक्ष रूप से महत्व देना। खबरें लिखने और टिप्पणियाँ करने में सद्विचार और निष्पक्षता को अपने व्यवसाय का आवश्यक दायित्व मानना।
5. विश्वास तथा गोपनीयता की रक्षा करना। यद्यपि आमतौर पर विवाद की स्थिति में सूचना का स्रोत बताना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाता है।
6. व्यावसायिक आचरण को निजी हित के लिये प्रभावित न करना।
7. समाचार के गलत होने पर भूल सुधार करना व इस पर खेद जताना।
8. अपुष्ट समाचार में यह वर्णन करना कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
9. जानकारियों व सूचनाओं का तथ्यपरक होना सुनिश्चित करना। तथ्यों को बिना तोड़े–मरोड़े या गलत सूचनाएँ प्रकाशित नहीं की जाएँ, यह सुनिश्चित करना।
10. सूचनाओं व समाचारों की जिम्मेदारी सम्बन्धित पत्रकार द्वारा वहन किया जाना। यदि जिम्मेदारी अस्वीकृत की जाती है तो उसकी सूचना पहले ही प्रकाशित करना।
11. समाचार व फोटो के प्रकाशन से पूर्व यह सुनिश्चित करना कि इससे निर्दोष व्यक्ति या विपत्ति में पड़े लोगों को ठेस न पहुंचे।
12. मानहानिकारक, असत्य तथा आधारहीन आरोप लगाने से परहेज करना।
13. व्यवसायगत प्रामाणिकता सुनिश्चित करना।
14. साहित्यिक कृति या रचना की चोरी न करना।
15. व्यक्तिगत विवादों का प्रकाशन न करना।
16. लोगों के निजी जीवन को प्रभावित करने वाली अफवाहें फैलाने वाले समाचारों का प्रकाशन न करना।
17. समाचारों और टिप्पणियों का प्रकाशन करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए घूस लेना या प्रलोभन स्वीकार करना अनुचित है, इससे बचना चाहिए।

प्रेस काउन्सिल की आचार संहिता के इन सिद्धान्तों के बारे में सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि देश मे ंकार्य कर रहें सभी मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को इनका अनुपालन करना ही चाहिए ।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** प्रेस परिषद अधिनियम कब पारित हुआ ?

**प्रश्न 2–** क्या प्रेस परिषद के फैसले को न्यायालय की संस्तुति प्राप्त करनी आवश्यक होती है ?

**प्रश्न 3–** प्रेसपरिषद ने आचार संहिता के कितने सिद्धान्त तय किये हैं ?

## 6.6 पत्रकारिता से सम्बन्धित अन्य आचार संहिताएं :

पत्रकारिता के दायित्वबोध को बनाए रखने के लिए समय–समय पर विभिन्न पत्रकार संगठनों और सरकारी संस्थाओं ने भी पत्रकारिता के लिए नियम, आचार संहिताएं अथवा व्यवहारिक व्यवस्थायें तय की हैं।

सेना के कवरेज में स्थान का उल्लेख न करना, संसदीय कार्यवाही की रिर्पोटिंग में सदन के अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का पालन करना, चुनाव के कवरेज में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप काम करना और अतिविशिष्ट लोगों के कवरेज में सुरक्षा नियमों का अनुपालन करना जैसी व्यवस्थायें व्यवहारिक व्यवस्थायें हैं, जिन्हें हर पत्रकार को मानना ही होता है। इसके अलावा पत्रकार संगठनों की ओर से भी समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रमुख निर्देश और आचार संहिताएं इस प्रकार हैं–

**भारतीय सम्पादक सम्मेलन द्वारा निर्धारित सिद्धान्त–**

अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन द्वारा भी पत्रकारिता के लिए तीन सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं, जो प्रेस परिषद के सिद्धान्तों से अलग हैं। इनके अनुसार–

- पत्रकार को अपने सहयोगी लोगों व पत्रकारों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए ।
- सामाजिक बुराई व अपराध को बढ़ावा देने वाले समाचारों का प्रकाशन नहीं करना चाहिए और
- एक पत्रकार के रूप में अपने प्रभाव का दुरुपयोग करना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

**नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट का घोषणा पत्र –**

1981 में नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट ने अपने आगरा घोषणापत्र के माध्यम से आचार संहिता के निम्न सिद्धान्त निरूपित किये–

1. अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा करना।
2. जनता को मौलिक अधिकार दिलवाने में सहयोग करना।
3. निष्पक्षता तथा जनहित के समाचारों को प्राथमिकता देना।
4. मानव अधिकारों की रक्षा में सहयोग।
5. समाचार माध्यमों की सेंसरशिप की खिलाफत करना।
6. व्यक्तिगत अधिकारों पर चोट न करना।
7. समाज की बेहतरी का प्रयास करना।
8. धन या अन्य लालच में समाचार प्रकाशित न करना।
9. साम्प्रदायिक तनाव सम्बन्धी समाचारों में सजगता व संयम रखना।
10. प्रेस व पत्रकारों पर किसी भी प्रकार के हमले का विरोध।
11. भय व शोषण के विरुद्ध योगदान देना।
12. अपनी जिम्मेदारी व प्रतिष्ठा के अनुरूप वेतन व सेवा शर्तों की वकालत।

**बिहार प्रेस विधेयक–**

यह पत्रकारिता पर आचार संहिता लागू करने का एक सरकारी प्रयास था। इसके तहत भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 के जरिए पत्रकारों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई थी। इस विधेयक के मुख्य पहलू इस प्रकार थे –

- अश्लील एवं गन्दी सामग्री के प्रकाशन पर रोक।
- सरकारी या सार्वजनिक कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाले प्रकाशनों पर रोक।
- सभी ऐसे प्रकाशनों के वितरण और बिक्री पर रोक।
- ऐसे प्रकाशनों को अपराध की संज्ञा देकर इन पर छः माह से पाँच वर्ष की सजा का प्रावधान।
- ऐसे अपराधों को गैर जमानती बनाना।
- ऐसे अपराधों के मुकदमों को कार्यकारी अदालत के यहाँ सुनवाई या निर्णय के लिए पेश किया जा सकता है।

लेकिन देश भर में पत्रकारों के तीव्र विरोध को देखते हुए इस विधेयक को वापस ले लिया गया और पत्रकारिता पर सरकारी अंकुश का यह प्रयास पूर्णतः विफल हो गया।

**ब्रिटेन सोसायटी ऑफ एडीटर्स' द्वारा लागू आचार संहिता–**

2002 में एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 'ब्रिटेन सोसायटी ऑफ एडीटर्स' द्वारा लागू आचार संहिता पर आधारित आचार संहिता को जारी किया। इसकी मुख्य अवधारणाऐं निम्नवत हैं–

1. जनहित को ध्यान में रखा जाना।
2. आधारहीन समाचार प्रकाशित न करना।
3. आरोपी व्यक्ति के पक्ष को शामिल करना।
4. आवश्यक होने पर समाचार का खंडन करना, खेद जताना व भूल सुधार करना।
5. वास्तविक तथ्यों तथा व्यक्तियों के बयानों में अंतर करना।
6. प्रकाशन केंद्र पर सन्दर्भ पुस्तकालय की स्थापना करना व तथ्यों की जांच परख की व्यवस्था रखना व करना।
7. मानहानि की कार्रवाई की स्थिति में निष्पक्ष समाचार का प्रकाशन करना।
8. जिसका समाचार प्रकाशित करें उससे कोई लाभ न लेना।

   पत्रकार को प्रबन्धन द्वारा कानूनी संरक्षण दिया जाना।

9. चोरी–छिपे या धोखे से, टेलीफोन पर गुप्त रूप से बात सुनकर आदि कृत्यों से तब तक समाचार न बनाना जब तक वे जनहित की शर्त पूरी न करें।

10. धन के एवज में सूचना तब तक न ली जाय जब तक वह जनहित में आवश्यक न हो।
11. सरकारी कर्मियों के विरूद्ध कर्तव्य निर्वहन न करने सम्बन्धी समाचार पुख्ता होने पर ही लगाया जाना, क्योंकि आमतौर पर उन्हें सफाई देने का अवसर नहीं मिल पाता।
12. निजी मामलों तथा विवादों से परहेज रखना।
13. समाचारों में अतिरंजना व अतिशयोक्ति से बचना।
14. भ्रम व अफवाह फैलाने वाले समाचार स्रोतों के प्रति सजग रहना व दूसरों को सावधान करना।
15. किसी कष्ट या पीड़ा में पड़े लोगों के समाचार के प्रकाशन प्रसारण में अतिरिक्त सावधानी बरतना जिससे उन्हें ठेस न पहुंचे।
16. धार्मिक समाचारों विशेषकर धार्मिक विवाद के मामलों में सावधानी बरतना व सभी धर्मों व पक्षों को बराबरी का दर्जा देना।
17. अपराध सम्बन्धी समाचारों में अपराधी, पीड़ित व गवाहों की पहचान व्यक्त करने में सावधानी बरतना व अनावश्यक लांछन से बचना।
18. निजी लाभ के लिये समाचारों व सूचनाधिकार का प्रयोग न करना।
19. किसी दबाव में समाचार को न रोका जाना।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के 'हाईकोर्ट आफ कर्नाटक बनाम कर्नाटक स्टेट' में एक मामले में अपने निर्णय में आगाह किया था कि समाचार प्रकाशित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि वे सत्य तथा विश्वसनीय हों। यह सुनिश्चित किये बगैर समाचार प्रकाशित किये जाने पर सम्बन्धित संपादक दण्ड का भागी हो सकता है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** बिहार प्रेस विधेयक अधिनियम क्या था ?

**प्रश्न 2–** ऐसा प्रकाशन करने पर कितनी सजा का प्रावधान था ?

**प्रश्न 3–** एडीटर्स गिल्ड द्वारा 2002 में जारी आचार संहिता मे कितने सूत्र है ?

## 6.7 पत्रकारिता तथा विज्ञापन के सम्बन्ध में आचरण के विभिन्न मानक :

पत्रकारिता का एक अभिन्न अंग विज्ञापन भी है और प्रायः विज्ञापन भी उसी अखबार या न्यूज चैनल का हिस्सा होते हैं जिसे हम पढ़ते या देखते हैं। यानी आज विज्ञापन भी जन संचार का एक बड़ा माध्यम हो गया है। इसलिए विज्ञापनों के लिए भी कुछ ऐसे मानक तय किये गये हैं जो अन्य जन संचार माध्यमों पर भी लागू होते है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारिता तथा विज्ञापन के सम्बन्ध में आचरण के विभिन्न मानक निर्धारित किये हैं। इन मानकों के कुछ मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. यद्यपि समाचार पत्र प्रकाशन के लिए भेजी गई अस्वीकृत सामग्री लौटाने के लिए बाध्य नहीं है फिर भी यदि उसके साथ टिकट लगा लिफाफा भेजा गया हो तो समाचारपत्र को पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसे वापिस भेजा जाए।
2. बगैर पारिश्रमिक के प्रकाशित किये जाने वाले लेखों के सम्बन्ध में समाचारपत्र तथा लेखक के बीच पूर्व पारस्परिक सहमति होनी चाहिए।
3. समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन, समाचार पत्र की अन्य सामग्री से पृथक् तथा स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। इसके लिए विज्ञापन की दरें पूर्व निर्धारित होनी चाहिए। तयशुदा दरों से ज्यादा राशि समाचारपत्र को सहायता मानी जाएगी।
4. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद, शराब, अल्कोहल आदि का प्रचार करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए।
5. अवैध, गैरकानूनी अथवा सुरुचि की नीति के खिलाफ विज्ञापन प्रसारित नहीं किये जाने चाहिए।
6. औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रसारित नहीं किये जाएँ।
7. किसी समुदाय अथवा समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले विज्ञापन प्रकाशित न किये जाएँ।
8. जिन विज्ञापनों के लिए विज्ञापनदाता द्वारा आदेशित अथवा अधिकृत न किया गया हो उनका प्रकाशन आचारसंहिता का उल्लंघन है। ऐसे विज्ञापनों का बिल भेजा जाना तो इस नीति का पूर्णतया उल्लंघन है।
9. किसी विज्ञापन को जानबूझ कर समाचार पत्र की सभी प्रतियों में प्रकाशित न किया जाना यानी आंशिक प्रसाशन।
10. किसी विज्ञापन के कानूनी औचित्य पर विचार करने के मामले में सम्पादन तथा विज्ञापन विभाग मे सामंजस्य होना चाहिए।
11. जो विज्ञापन शालीनता तथा अश्लीलता की सीमा रेखा पर हों, उनके प्रकाशन से पूर्व गम्भीर मंथन किया जाए।
12. वैवाहिक विज्ञापनों के प्रकाशन के साथ यह सूचना भी दी जाए कि पाठक विज्ञापन में दिए गए तथ्यों की पुष्टि कर लें तथा केवल विज्ञापन के आधार पर ही अपना विश्वास न बनाएँ। इस सम्बन्ध में निम्न सूचना दी जानी चाहिए– पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर क्रिया करने से पहले पूरी तरह उपयुक्त जाँच पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र वर – वधू की स्थिति, आयु, आय के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किये गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता।

13. समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों सहित तमाम बातों के लिए सम्पादक जिम्मेदार होगा जब तक कि उसका उत्तरदायित्व न होने का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका हो।

14. अश्लीलता की श्रेणी में आने वाली मनोरंजक या सांकेतिक टेलीफोनिक वार्ता के लिए दिये जाने वाले टेलीफोन नम्बर सम्बन्धी विज्ञापन तथा टेलीफ्रेन्डशिप सम्बन्धी विज्ञापन अनैतिक एवं सांस्कृतिक कदाचार को बढ़ावा देने के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाने चाहिए। गुप्त प्रलोभन और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने वाले विज्ञापन भी अस्वीकृत किये जाने चाहिए।

    देश के सांस्कृतिक मूल्यों और परम्पराओं के अनुरूप परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोधक औषधियों और प्रचलित तरीकों सम्बन्धी विज्ञापनों के साथ ब्रांड को संलग्न न किया जाए। एड्स सम्बन्धी विज्ञापनों में जागरूकता बढ़ाने के साथ ही यह ध्यान भी रखा जाए कि वे अश्लीलता की सीमा पार न करें।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** पत्रकारिता तथा विज्ञापन के सम्बन्ध में आचरण के विभिन्न मानकों को मान्यता कौन देता है ?

**प्रश्न 2–** क्या विज्ञापन की दरें पूर्व निर्धारित होनी चाहिए ?

**प्रश्न 3–** किन्हीं दो प्रकार के विज्ञापनों के बारे में बताइए जो प्रतिबंधित हों।

## 6.8 सारांश :

महात्मा गांधी का कहना था –'कोई भी सच्चा पत्रकार यही मानेगा कि सेवा का स्वभाव मेरे और तेरे में भेद करने का नहीं होता। सच्चा सेवाशील व्यक्ति किसी के भी दु:ख दर्द की तरफ आँखें मूंद करके नहीं चल सकता। यदि पत्रकारिता सेवा है तो फिर पत्रकार एक सेवक हुआ। सेवक अर्थात् वह एक व्यक्ति जिसके सामने सेवा किसी उपलब्धि का साधन नहीं है, बल्कि अपने आप में साध्य है। सेवा द्वारा न तो उसे कीर्ति चाहिए न पद और न पैसा। वह तो जहाँ सेवा की आवश्यकता दिखाई देगी, वहीं दौड़ पड़ेगा और अपनी शक्ति के अनुसार अच्छी से अच्छी सेवा कर सकने की दृष्टि से उत्तम माध्यमों का उपयोग करेगा। यदि सेवा का पात्र नंगा है तो वह कपड़ा देगा, अगर वह भूखा है तो उसके लिए अन्न जुटाएगा, अगर आवासहीन है, खुले में पड़ा है, तो उसके ऊपर छाया करने की कोशिश करेगा.............पत्रकार भी एक तरह से इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा हुआ एक सेवक है। अकाल, अभाव, बाढ़, महामारी, राजनीतिक उलटफेर, दलित और शोषित का उद्धार, शिक्षा के उत्थान आदि किसी भी प्रश्न को लीजिए, सारे के सारे प्रश्न पत्रकारिता से जुड़े हैं। इस अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि पत्रकार तो एक ऐसा सेवक है जिसे समूची मानवता के प्रति उसी तरह जागृत और स्नेहशील रहना पड़ता है, जिस तरह किसी माता को छोटे बच्चे के प्रति रहना पड़ता है। माता का क्षेत्र छोटा और घनिष्ठ है। पत्रकार का विशाल और व्यापक, सच्चे पत्रकार को इसीलिए सदा जागते रहकर, जहाँ जिस तरह का कष्ट हो, वहां शरीर या मन से उपस्थित होना पड़ता है।

इस उदाहरण से पत्रकारिता में नैतिकता के विषय में बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पत्रकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए, उसे स्पष्टवादी और सचेत रहना चाहिए, उसे मानवीय गुणों से सम्पन्न होना चाहिए, ईमानदारी उसके अन्तःकरण में होनी चाहिए, समाज के सम्मान के लिए यत्नशील होना चाहिए। पत्रकारिता की आचार संहिता को निम्न रेखाचित्र से भी समझा जा सकता है।

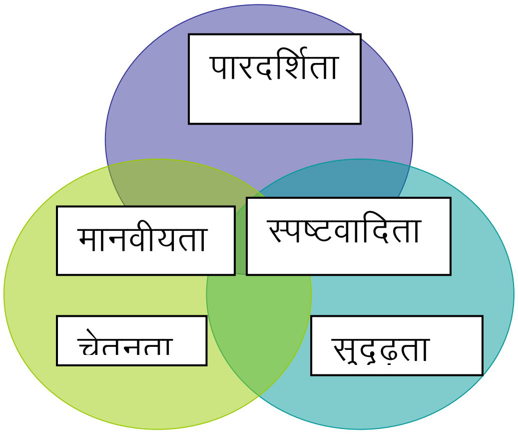


भारत में इलेक्ट्रानिक मीडिया और न्यूज चैनलों के विस्तार के साथ ही अब पत्रकारिता के लिए नई आचार संहिताओं की आवश्कता भी बढ़ती जा रही है। चूंकि इलेक्ट्रानिक मीडिया अभी एक नया जन संचार माध्यम है इसलिए इसके विकास के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की बुराईयों से भी इसे दो – चार होना पड़ रहा है और खुद इलेक्ट्रानिक मीडिया के संचालकों तथा सम्पादकों के बीच से इस तरह की आचार संहिता अथवा दिशा निर्देशों की आवश्यकता की वकालत की जाने लगी है।

## 6.9 शब्दावली :

**आचार संहिता :** आचार संहिता ऐसे नियमों व विधियों का संग्रह है जो मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हों और जनहित में हों।

**आक्षेपणीय विज्ञापन :** ऐसे विज्ञापन जो चमत्कारिक दवाओं, अवैज्ञानिक उपचारों अथवा बीमारियों के इलाज के ऐसे तरीकों का प्रचार करते हों जो कानून सम्मत न हों अथवा विश्वसनीय न हों ।

**अवैध :** कानून का उल्लंघन करने वाले कार्य अवैध माने जाते हैं।

**प्रेस आयोग :** समाज में विकृतियों को रोकने, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा समाचार पत्रों का पंजीकरण कराने के उद्देश्य से प्रेस आयोग गठित हुआ।

**अतिरंजना :** किसी बात को बढ़ा–चढ़ाकर कहना।

**गोपनीय :** ऐसे तथ्य अथवा विचार जिन्हें राष्ट्र अथवा व्यापक जनहित में सार्वजनिक न किया जाना हो।

**प्रेस परिषद :** समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा तथा पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाने के लिए प्रेस परिषद गठित की गई है।

**एडीटर्स ग्रिल्ड ऑफ इंडिया :** यह देश के समाचार चैनलों व समाचार पत्रों के संपादकों का संगठन है।

## 6.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर :

**उत्तर 6.3**

**उत्तर 1–** स्व अनुशासन अर्थात् स्वयं ही सही–गलत का विश्लेषण करके सही राह का चयन करना ही एक प्रकार से आचार संहिता है जिसका पालन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

**उत्तर 2–** एक पत्रकार को वकील की भांति तथ्यों का विश्लेषण, जज की भांति निष्पक्ष व सही निर्णय, चिकित्सक की भांति समाज में व्याप्त व्याधि के निवारण तथा अध्यापक की तरह अध्ययन के आधार पर समाज को जागृत करना और पुलिस की भांति असामाजिक तत्वों को बेनकाब करना होता है।

**उत्तर 3–** समाचार बेहद संतुलित, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाले, राष्ट्र को किसी भी रूप में हानि न पहुंचाने वाले तथा युवाओं को भ्रमित करने वाले नहीं होने चाहिए। समाचार सदैव 'व्यापक जनहित' में होने चाहिए।

**6.4 के उत्तर**

**उत्तर 1–** भारत में ब्रिटिश काल में बनाए गए प्रेस कानूनों का उद्देश्य समाज मे विकृति को रोकना, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा समाचार पत्रों का पंजीकरण करवाना था।

**उत्तर 2–** आजाद भारत में बनाए गए प्रेस अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य व्यापक जनहित की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द बनाये रखना और गलत प्रवृत्तियों से समाज को बचाना है।

**6.5 के उत्तर**

**उत्तर 1–** प्रेस परिषद अधिनियम 1963 में पारित हुआ।

**उत्तर 2–** सामान्यतया पत्रकारिता जगत से जुड़े हुये मामले प्रेस परिषद द्वारा सुलझा लिये जाते हैं। लेकिन फैसले को न्यायालय की मान्यता की संस्तुति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

**उत्तर 3–** प्रेस परिषद ने पत्रकारों की आचार संहिता के लिए 17 सिद्धान्त तय किये हैं।

**6.6 के उत्तर**

**उत्तर 1–** अश्लील सामग्री के प्रकाशन, सरकारी या सार्वजनिक कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाले प्रकाशनों पर रोक लगाने और ऐसी सामग्री के प्रकाशन और वितरण पर रोक लगाने व ऐसे अपराधों को गैरजमानती बनाये जाने के उद्देश्यों से बिहार प्रेस विधेयक लाया गया।

**उत्तर 2–** ऐसे प्रकाशनों को अपराध की संज्ञा देकर इन पर छः माह से पाँच वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया था।

**उत्तर 3–** एडीटर्स गिल्ड की आचार संहिता में कुल 22 सूत्र हैं।

**6.7 के उत्तर**

**उत्तर 1–** सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय इन मानकों को मान्यता देता है।

**उत्तर 2–** हां, और यदि इससे ज्यादा राशि समाचार पत्रों को मिलती है तो वह सहायता राशि मानी जाएगी।

**उत्तर 3–** प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू या तम्बाकू उत्पाद, शराब, अल्कोहल आदि का प्रचार या प्रसार करने वाले विज्ञापन और औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) संबंधी विज्ञापन।

## 6.11 सन्दर्भ ग्रन्थ :


1. गुप्ता, योगेश कुमार : मीडिया के विविध आयाम, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।
2. बाबेल, डा. बसंतीलाल : पत्रकारिता एवं प्रेस विधि–(सिद्धान्त और व्यवहार) सुविधा लॉ हाउस, भोपाल।
3. हर्ष, हरदान : हिन्दी पत्रकारिता के प्रतिमान, रचना प्रकाशन, जयपुर, 1999।
4. Basu, DD : Introduction to the Constitution of India- Prentice Hall of India New Delhi 1985.


## 6.12 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री :


1. भारतीय संविधान से सम्बन्धित पुस्तकें।
2. पत्रकारिता एवं प्रेस विधि (सिद्धान्त और व्यवहार) डॉ0 बसंतीलाल बाबेल, सुविधा लॉ हाउस, भोपाल।

## 6.13 निबंधात्मक प्रश्न :

प्रश्न 1– नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट ने अपने आगरा घोषणापत्र में आचार संहिता के किन सिद्धान्तों का निरूपण किया ?

प्रश्न 2– प्रेस परिषद के लिए निर्धारित सिद्धान्तों पर टिप्पणी करते हुये विस्तृत लेख लिखिए।

प्रश्न 3– एडिटर्स ग्रिल्ड आफ इंडिया 2002 की अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए ।

प्रश्न 4– समाचार लिखते या प्रस्तुत करते समय पत्रकार को किन–किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? विस्तारपूर्वक बताइए।

प्रश्न 5– कानून और आचार संहिता में अंतर बताइए। पत्रकारों से किन आदर्शों के पालन की अपेक्षा की जाती है ?

# इकाई–07

## सूचना का अधिकार अधिनियम और मीडिया

### इकाई की रूपरेखा


7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 सूचना का अधिकार : परिचय

7.4 क्या है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

7.5 सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

7.6 सूचना के अधिकार के प्रमुख प्रावधान

7.7 क्या करें यदि सूचना न मिले या प्राप्त जानकारी से सन्तुष्ट न हों

7.8 मीडिया और सूचना का अधिकार

7.9 सारांश

7.10 शब्दावली

7.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.12 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

7.13 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

7.14 निबंधात्मक प्रश्न


### 7.1 प्रस्तावना :

भारत में भी 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी विभाग से आम जनता से जुड़ी जानकारियां कोई भी व्यक्ति एक सामान्य प्रक्रिया के तहत प्राप्त कर सकता है। देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध जैसे कुछ संवेदनशील मामलों को छोड़कर हर विषय की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत दिया गया है।

इस इकाई में विद्यार्थियों को सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, सूचना के अधिकार के प्रमुख प्रावधान, क्या करें यदि सूचना न मिले या प्राप्त जानकारी से आप सन्तुष्ट न हों तथा मीडिया और सूचना का अधिकार के सम्बन्धों की जानकारी दी गयी है।

वर्तमान में मीडिया और सूचना का अधिकार दोनों ही लोकतांत्रिक समाज के मुख्य तंत्रों के रूप में उभर कर सामने आये हैं। जहां एक ओर सूचना के अधिकार की जानकारी को जन–जन तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका परिलक्षित हुयी है, वहीं दूसरी ओर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आने से मीडिया को और व्यापक बनने में सहायता मिली है। जहां पहले एक पत्रकार अपनी जान पर खेल कर सिट्रिंग ऑपरेशन या खोजी पत्रकारिता कर किसी सूचना को प्राप्त कर पाता था आज वह अपने घर में बैठे ही सूचना के अधिकार कार्यकर्ता से सारी सूचना विस्तृत रूप से प्राप्त कर लेता है या खुद ही इस अधिनियम के तहत सूचना मांग लेता है। जिसके कई बड़े–बड़े उदाहरण अभी भ्रस्टाचार व घोटालों के रूप में सामने आये हैं।

## 7.2 उद्देश्य :

इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह जानकारी देना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम वास्तव में है क्या ? इसके तहत जानकारी लेने की प्रक्रिया क्या है? वे कौन से क्षेत्र हैं जिनके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है, लोक सूचना अधिकारी के दायित्व क्या हैं तथा समय पर अथवा सही सूचना न मिलने पर आवेदक क्या कार्रवाई कर सकता है।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि–

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से क्या आशय है?
- सूचना के अधिकार के विषय में भारत में क्या अवधारणा है?
- सूचना के अधिकार के विषय में विश्व में क्या अवधारणा है?
- सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
- सूचना के अधिकार और मीडिया का क्या सम्बन्ध है?
- सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं?
- क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनके विषय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं ली जा सकती?

## 7.3 सूचना का अधिकार : परिचय :

सूचना के विषय में एक सर्वमान्य उक्ति है 'इन्फारमेशन इज पावर'। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इसे 'आधुनिक युग की आक्सीजन' कहते हैं। यानी यह जीवनदायिनी शक्ति भी है। वर्तमान युग में व्यक्ति के जीवन को संचालित व प्रभावित करने में सूचना की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है।

सूचना का अनवरत और स्वतंत्र प्रवाह समाज का स्तर ऊँचा उठाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण है और

हमारे देश में इस तथ्य को बहुत पहले ही समझ लिया गया था। हालांकि आधुनिक युग में विश्व के अधिकांश विकसित देशों ने सूचना को आम जनता के मौलिक अधिकार के रूप में हमसे बहुत पहले ही लागू कर दिया था लेकिन यह कहा जा सकता है कि विश्व को सूचना के अधिकार के महत्व का संदेश दरअसल भारत ने ही दिया था। सबसे बेहतर राज्यसत्ता का उदाहरण जब भी दिया जाता है तो उसकी तुलना राम राज्य से की जाती है यानि राम की सत्ता सबसे बेहतर थी और इसका कारण था कि उसने केन्द्र में आम आदमी था। राम राज्य में आम आदमी के महत्व का सबसे बड़ा जो उदाहरण आज भी दिया जाता है वह है इस रामराज्य में आम आदमी को मिलने वाला सूचना का अधिकार । यह आश्चर्य का विषय हो सकता है लेकिन यह सच है कि उस दौर में यह अधिकार इतना व्यापक था कि समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी भगवान समान माने जाने वाले राजा से राजा के व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी सवाल बेधड़क पूछ सकता था और राजा न केवल उसके सवाल का समुचित जवाब देता था बल्कि निजी हित की चिंता किये बगैर उसकी शंका का समाधान भी करता था। सीता का अग्नि परीक्षा ऐसे ही एक सवाल के कारण देनी पड़ी थी।

हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी सूचना के अधिकार और प्रवाह को रोचक तरीके से समझाया गया है। नारद मुनि के पात्र को केवल यही कार्य सौंपा गया था कि वे एक सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाएं। नारद का पात्र आधुनिक युग के पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर सकता है क्योंकि भले ही वे सूचनाओं को चटपटे और चुटीले अंदाज में प्रस्तुत करते थे लेकिन उनका मंतव्य हमेशा उस सूचना के माध्यम से किसी पीड़ित व्यक्ति का भला करने की ही रहता था । समस्या का समाधान कर सकने की क्षमता रखने वाले तक पीड़ित की व्यथा पहुँचाने का यह एक बेहतर तरीका था। आज यह काम पत्रकारिता के जरिए होता है।

यदि हम इतिहास में झांकें तो हमें अनेक ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिनमें राजा सूचना की तलाश में वेष बदलकर घूमता था या अपने दरबार के बाहर एक घंटा लटका देता था जिसे बजाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त राजा तक अपनी बात पहुंचा सकता था और अपने सवाल का जवाब पा सकता था। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है अर्थात एक प्रकार से वह जनता द्वारा सौंपे गए अधिकारों की संरक्षक होती है। इन अधिकारों का प्रयोग वह केवल और केवल जनता व देश के हित के लिये ही कर सकती है। सरकार के पास विभिन्न टैक्स, शुल्क, फीस, लाईसेंस आदि से राजस्व के रूप में जो भी धन आता है वह अंततः जनता का ही है। अतः जब सरकार इस धन को खर्च करती है या कोई भी अन्य कार्य करती है तो जनता को उसका कारण व औचित्य जानने का पूरा अधिकार होना चाहिये। इसी प्रकार यदि जनहित सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तो भी जनता को यह जानने का हक होना आवश्यक है ताकि वह कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है।

यह स्थिति कमोबेश ऐसी ही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय, सम्पत्ति आदि की देखरेख के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है तो उसे नियुक्त किये गए व्यक्ति से विभिन्न कार्यों तथा खर्च किए गए धन के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है। सूचना का अधिकार मूलतः इसी अवधारणा पर आधारित है। इसके साथ ही यह अधिकार एक पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

हमारे पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश में भी यह कानून लागू है। अमेरिका में इस कानून को अत्यन्त प्रभावी कानून का दर्जा प्राप्त है तथा इसे सनशाईन कानून कहा जाता है, वहां अधिशांक मामलों में टेलीफोन पर ही जानकारी मांगे व दिये जाने की व्यवस्था है। हमारे देश में संविधान में भी सूचना के अधिकार के महत्व को रेखांकित किया गया है हालांकि इसे मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया था।

ब्रिटिश काल में जनता की आवाज दबाने के लिये लाईसेंसिंग, सेंसर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आफीशियल सीक्रेट्स एक्ट आदि के माध्यम से तमाम प्रयास किये गए लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद भारतीय संविधान में ही अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को मूलाभूत अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया और सूचना के अधिकार की मंशा जाहिर करके पुनः सूचना के अधिकार की भारतीय परम्परा को पुनर्जीवित किया गया। इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत 1976 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना का अधिकार लागू किये जाने की सिफारिश की गयी और अंततः अक्टूबर 2005 में यह कानून लागू कर दिया गया, हालांकि महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली और कर्नाटक की राज्य सरकारें इसे इससे भी पहले लागू कर चुकी थीं।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** सूचना का अधिकार आज विश्व के लगभग कितने देशों में लागू है ?

**प्रश्न 2–** सूचना का आधिकार विश्व में सबसे पहले कहां लागू हुआ ?

## 7.4 क्या है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

हमारे संविधान ने सूचना के अधिकार के महत्व को समझते हुए इसे मौलिक अधिकार के बराबर का दर्जा दिया था और इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में वर्णित मौलिक अधिकार घोषित किया। अनुच्छेद 19 (1) के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार है और न्यायालय ने माना कि कोई व्यक्ति तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे जानकारी यानी सूचना न हो।

संविधान की भावना के अनुरूप उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से जोड़ते हुए यह माना था कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का महत्व तभी है जब सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो क्योंकि बगैर सूचना के अभिव्यक्ति भी सीमित हो जाती है। इसी उद्देंश्य से उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार को लागू किये जाने की आवश्यकता जताई थी।

एक सभ्य समाज की स्थापना में समय–समय पर विभिन्न व्यक्तियों, विद्वानों, दार्शनिकों और संस्थाओं ने सूचना के अधिकार के महत्व को समझा है और इसे लागू किये जाने की आवश्यकता जताई है। लेकिन इसके बावजूद देश में इस कानून के अस्तित्व में आते–आते बहुत लम्बा समय लग गया और लंबी मंत्रणा तथा विचार–विमर्श के बाद अंततः 12 अक्टूबर 2005 को देश में यह कानून (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) लागू किया गया।

इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके उपर उसी विभाग में अपीलीय अधिकारी होता है । राज्य स्तर पर एक राज्य सूचना आयोग होता है

जिसका मुखिया मुख्य सूचना आयुक्त होता है। जिसके अधीन कुछ सूचना आयुक्त कार्य करते है। इसी तरह केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय सूचना आयोग होता है जो मुख्य केन्द्रीय सूचना आयुक्त की देखरेख मे काम करता है। उसका काम अपीलों को सुनना, विशेष परिस्थितियों मे सूचना के अधिकार के लिए पैरवी करना और देश में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन पर निगरानी रखना है।

***हमारे संविधान ने सूचना के अधिकार के महत्व को समझते हुए इसे मौलिक अधिकार के बराबर का दर्जा दिया था और इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में वर्णित मौलिक अधिकार घोषित किया।***

कोई भी नागरिक किसी विभाग के बारे में उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी से जानकारी मांग सकता है। सूचना समय से उपलब्ध न होने पर अपीलीय अधिकारी से अपील की जा सकती है वहां से भी सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयुक्त (Information Commissioner) से अपील की जा सकती है। यदि वहां से भी सूचना नहीं मिल सके तो केन्द्रीय सूचना आयुक्त (Central Information Commissioner) से अपील किये जाने की भी व्यवस्था है।

इस कानून के तहत यदि लोक सूचना अधिकारी अथवा Public Information Officer(PIO) सूचना समय पर नहीं देता या गलत सूचना देता है तो उसके लिये दंड का प्रावधान भी है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** भारत में आरटीआई कब से लागू हुआ?

**प्रश्न 2–** लोक सूचना अधिकारी के क्या कार्य हैं?

**प्रश्न 3–** लोक सूचना अधिकारी के लिए क्या किसी प्रकार के दंड का भी प्रावधान है ?

## 7.5 सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया :

### 1. सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया

• जन सूचना अधिकारी के पास जरूरी सूचना के लिए लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई–मेल) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अपना आवेदन अँग्रेज़ी, हिन्दी या संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा में भरकर करें।

• माँगी गई सूचना के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है।

• राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें (गरीबी रेखा के नीचे आने वाले वर्ग के लोगों को शुल्क नहीं जमा करना है)।

### 2. सूचना प्राप्त करने के लिए समय सीमा

• आवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिन के भीतर।

• यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घण्टे के भीतर।

• उपरोक्त दोनों मामलों में 5 दिन का समय जोड़ा जाए यदि आवेदन, सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया हो।

• यदि किसी मामले में तीसरे पक्ष की संलग्नता या उसकी उपस्थिति अनिवार्य है तो सूचना प्राप्ति की समय–सीमा 40 दिन होगी (अधिकतम अवधि+ तीसरे पक्ष को उपस्थित होने के लिए दिया गया समय)।

• विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने में असफल रहने पर उसे सूचना देने से इंकार माना जाएगा।

**3. सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क**

• निर्धारित आवेदन शुल्क निश्चित रूप से तार्किक होनी चाहिए।

• सूचना के लिए यदि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो तो, आवेदक को पूर्ण आँकलन विवरण के साथ लिखित रूप में सूचित किया जाए।

• जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क के बारे में पुनर्विचार के लिए उचित अपीलीय प्राधिकार से आवेदन किया जा सकता है।

• गरीबी रेखा से नीचे आने वाले समुदाय के लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

• यदि जन सूचना अधिकारी निर्धारित समय–सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं तो आवेदक को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।

**4. सूचना माँगने के लिए प्रश्न प्रारूप**

आवेदन पत्र में सूचना के लिए प्रश्न कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए कुछ प्रश्नों का प्रारूप दिया जा रहा है। इसके अनुसार आप सूचना माँगते समय अपने आवेदन पत्र में प्रश्न लिख सकते हैं। अपनी सुविधानुसार इन प्रश्नों में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं।

**(क)** कृपया मेरे आवेदन/वापसी/प्रार्थना/शिकायत पर होने वाली दैनिक प्रगति के बारे में बताएँ ? जैसे कब और किस अधिकारी के पास मेरा आवेदन/वापसी/प्रार्थना/शिकायत पहुँचा, कितने समय तक वह उस अधिकारी के पास रहा और उन्होंने उस दौरान क्या किया ?

**(ख)** कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बताएँ जो मेरे आवेदन/वापसी/प्रार्थना/शिकायत पर कार्य करने वाले थे और उन्होने ऐसा नहीं किया ?

**(ग)** उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अपना काम नहीं किया और आम जनता को कष्ट पहुँचाया ? उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी ?

**(घ)** अब मेरा काम कब तक हो जाएगा ?

**(ङ)** मुझे उन सभी आवेदनों/वापसियों/प्रार्थनाओं/शिकायतों की सूची व विवरण दें जो मेरे बाद जमा किए गए। उसमें निम्नलिखित सूचना शामिल हों –

• आवेदक / करदाता / याचिकाकर्ता / पीड़ित व्यक्ति का नाम / रसीद संख्या।

• आवेदन / वापसी / याचिका / शिकायत की तारीख।

• निपटारा की तारीख।

**(च)** कृपया रजिस्टर / बही / दस्तावेज के उस भाग की छाया प्रति या मुद्रित प्रति दें जिसमें ऊपर दिये गए आवेदकों / वापसियों / याचिकाओं / शिकायतों के जमा करने संबंधी विवरण अँकित / दर्ज हों।

**(छ)** कृपया मेरे बाद जमा किये गये आवेदनों / वापसियों / याचिकाओं / शिकायतों पर कार्रवाई करने का वजह बताएँ।

**(ज)** उपरोक्त मामले में, अर्थात् मेरे बाद जमा की गई आवेदनों / वापसियों / याचिकाओं / शिकायतों के पहले निपटारा के कारणों की जाँच के लिए कब से निगरानी जाँच शुरू होगी ?

**5. राज्यवार सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया**

**बिहार**

यदि आपने सफलतापूर्वक अपना सूचना का अधिकार आवेदन पत्र भर लिया है तो आप आवेदन और शुल्क निम्नलिखित तरीके से जमा कर सकते हैं –

**(क)** डाक के माध्यम से 10 रुपये की बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / पोस्टल ऑर्डर संबंधित लोक प्राधिकार के वित्त अधिकारी के नाम बनाकर उसके साथ अपना आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भेज दें।

**(ख)** व्यक्तिगत रूप से आप संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय जा कर (या किसी को भेजकर) अपना आवेदन शुल्क का भुगतान कर जमा करें और आवेदन प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।

**केन्द्रीय सरकार के कार्यालय**

यदि आपने सफलतापूर्वक अपना सूचना का अधिकार आवेदन पत्र भर लिया है तो आप अपना आवेदन और शुल्क निम्नलिखित तरीके से जमा कर सकते हैं –

डाक के माध्यम से 10रुपये का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / पोस्टल ऑर्डर संबंधित लोक प्राधिकार के वित्त अधिकारी के नाम बनाकर अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी को भेजें।

डाकघर के माध्यम से आप अपना आवेदन देश के किसी भी 629 डाकघर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इन डाकघरों में केवल केन्द्रीय मंत्रालय / विभागों से संबंधित आवेदन ही स्वीकार किये जाएँगे।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज)जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।

**चंडीगढ़**

यदि आपने सफलतापूर्वक अपना सूचना का अधिकार आवेदन पत्र भर लिया है तो आप आवेदन पत्र और शुल्क निम्नलिखित तरीके से जमा कर सकते हैं –

डाक द्वारा 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर संबंधित लोक प्राधिकार के वित्त अधिकारी के नाम बनाकर अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी को भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज)जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।

**छत्तीसगढ़**

यदि आपने सफलतापूर्वक सूचना का अधिकार आवेदन पत्र भर लिया है तो आप अपना आवेदन और शुल्क निम्नलिखित तरीके से जमा कर सकते हैं –

**शुल्क गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों द्वारा माँगी गई सूचना –**

• अगर सूचना, पीड़ित व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो तो जिस रूप में वह सूचना की माँग करें, उसी रूप में उसे सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

• अगर माँगी गई सूचना उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है और वह सूचना 50 पृष्ठों की (ए 4 आकार के पेज पर) है और उसपर आने वाली लागत 100 रुपये के भीतर है तो माँगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को उसी रूप में प्रदान की जाएगी, जिस रूप में उसके द्वारा माँगी गई हो।

• अगर माँगी गई सूचना 50 पन्नों से अधिक है और उसके छपाई या फोटो कॉपी पर 100 रु. से अधिक की लागत आ रही हो, तो सूचना के अधिकार कानून की धारा 7(9) के अंतर्गत इसे दर्ज करते हुए आवेदक से अनुरोध किया जाए कि वह कार्यालय में आकर उस दस्तावेज की जाँच करें।

• प्रश्न–उत्तर के रूप में माँगी गई सूचना (गैर– बीपीएल वर्ग के लिए) अगर किसी के जीवन से संबंधित है तो सूचना माँगी गई रुप में प्रदान की जाएगी। लेकिन इस प्रकार के सूचना के लिए शुल्क के रूप में संबंधित व्यक्ति से 100 रुपये प्रति पेज की दर से वसूल की जाएगी।

डाक के माध्यम से अपना आवेदन शुल्क (अन्य प्रशासकीय शुल्क के साथ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखा प्रमुख – 0070 व उप लेखा प्रमुख – 800 के नाम जमा करें और उससे प्राप्त रसीद के साथ आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पास भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज)जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**

यदि आपने सफलतापूर्वक अपना सूचना का अधिकार आवेदन पत्र भर लिया है तो आप आवेदन पत्र और शुल्क निम्नलिखित तरीके से जमा कर सकते हैं –

डाक के द्वारा 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक /पोस्टल ऑर्डर संबंधित लोक प्राधिकार के वित्त अधिकारी के नाम बनाकर, आवेदन पत्र के साथ उसे लोक सूचना अधिकारी को भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज)जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।

**हरियाणा**

यदि आपने सफलतापूर्वक अपना सूचना का अधिकार आवेदन पत्र भर लिया है तो अपना आवेदन और शुल्क निम्नलिखित तरीके से जमा कर सकते हैं –

डाक के द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपये की राशि ट्रेजरी चालान के रूप में वरिष्ठ जन सूचना अधिकारी /वरिष्ठ सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम जमा करें। इसके लिए आप भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में जाकर इनके अकाउंट में जमा कर रसीद प्राप्त करें। बैंक से प्राप्त रसीद के साथ अपना आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी के पास भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज) जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।

**हिमाचल प्रदेश**

यदि आपने सफलतापूर्वक अपना सूचना का अधिकार आवेदन पत्र भर लिया है तो अपना आवेदन पत्र और शुल्क निम्नलिखित तरीके से जमा कर सकते हैं –

डाक के माध्यम से आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये की राशि सरकारी कोष में – अकाउंट प्रमुख 0070– ओ एएस 60–ओएस, 800– ओआर, 11 के अंतर्गत जमा करें। इसके लिए आप भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में जाकर इनके अकाउंट में राशि जमा कर रसीद प्राप्त करें।

**झारखंड**

डाक के माध्यम से 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक /पोस्टल ऑर्डर संबंधित लोक प्राधिकार के वित्त अधिकारी के नाम बनाकर, उसे आवेदन पत्र के साथ जन सूचना अधिकारी को भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज) जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।

**मध्य प्रदेश**

डाक के माध्यम से अपने आवेदन पत्र पर 10 रुपये मूल्य का गैर न्यायिक मुद्रांक (नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प) चिपका कर, उसे लोक सूचना अधिकारी के पास भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में स्वयं जाकर (या किसी को भेज) जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।

**महाराष्ट्र**

डाक के माध्यम से 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक /पोस्टल ऑर्डर संबंधित लोक प्राधिकार के वित्त अधिकारी के नाम बनाकर या आवेदन पत्र पर 10 रुपये का न्यायिक मुद्राँक (ज्यूडिशियल स्टाम्प) चिपकाकर, आवेदन पत्र जन सूचना अधिकारी के पास भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज) जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।

**राजस्थान**

डाक के माध्यम से 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक /पोस्टल ऑर्डर संबंधित लोक प्राधिकार के वित्त अधिकारी के नाम बनाकर, उसे आवेदन पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी को भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज) जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें।

**उत्तराखण्ड**

डाक के माध्यम से 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक /पोस्टल ऑर्डर संबंधित लोक प्राधिकार के वित्त अधिकारी के नाम बनाकर, उसे आवेदन पत्र के साथ जन सूचना अधिकारी को भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज) जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।

**उतर प्रदेश**

डाक के माध्यम से 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक /पोस्टल ऑर्डर संबंधित लोक प्राधिकार के वित्त अधिकारी के नाम बनाकर, उसे आवेदन पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी को भेजें।

व्यक्तिगत रूप से आप अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय स्वयं जाकर (या किसी को भेज) जमा कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन नगद शुल्क के साथ जमा करें एवं आवेदन प्राप्ति रसीद प्राप्त करें।

गरीबी की रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी के लिये सभी सूचनाऐं निशुल्क हैं किन्तु उन्हें बीपीएल प्रमाणपत्र लगाना आवश्यक है।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** किसी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिये शुल्क का भुगतान किस प्रकार किया जाता है ?

**प्रश्न 2–** किस वर्ग के नागरिक को सूचना के अधिकार के सन्दर्भ में निःशुल्क जानकारी पाने का हक है ?

## 7.6 सूचना के अधिकार के प्रमुख प्रावधान :

सूचना के अधिकार के तहत प्रायः हर विषय को समेटा गया है। इस अधिनियम में हर विषय की सरल ढंग से पर्याप्त व्याख्या की गई है। इसके तहत 'सूचना' कोई भी ऐसी स्थाई सामग्री है जो रिकार्ड के रूप में, ई–मेल या मेमो के रूप में, माडल या इलैक्ट्रानिक रूप में अथवा प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, सुझाव, सरकारी आदेश, गाड़ियों की लाग बुक, अनुबन्धों इत्यादि के रूप में हो। इस अधिकार के तहत आम व्यक्ति को निम्न अधिकार प्राप्त हैं ।

विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों, योजनाओं व रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार।

ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, योजनाओं, रिकॉर्ड आदि की अधिकृत प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार।

निर्माण में प्रयुक्त अथवा अन्य सामग्री का नमूना लेने का अधिकार।

लोक सूचना अधिकारी के लिये आवश्यक है कि मांगी गई सूचना, प्रार्थना पत्र के दिये जाने के तीस दिन के भीतर प्रदान की जाय। लेकिन यदि कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन अथवा उसकी स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है तो इसे 48 घंटे के भीतर दिया जाना आवश्यक है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना न दिये जाने पर इसे सूचना दिये जाने से इंकार करने समान माना जाता है और इसकी शिकायत (अपील) उससे वरिष्ठ अधिकारी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) से की जा सकती है। यदि वांछित जानकारी किसी अन्य कार्यालय या लोक सूचना अधिकारी से सम्बन्धित है तो यह लोक सूचना अधिकारी का ही दायित्व है कि वह आवेदन के पांच दिन के भीतर अनुरोध पत्र को उस कार्यालय को अग्रसारित कर दे जिससे इसका सम्बन्ध हो। इसके तहत कुछ सूचनाऐं ऐसी हैं जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग की संस्तुति के बाद ही दी जा सकती हैं उदाहरण के लिये मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित सूचना। ऐसी सूचना आवेदन के 45 दिन के भीतर दिये जाने का प्राविधान है।

अधिनियम की धारा 8 में उन जानकारियों का उल्लेख है जिन्हें देने से इंकार किया जा सकता है। इसके तहत वर्णित जानकारियों को छोड़कर जो कि राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों से सम्बन्धित हों या जिससे अन्य राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या जो किसी अपराध के लिये उकसाती हों अथवा सामाजिक समरसता को प्रभावित करने वाली हों या ऐसी जानकारियां जो संसद या राज्य विधानमंडलों का विशेषाधिकार हनन करती हों या कापीराइट एक्ट का उल्लंघन करती हों, अन्य सभी जानकारियां दिया जाना आवश्यक माना गया है। इस अधिनियम के तहत विकास कार्यों से जुड़े विभागों जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पेयजल, हाईडिल आदि की गोपनीयता शून्य मानी गई है तथा उन्हें शत प्रतिशत पारदर्शी बनाते हुए उनसे सम्बन्धित प्रत्येक जानकारी दिये जाने की व्यवस्था है। लेकिन इसके तहत यह व्यवस्था भी है कि चूंकि फाईल या दस्तावेज

बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखे जा सकते अतः किसी मामले के 20 वर्ष बाद उससे सम्बन्धित जानकारी दिया जाना बाध्यकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में 'तीसरी पार्टी की सूचना' सम्बन्धी प्राविधान भी हैं जिसके तहत PIOको ऐसी वाणिज्यिक गुप्त बातों, व्यावसायिक रहस्यों, बौद्धिक संपदा सम्बन्धी जानकारियों के अतिरिक्त ऐसी जानकारियों को भी न देने की छूट है, जिनसे किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगी स्थिति को क्षति पहुंचती हो। अधिनियम की धारा 8(1)(घ) के तहत सम्बन्धित सूचना अधिकारी यदि आश्वस्त न हो कि ऐसी सूचना का दिया जाना लोक हित में आवश्यक है तो वह सूचना देने से इंकार कर सकता है। यदि वह सूचना देना लोकहित में आवश्यक समझे तो भी उसको इससे पूर्व सम्बन्धित तृतीय पक्ष को भी सूचित कर, उसके पक्ष को सुनकर तथा उससे असहमत होने पर उसे प्रतिवेदन का समय देना आवश्यक है। यदि इसके बाद केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना को दिये जाने का निर्णय लेता है और तृतीय पक्ष इसके विरूद्ध अपील करता है तो तब तक यह सूचना नहीं दी जा सकती जब तक कि इस अपील का निस्तारण न हो जाए।

***आरटीआई ने इस अल्प अवधि में ऐसे मुकाम हासिल किये हैं जिन का उदाहरण अन्यत्र शायद ही मिल सके। इसी कानून के कारण सुप्रीम कोर्ट के आरटीआई के दायरे में शामिल होने या न होने की बहस के चलते भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट में अपील दायर करनी पड़ी। इससे भी बड़ी बात तब हुई जब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की अपील खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के ही विरुद्ध निर्णय देने का साहस दिखाया। इसी कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 123 भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर उनके नाम अपनी बेबसाईट पर डाल दिये। अब जिस भी अधिकारी के खिलाफ सीबीसी मुकदमा दायर करता है तत्काल उसका नाम इस सार्कट पर डाल दिया जाता है। इस प्रकार इस कानून ने 'हू विल पोलिस द पुलिस' या 'हू विल जज द जजेस' यानि पुलिस व न्यायिक तंत्र की निगरानी कौन करे? जैसे सवालों का जवाब भी दे दिया है और यह कानून हर विभाग की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखने का साधन बन चुका है।***

**अभ्यास प्रश्न –**

**प्रश्न 1–** सूचना माँगे जाने पर कितने दिनों में सूचना देना जरूरी है ?

**प्रश्न 2–** वे कौन से विषय हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती?

## 7.7 क्या करें यदि सूचना न मिले या जानकारी से सन्तुष्ट न हों :

सूचना के अधिकार के सुचारू निर्वहन के लिए इसमें अनेक ऐसी व्यवसायें की गई है जिनके कारण सम्बद्ध विभाग समय से सूचना देने में लापरवाही नही कर सकते अथवा भ्रामक सूचनायें नही दे सकते। सूचना देने वालों की जवाबदेही तय रखने के लिए इसमें कुछ दण्डात्मक प्राविधान भी हैं।

यदि कोई सूचना मांगे जाने पर आवेदक को निर्धारित अवधि (तीस दिन) के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती या वह इस सूचना से संतुष्ट नहीं होता है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी से इसकी अपील कर सकता है। यह अपीलीय अधिकारी पद में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। लेकिन यह

अपील निर्धारित (30 दिन) की अवधि समाप्त होने के 30 दिन के भीतर अथवा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का निर्णय मिलने के 30 दिन के भीतर कर दी जानी चाहिये। ऐसी अपील किये जाने पर लोक प्राधिकरण के अपीलीय अधिकारी का दायित्व है कि अपील किये जाने के तीस दिन के भीतर अथवा विशेष परिस्थितियों में 45 दिन के भीतर वह इस अपील का निस्तारण कर दे। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी निर्धारित अवधि में अपील का निस्तारण नहीं करता अथवा अपीलकर्ता उसके निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होता तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की निर्धारित समय सीमा (अधिकतम 45 दिन) की समाप्ति अथवा निर्णय की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान भी है कि यदि केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को बगैर समुचित कारण के सूचना का आवेदन अस्वीकार करने, निर्धारित अवधि में सूचना न देने, जानबूझकर गलत, भ्रामक या अपूर्ण सूचना देने, सूचना नष्ट करने या सूचना देने की कार्यवाही में बाधा का दोषी पाता है तो वह आवेदन की प्राप्ति अथवा सूचना दिये जाने तक सम्बन्धित अधिकारी पर दो सौ रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है। साथ ही दुर्भावनापूर्वक सूचना का आवेदन अस्वीकार करने या गलत व भ्रामक सूचना देने पर वह सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है।

यदि राज्य सूचना आयुक्त किसी लोक अधिकारी को निर्धारित समयावधि पर सूचना न देने का दोषी पाता है तो वह उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है जो कि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अपनी निजी आय से वहन करना होगा अर्थात वह विभागीय धनराशि से इसका भुगतान नहीं कर सकता।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्रश्न 1–** राज्य सूचना आयुक्त लोक सूचना अधिकारी पर कितना दंड लगा सकता है और क्यों ?

**प्रश्न 2–** यदि आवेदक को निर्धारित अवधि (तीस दिन) के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती या वह प्राप्त सूचना से संतुष्ट न हो तो वह क्या कर सकता है ?

**प्रश्न 3–** किन परिस्थितियों में सूचना पाने की अधिकतम अवधि कम की जा सकती है और कितनी ?

## 7.8 मीडिया और सूचना का अधिकार :

जहाँ तक मीडिया का सवाल है मीडिया के लिये सूचना का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल मीडिया को अधिक विश्वसनीय और धारदार बना सकता है बल्कि उसके स्तर में आ रही निरंतर गिरावट को भी रोक सकता है।

मीडिया और सूचना का वही सम्बन्ध है जो एक बुलेट और बन्दूक का होता है। कहा जा सकता है कि सूचना एक बुलेट है व मीडिया बन्दूक। यदि मीडिया के माध्यम से बुलेट रूपी सूचना सही निशाने पर पहुँचती है तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सूचना के बगैर मीडिया और मीडिया के बगैर सूचना

उसी तरह अनुपयोगी हैं जिस तरह एक दूसरे के अभाव में बुलेट और बन्दूक। लेकिन मीडिया के मामले में बुलेट यानी सूचना का हमेशा सही होना बेहद जरूरी है। गलत सूचना समाज के लिए घातक भी हो सकती है। आए दिन ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही एक विशाल मशीन के वैज्ञानिक प्रयोगों की खबर को कुछ न्यूज चैनलों द्वारा पृथ्वी की समाप्ति का प्रयोग बता देने के समाचार के बाद अनेक लोगों ने भयवश आत्महत्या तक कर ली थी।

***यदि राज्य सूचना आयुक्त किसी लोक अधिकारी को निर्धारित समयावधि पर सूचना न देने का दोषी पाता है तो वह उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है जो कि सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अपनी निजी आय से वहन करना होगा अर्थात वह विभागीय धनराशि से इसका भुगतान नहीं कर सकता।***

गलाकाट प्रतियोगिता के युग में टीवी चैनल खबरों को डरावने, सनसनी फैलाने वाले या उकसाने वाले रूप में प्रस्तुत करते हैं तो कहीं न कहीं इसके पीछे सूचना और जानकारी का अभाव भी है। ऐसे में सूचना का अधिकार सूचना की इस कमी को पूरा कर पत्रकारिता का चेहरा बदलने की क्षमता रखता है। अब तक विभिन्न जानकारियां विशेषकर गोपनीय जानकारियां एकत्रित करने के तरीके में 'पापाराजी स्टाईल' या स्टिंग आपरेशन ही एकमात्र तरीका था लेकिन आरटीआई ने सूचना के जिस भंडार को मीडिया के लिए खोल दिया है स्वयं मीडिया भी अभी उससे पूरी तरह वाकिफ नहीं है और यदि इसका सही उपयोग किया जाय तो किसी दूसरे तरीके की जरूरत कम ही महसूस होगी। खुफिया तरीकों से जुटाई गई जानकारियों की विश्वसनीयता भी आमतौर पर कम और संदिग्ध होती है इसी के चलते उनका प्रभाव भी कम होता है। जबकि तमाम मसाले डालकर चटपटी खबर के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली आधी–अधूरी, गैर जरूरी और अक्सर झूठी जानकारी के मुकाबले सूचना का अधिकारके माध्यम से जुटाई गई सूचना विश्वसनीय तो होती ही है, अधिक प्रभावशाली भी होती है। यदि सनसनी से ही श्रोता आकर्षित होते हैं तो यह भी कहा जा सकता है कि परिश्रमपूर्वक जुटाई गई ऐसी जानकारी सनसनी से अधिक सनसनीखेज भी हो सकती है, जैसा कि कहा भी गया है कि 'truth is stronger than fiction.'हांलाकि 'टेलरमेड या कट एण्ड पेस्ट' खबरों के आदी हो चले पत्रकारों को शुरुआती दौर में सूचना के अधिकारके माध्यम से खबरें जुटाना श्रमसाध्य और उबाऊ लग सकता है लेकिन यह भी इतना ही सच है कि अब पत्रकार इस हथियार का इस्तेमाल खुलकर करने लग गये है और यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में सूचना के अधिकार के माध्यम से सूचना का प्रवाह सुगम तथा तीव्र हो सकेगा। लेकिन मीडिया को इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। आज समाचार पत्रों व चैनलों के माध्यम से मीडिया का हर घर में प्रवेश हो चुका है जहां बच्चे, महिलायें, युवा और वृद्ध सभी होते हैं, ऐसे में उन तक पहुंचाने से पहले किसी भी सूचना को इस कसौटी पर अवश्य परखा जाना चाहिये कि वह व्यापक समाज हित में है अथवा नहीं ।

**अभ्यास प्रश्न**

**प्र0 1–** मीडिया के लिए आरटीआई का क्या महत्व है ?

**प्र0 2–** मीडिया और सूचना के संबंध को परिभाषित कीजिए ?

**प्र0 3–** समाज हित में आरटीआईका क्या महत्व है ?

## 7.9 सारांश :

12 अक्टूबर 2005 से देश में सूचना का अधिकार लागू होने के बाद से देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन देखने को मिले हैं जिन्हें एक सभ्य और विकसित समाज की दिशा में मील का पत्थर कहा जा सकता है और इस कानून के न होने की स्थिति में ऐसे परिवर्तनों की कल्पना भी नही की जा सकती थी।आरटीआई समाज में जागरूकता लाने की दृष्टि से और किसी भी तरह के अन्याय का प्रतिकार करने की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। अतः भारत के प्रत्येक जागरूक नागरिक को आरटीआई की सम्यक् जानकारी अनिवार्यतः होनी चाहिए। सूचना का अधिकार लागू होने से प्रशासनिक कार्यो में पारदर्शिता बढ़ी है और जनजवाबदेही का दबाव होने के कारण अधिकारियों का रवैया अधिक लोकतांत्रिक होने लगा है। मीडिया के लिए तो यह अधिकार एक बड़ा हथियार बन गया है। इसके जरिए भ्रष्टाचार और अनियमिताओं के अनेक मामले उजागर हुये है और मीडिया का असर तथा प्रभाव भी बढ़ा है। हर युवा पत्रकार को इस अधिकार का इस्तेमाल खुल कर करना चाहिए और इसे अपनी कलम को मजबूत करने का माध्यम बनाना ही चाहिए।

## 7.10 शब्दावली :

**सूचना का अधिकार (आरटीआई) :**भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू इस अधिनियम के तहत किसी भी सरकारी विभाग की आम जनता से जुड़ी जानकारियां कोई भी व्यक्ति एक सामान्य प्रक्रिया के तहत प्राप्त कर सकता है। देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध जैसे कुछ संवेदनशील मामलों को छोड़कर हर विषय की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत दिया गया है।

**लोक सूचना अधिकारी**(PIO): सूचना के अधिकार के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है जो संबंधित विभाग की जनता द्वारा मांगी गयी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत होता है।

**अपीलीय अधिकारी** : यदि कोई सूचना समय से नहीं मिलती अथवा अपीलकर्ता सूचना से संतुष्ट नहीं होता तो वह अपीलीय अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

**सूचना आयुक्त :** प्रत्येक राज्य में सूचना के अधिकार के तहत एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। इसमे एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा कुछ अन्य सूचना आयुक्त होते है। सूचना आयुक्त राज्य का प्रमुख अपीलीय अधिकारी होता है।

**केन्द्रीय सूचना आयोग :** केन्द्र सरकार राष्ट्रपति की संस्तुति पर इस आयोग का गठन करती है। इसमे एक मुख्य केन्द्रीय सूचना आयुक्त व कम से कम 10 अन्य सूचना आयुक्त होते है। यह आयोग सूचना के अधिकार की शीर्ष संस्था है। इसका कार्य अपील सुनना, शिकायत सुनना आदि तो है ही, यह देश मे सूचना के अधिकार की दशा और दिशा पर भी निगरानी रखता है।

## 7.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर :

**उत्तर 7.3**

**उत्तर 1–** सूचना का अधिकार आज विश्व के 85 से अधिक देशों में लागू है और इसे कई अन्य देशों में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

**उत्तर 2–** सूचना का अधिकार सबसे पहले स्वीडन में 1766 में लागू हुआ था।

**उत्तर 7.4**

**उत्तर 1–** भारत में आरटीआई 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ। लेकिन जम्मू–कश्मीर को इससे अलग रखा गया ।

**उत्तर 2–** किसी भी विभाग के लोक सूचना अधिकारी का कार्य उस विभाग से सूचना के अधिकार के तहत मांगी कई किसी भी जानकारी को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना है।

**उत्तर 3–** यदि लोक सूचना अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता या गलत सूचना देता है, तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है।

## उत्तर 7.5

**उत्तर** 1– किसी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिये शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, पोस्टल आर्डर अथवा विभाग में नकद राशि के माध्यम से किया जा सकता है।

**उत्तर** 2– गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी के लोगों को सूचना के अधिकार के तहत किसी जानकारी के लिए शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है।

**उत्तर 7.6**

**उत्तर 1–** अधिकतम तीस दिनों में सूचना देना जरूरी है।

**उत्तर 2 –** रक्षा व शासकीय महत्व के गोपनीय विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती।

**उत्तर 7.7**

**उत्तर 1–** यदि राज्य सूचना आयुक्त किसी लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित समयावधि पर सूचना न देने का दोषी पाता है तो वह उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

**उत्तर 2–** लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर सूचना न दिये जाने पर इसे सूचना देने से इनकार करने के समान माना जाता है। ऐसे में आवेदक इसकी शिकायत वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी से कर सकता है।

**उत्तर 3–** किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित सूचना को 48 घंटे के भीतर देना आवश्यक है।

## उत्तर 7.8

**उत्तर 1–** मीडिया के लिये आरटीआईअत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल मीडिया को अधिक विश्वसनीय और धारदार बना सकता है बल्कि उसके स्तर में आ रही निरंतर गिरावट को भी रोक सकता है।

**उत्तर 2–** मीडिया और सूचना के संबंध के बारे में कहा जा सकता है कि मीडिया और सूचना के अधिकार का घनिष्ठ संबंध है। सूचना के अधिकार को जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया एक सशक्त माध्यम है।

**उत्तर 3–** सूचना के अधिकार से लोगों को विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी मिलती है और उनकी जागरूकता बढ़ती है। इसके जरिए सही और प्रभावशाली सूचना हासिल की जा सकती है।

## 7.12 सन्दर्भ ग्रन्थसूची :


1. बाबेल, डॉ0 बसंतीलाल : पत्रकारिता एवं प्रेस विधि–(सिद्धान्त और व्यवहार), सुविधा लॉ हाउस, भोपाल।
2. पायली, एम.वी. : भारतीय संविधान, युनाईटेड बुक हाउस, दिल्ली।
3. ठाकुर, गंगा प्रसाद : भारत में प्रेस कानून और पत्रकारिता–(मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी)।
4. शर्मा, सुरेन्द्र नाथ : प्रेस कानून और पत्रकारिता, गतिमान प्रकाशन जयपुर।
5. त्रिखा, डॉ0 नंद किशोर : प्रेस विधि– वि.वि. प्रकाशन वाराणसी।
6. Basu DD, : Introduction to the Constitution of India- Prentice Hall of India New Delhi 1985.
7. RTI Publications : उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग, देहरादून।


## 7.13 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री :

1. भारतीय संविधान से सम्बन्धित पुस्तकें।
2. प्रेस अधिनियम से सम्बन्धित लेख व पुस्तक।
3. विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रेस कानून से जुडे लेख व समाचार।
4. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित मैन्यूल, पॉम्पलेंट आदि लिखित सामग्री।

## 7.14 निबंधात्मक प्रश्न :

प्रश्न 1 – वांछित जानकारी न मिलने पर क्या–क्या किया जा सकता है ? विस्तार से प्रकाश डालिए।

प्रश्न 2 – सूचना पाने की प्रक्रिया क्या है ? समझाइए।

प्रश्न 3 – मीडिया और सूचना का अधिकार विषय पर एक निबन्धात्मक लेख लिखिए।

प्रश्न 4 – आरटीआई के लागू होने से अब तक भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? आर0 टी0 आई0 के माध्यम से सामने आये घोटाले व भ्रष्टाचार के मामलों को उदाहरण देकर समझाइये।

प्रश्न 5– सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 क्या हैं ? विस्तार से लिखिए।

Uttarakhand Open University, Haldwani -263139
Toll Free : 1800 180 4025
Operator : 05946-286000
Admissions : 05946-286002
Book Distribution Unit : 05946-286001
Exam Section : 05946-286022
Fax : 05946-264232
Website : http://uou.ac.in